खण्ड २—अंक ३०

५ अप्रैल, १९५५ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आना (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

44 LSD

विषय-सूची

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९०४, १९०६, १९०७, ११०९, १९१०, १९१३, से १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४ से १९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५ से १९३९, ११४१, १९४२, १९४४ से १९५० और १९५३ २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२ और १९५४ से १९५९ . . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७७, ५७९ से ५९४ और ५९६ से ६०२ . . . . २३०८—२४

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक-सभा

मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

*१९००. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दार्जिलिंग की हिमालय पर्वतारोहण संस्था को सरकार अब तक कितना अनुदान दे चुकी है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : १,००,००० रुपया पूंजी-खर्च और ५००० रुपया आवर्त्तक खर्च के लिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बीच में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस इन्स्टिट्यूट पर अपना कितना रुपया लगाया है ?

डा० काटजू : यह मुझे ठीक नहीं मालूम ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस इन्स्टिट्यूट से कितने लोगों ने ट्रेनिंग पाई है और उस ट्रेनिंग के पाने के बाद उन का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

डा० काटजू : आप मुझ पर जरा रहम फरमायें । इन्स्टिट्यूट तो अभी चालू हुआ

है इस लिये मुझे ठीक नहीं मालूम कि कितनें लोग उस में ट्रेनिंग पा चुके हैं और उन का क्या उपयोग होगा । आप को थोड़े अस के लिये सब्र करना चाहिये ?

छात्रवृत्तियां देना

*१९०१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४ में सिक्किम के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : तीन ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कौन कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास : सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना और कोलम्बो योजना ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने रुपये की है और इन विद्यार्थियों ने कौन से विषय ले रखे हैं ?

डा० एम० एम० दास : सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पढ़ाई, परीक्षा और प्रति व्यक्ति फीसों के अतिरिक्त छात्रवृत्ति २०० रु० मासिक है । टैक्निकल सहकारी योजना के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर छात्रवृत्ति १८० रु० और दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में २०० रु० है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : यह विद्यार्थी किन संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

डा० एम० एम० दास : एक विद्यार्थी सेंट्रल हिन्दू कालेज बनारस में राजनीति शास्त्र के एम० ए० की कक्षा में पढ़ रहा है। दूसरा विद्यार्थी इंजीनियरिंग कालेज, मुजफ्फरपुर में सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन कर रहा है। तीसरा विद्यार्थी कलकत्ता मैडिकल कालेज में एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा है।

भारत में विदेशी नागरिक

*१९०२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विदेशी नागरिकों को भी जो भारत सरकार के अधीन पूरे समय के लिये वेतन भोक्ता हैं संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी ;

(ख) यदि हां, तो उस शपथ के शब्द क्या होंगे और किन व्यक्तियों के समक्ष उन्हें यह शपथ लेनी होगी ; और

(ग) यह नियम कब से लागू होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). विदेशी नागरिकों को संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ के विषय में आदेश की प्रति सभा पटल पर रखी हुई ह **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७]** यह शपथ, विभाग के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकार दिए गये अधिकारी के समक्ष लेनी होती है। आशा है कर्मचारियों ने शीघ्र ही इन आदेशों के जारी होने के बाद या उनकी प्रथम नियुक्ति पर यह शपथ ले ली है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आपने जो बयान सदन पटल पर रखा है उसमें यह लिखा है :

".....सम्भव है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त विदेशी राष्ट्रजनों को निष्ठा शपथ ग्रहण करने में यह आपत्ति हो कि उनकी भावनाएं (ससेप्टिबिलिटीज)....." मैं यह जानना चाहता हूं ससेप्टिबिलिटीज से सरकार का क्या अर्थ है ?

श्री दातार : भावना का प्रश्न तो था परन्तु अब हमने शपथ के रूप में संशोधन कर दिया है और यह लिख दिया है कि यदि वे अन्य देशों के नागरिक हों तो उन्हें भारत और इसके संविधान के प्रति निष्ठा शपथ ग्रहण करनी होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब चूंकि यह प्रश्न तय हो गया है कि जो फारेन नेशनल्स यहां की सरकार की नौकरियों में होंगे उनको शपथ लेनी पड़ेगी, जिसका फार्म भी दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह काम कब से शुरू होगा ?

श्री दातार : १९४७ से शुरु हो गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इसके सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न देशवासियों से राय ली थी, यदि हां, तो किसी की भिन्न राय भी थी ?

श्री दातार : इसकी जरूरत नहीं थी।

हिन्दी की पुस्तकों और चार्टों की प्रदर्शनी

*१९०३. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हिन्दी की पुस्तकों और चार्टों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या भविष्य में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रदर्शनी करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) प्रदर्शनी पर होने वाले कुल खर्च का अनुमान अभी तैयार किया जाना है

अभी प्रारम्भिक खर्च के लिये केवल १०१० रु० स्वीकृत किया गया है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

श्री राधा रमण : क्या सरकार भारत में प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तकों और चार्टों के बारे में विश्वसनीय अभिलेख रख रही है ?

डा० एम० एम० दास : अब तक इस प्रदर्शनी के लिये सामग्री एकत्र की जा रही है।

श्री राधा रमण : क्या इस प्रदर्शनी में कोई विशेष बातें होंगी ?

डा० एम० एम० दास : विशेष बातें यह होंगी। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं में दो प्रकार की हिन्दी पुस्तकें होंगी :

(१) उन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा विस्तार के लिये प्रकाशन जहां हिन्दी नहीं बोली जाती है; और (२) साहित्य जिससे पता चले कि १९०० से अब तक हिन्दी भाषा ने कितनी प्रगति की है।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में क्या सरकार यह भी विचार कर रही है कि इस प्रकार की प्रदर्शनी दिल्ली में होने के बाद उसको रेल द्वारा अन्य प्रान्तों को भी भेजा जाये ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, इस प्रश्न पर अब विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रदर्शनी जो होने जा रही है उसमें क्या वह पुस्तकें भी होंगी जो दूसरी भाषाओं से अनुदित की हुई होंगी ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रदर्शनी के लिए विशेष साहित्य, पुस्तकों और लेखकों के चुनाव के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई है। इसका उत्तरदायित्व उप-समिति पर है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय सब-कमेटी के मैम्बर्स के नाम बतायेंगे ?

अखिल भारतीय सहकारी बैंक

*१९०४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय सहकारी बैंक खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय में ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : रिजर्व बैंक ने जो रूरल क्रेडिट के सम्बन्ध में कमेटी की स्थापना की है उसने रिकमेन्ड किया है कि सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक की स्थापना की जाये तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस की आवश्यकता नहीं समझती है ?

श्री ए० सी० गुह : ऐसी कोई रिकमेंडेशन कमेटी ने नहीं की है। इस कमेटी ने जो रिकमेन्डेशन किया है वह स्टेट बैंक आफ इंडिया के बारे में है। स्टेट बैंक विभिन्न कोआपरेटिव बैंकों को रुपया देगा विशेषकर कृषि के सामान के बेचने और वेअर हाउसिंग के इंतिजाम के लिये।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेट बैंक की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री ए० सी० गुह : बिल सदन के सामने आने वाला है. इस सेशन में उसे पास हो जाना चाहिये।

सोने की खानों से प्राप्त स्वामित्व

*१९०६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में सोने की खानों से कुल कितने स्वामिस्व की प्राप्ति हुई है ; तथा

(ख) क्या ऐसे सोने पर किसी अन्य प्रकार का कर भी लगाया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी मंगाई जा रही है, जो मिलने पर सभा पटल पर रख दी, जाएगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत में नई खानों का पता चलाने के लिए कोई खोज की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे कहना पड़ता है कि इस अनुपूरक का इस प्रश्न से कोई लगाव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अभिप्राय केवल उस स्वामिस्व से है जो राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि उन्हें किस राज्य से अधिकतम स्वामिस्व की प्राप्ति होती है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि यह जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

काश्मीर में प्रवेश

*१९०७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **रक्षा** मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में प्रवेश पर नियन्त्रण करने वाले विनियमों के कब तक हटा लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य में प्रवेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विनियमों के अनुसार नियंत्रित है । इस प्रक्रम पर यह कहना कठिन है कि राज्य सरकार इन विनियमों को कब हटा सकेगी ।

लेखा परीक्षा विभाग

*१९०९. **श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) विलीन और एकीकृत लेखा-परीक्षा विभागों के उन प्राधिकारियों की राज्यवार संख्या क्या है, जिन्हें भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा में ले लिया गया था ; तथा

(ख) उनकी वरिष्ठता किन सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित की गई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) यह जानकारी निम्न प्रकार है :—

हैदराबाद	७
राजस्थान	७
पेप्सू	१
त्रावनकोर-कोचीन	५
मैसूर	१०
मध्य भारत	१
बड़ौदा	१
	३२

(ख) वे अभी तक विचाराधीन हैं ।

विकलांगों के लिये संस्था

*१९१०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विकलांगों के लिये संस्थायें स्थापित करने के लिये सरकार कोई सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को, और कितनी-कितनी सहायता दी जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास भिन्न-भिन्न

राज्यों से कोई दरख्वास्तें आई हैं कि स तरह की संस्थायें आवश्यक हैं और इन के खोलने में केन्द्रीय सरकार उन की सहायता करे ?

डा० एम० एम० दास : यह तो प्राइमेरिली प्रान्तीय सरकारों का काम है मगर कभी कभी केन्द्रीय सरकार कुछ अनुदान देती है ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई सहायता नहीं दी गई और अभी आप ने कहा कि केन्द्रीय सरकार कछ अनुदान देती है, दोनों बातों में से कौन सी सही है ?

डा० एम० एम० दास : वैसे तो नियम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार कोई अनुदान नहीं देती है ; अनुदान देने के सम्बन्ध में उसकी कोई योजना नहीं है । तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी तदर्थ आधार पर सरकार अनुदान दे देती है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या गत वर्ष इस प्रकार के कुछ अनुदान दिए गए हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस वर्ष हमने एक तो राष्ट्रीय वृजानन्द अंध कन्या विद्यालय नयी दिल्ली को ५०,००० रुपये दिए हैं और दूसरे कलकत्ता के अंधों के स्कूल को एक तदर्थ अनुदान के रूप में ३८०४ रुपये इस कार्य के लिये दिए हैं कि वहां का प्रिंसिपल अमरीका से ब्रेले मुद्रण सीखने के लिए कलकत्ता से न्यूयार्क जा सके ।

शिक्षित लोगों में बेकारी

*१९१३. **श्री तिम्मय्या** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित लोगों की बेकारी को दूर करने वाली योजना के अधीन १९५४ में मैसूर राज्य को कितनी धन-राशि दी गयी थी ; तथा

(ख) इस योजना से उस राज्य में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५४–५५ में मैसूर राज्य के लिए २,७५,४४० रुपये मजूर किए गए ।

(ख) ५१६ ।

श्री तिम्मय्या : उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गयी थी ?

डा० एम० एम० दास : यह एक शिक्षा सम्बन्धी योजना थी जिसमें शिक्षक नियुक्त किए गए । यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि शिक्षकों को नियुक्त करना उनकी सहायता करना है, तो मैं यही कहूंगा कि ५०० शिक्षकों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गयी थी, परन्तु मैसूर सरकार ने ४७६ शिक्षकों को नियुक्त किया था, और दूसरी बार फिर २४ और शिक्षकों को नियुक्त किया गया ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या वे सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक हैं ?

डा० एम० एम० दास : वे सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक हैं ।

त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं

*१९१४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा मंत्री** २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों और वहां के विद्यार्थियों से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, कि त्रिपुरा के विद्यार्थियों को राज्य से बाहिर के मैडीकल और इंजीनियरिंग स्कूलों तथा कॉलिजों में अधिक स्थान दिए जाएं ; तथा

(ख) क्या इस मामले पर कोई सोच विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शिक्षा सम्बन्धी योजना

*१९१५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी प्रस्थापना है कि अखिल भारतीय सेवाओं, सैनिक और असैनिक के पदाधिकारियों के बच्चों के हित के लिए देश के महत्वपूर्ण नगरों में बहुत से स्कूल और कॉलिज खोले जाएं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की जा चकी है ;

(ग) क्या ऐसे स्कूलों और कॉलिजों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है ; तथा

(घ) इस प्रस्थापना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सरकार ऐसी किसी प्रस्थापना पर सोच विचार नहीं कर रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को, इस प्रकार की कोई प्रस्थापना कहीं से प्राप्त हुई है ?

डा० एम० एम० दास : स्थानान्तरणीय सेवा में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है । १९४७ में केन्द्रीय सरकार ने सरकार से इसके विषय में प्रार्थना की थी । उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ करने का निर्णय किया । बम्बई सरकार ने यह निश्चय किया कि :—

> "सरकार यह निदेश देती हुई अत्यंत हर्ष का अनुभव करती है कि भारत सरकार के पदाधिकारियों—चाहे वे सैनिक हों अथवा असैनिक—के बच्चों को इस राज्य के सरकारी कॉलिजों में गुणावगुण के आधार पर प्रविष्ट किया जाए, बिना इस बात का विचार किए कि वे किस राज्य के अधिवासी हैं, परन्तु शर्त यह है कि जिस समय प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दिया गया हो, उस समय उस विद्यार्थी का पिता उस राज्य में काम कर रहा हो ।"

अब इसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : बम्बई राज्य को दिए गए निर्देश और उसके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के अतिरिक्त मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस समस्या पर कोई सोच विचार किया है, क्योंकि माननीय सभा सचिव ने कहा है कि सरकार इस समस्या के विषय में कुछ न कर सकी क्योंकि इसे राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : अन्य राज्य सरकारों द्वारा बम्बई सरकार के इस संकल्प को स्वीकार कर लेने के उपरान्त, स्थिति सुधर गयी है, और इस समय स्थिति यह है कि भारत सरकार के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में प्रविष्ट करने में कोई विशेष बाधा नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कोई विशेष प्रकार की शिक्षा देने के बारे में सरकार की विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जी, नहीं।

गांधीजी की मूर्तियां

*१९१६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के पास एक ऐसा परिपत्र भेजा गया है कि गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना से पूर्व उनके सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उस निदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि हालैण्ड में हेग में शान्ति प्रासाद (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) पर लगाई गयी गांधी जी की मर्ति टूटी हुई है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १८**]

श्री एस० सी० सामन्त : गांधी जी की यह मूर्ति शान्ति प्रासाद के लिए किसने और कब भेजी थी और इसका खर्च किसने वहन किया था ?

डा० एम० एम० दास : जून, १९५० में हेग स्थित हमारे दूतालय ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय को ऐसा सुझाव दिया था कि हेग के शान्ति प्रासाद के लिए संगमरमर की गांधी जी की एक मूर्ति भेंट की जाए। यह मूर्ति दिल्ली के कलाकार श्री बी० सान्याल द्वार तैयार की गयी थी, इसे सरकार के उच्चतम पदाधिकारियों ने देखा था और मंजूर किया था और तब इसे हेग भेजा गया था।

श्री एस० सी० सामन्त : हेग स्थित भारतीय दूतावास ने तो हमें यह बताया है कि शान्ति प्रासाद में स्थापित की गयी यह मूर्ति एक व्यापारी के द्वारा भेंट की गयी थीं, और इसमें सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं। क्या इसमें कोई तथ्य है ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिए धन तो एक व्यापारी—इन्दौर के गोविन्द दास सेक्सेरिया चैरिटी ट्रस्ट से प्राप्त हुआ था, परन्तु इस मर्ति के लिए आर्डर सरकार द्वारा दिया गया था और उसे सरकारी उच्चतम पदाधिकारियों ने—प्रधान मंत्री ने भी—मंजूर किया था।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को विश्वास है कि वहां पर लगायी हुई मूर्ति पूर्णरूपेण ठीक है ?

डा० एम० एम० दास : मैंने कहा है कि इसे उच्चतम सरकारी पदाधिकारियों ने भी मंजूर किया है।

नौसेना की विमान शाखा

*१९१८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है कि जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक टुकड़ी की स्थापना की जाए जो भारतीय नौसेना के लिए एक विमान शाखा के केन्द्र के रूप में काम करे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का रूप क्या है और उसकी व्याप्ति क्या है ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में कोचीन बन्दरगाह का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली टुकड़ी १९५३ में स्थापित की गयी थी। इसका मुख्य कार्य विमानभेदी तोपखाने तथा नौसेना विमान कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य प्रकार के अभ्यासों और कार्यों में आई० एन० फ्लोटिल्ला (भारतीय नौसेना बेड़ा) के साथ सहयोग करना है।

(ग) इस योजना में कोचीन बन्दरगाह का लाभ उठाना सम्मिलित नहीं।

इसके सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि इसी विषय का एक प्रश्न संख्या ११९४, १८ मार्च, १९५५ को पूछा गया था अधिक जानकारी के लिए माननीय सदस्य उसी के उत्तर को देखें।

सरदार इकबाल सिंह : क्या नौसेना के लिए एक परिपूर्ण विमान पार्श्व बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

डा० काटजू : इस दिशा में अभी अभी कार्य प्रारम्भ किया गया है। यह मैं अभी नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा।

सरदार इकबाल सिंह : इस सम्पूर्ण हवाई बेड़े की स्थापना में कितना समय लग जाएगा ?

डा० काटजू : इसका उत्तर देना कठिन है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या एक विमान वाहक-पोत खरीदने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

डा० काटजू : नहीं, अभी नहीं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गत मास जारी किए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा-लेख्य को पढ़ा है जिसमें ऐसा कहा गया है कि चार वर्षों के अन्दर ही एक ऐसी नवीन नौसेना स्थापित की जायगी जो कि वाम वर्षक कमान के एक प्रतिरूप के रूप में काम करेगी ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने मुझे पुस्तिका दी है। मैंने उसे पढ़ लिया है।

भूमि को किराये पर देने और बेचने वाला विभाग

*१९२०. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री २८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि को किराये पर देने और बेचने वाले विभाग के पास बाकी बचे हुए भूमि-प्रतिकर दावों को निपटाने के लिए बनायी गयी समिति का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और भूमि को किराये पर देने और बेचने वाले विभाग को बन्द कर दिया जाएगा ?

रक्षा उपमंत्र (सरदार मजीठिया) : तदर्थ समिति के स्थान पर एक स्थायी समिति नियुक्त की जा रही है जो कि अप्रैल, १९५५ के मध्य से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। समिति को अपना कार्य पूर्ण करने में ६ से १२ मास तक समय लगेगा। भूमि को किराये पर देने और बेचने वाले विभाग को पूर्णरूपेण अथवा उसके किसी भाग को समाप्त कर देने के प्रश्न पर उसके उपरान्त विचार किया जाएगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस समिति के लिए ऐसे उपनिदेशक को नियुक्त किया जाए जिसे कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव हो, क्योंकि इसमें भारी रक़मों के दावों के बारे में निर्णय करने होते हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने कहा है तदर्थ समिति के स्थान पर एक स्थायी समिति नियुक्त की जा रही है, और उसमें नियुक्त किए गए पदाधिकारी पूर्णरूपेण योग्य हैं और यह कार्य करने की दृष्टि से उन्हें पर्याप्त अनुभव है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि उस समिति में कुछ ऐसे छोटे उपसचिवों को नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के प्रश्न पूछने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक शिल्पिक ढंग का कार्य है, क्या सरकार की ऐसी प्रस्थापना है कि इस समिति में शिल्प की दृष्टि से योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने कहा है, नियुक्त किए गए पदाधिकारी को इस प्रकार का पर्याप्त ज्ञान है और वह सारा कार्य सुचारु रूप से कर सकेगा।

नागार्जुनकोंडा में खुदाई

*१९२१. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनकोंडा (आन्ध्र) में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की खुदाई के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है, और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार की ऐसी प्रस्थापना है कि वहां पर प्राप्त हुई वस्तुओं को इसलिए रक्षित किया जाए, कि नन्दीकोंडा बांध के पूर्ण हो जाने के उपरान्त यह क्षेत्र पानी में डूब जाएगा ; तथा

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) बौध धर्म की पांच प्राचीन संस्थापनाएं खोद कर निकाली गयी हैं। कुछ एक स्तूपों, मठों और स्तम्भों पर आधारित मण्डपों का भी अनावरण हुआ है।

(ख) जहां तक सम्भव हो सकता है।

(ग) सुरक्षित और उचित स्थानों पर जिनके विषय में यथा समय निर्णय कर लिया जाएगा।

डा० रामा राव : क्या माननीय मंत्री अथवा माननीय सभा सचिव ने उन खोदी हुई वस्तुओं के महत्व के बारे में निरीक्षण करने के उद्देश्य से उस स्थान का दौरा किया है।

डा० एम० एम० दास : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उस स्थान का दौरा करना चाहता हूं।

डा० रामा राव : क्या इन सभी वस्तुओं को उस स्थान के निकट ही रक्षित करने के उद्देश्य से पहाड़ी की चोटी पर एक संग्रहालय बनाने की सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। भाग (ख) के उत्तर में मैंने कहा था कि यहां से प्राप्त होने वाली सभी प्रदर्शनीय वस्तुएं एक रक्षित समुचित स्थान पर रखी जाएंगी—और इस स्थान का निर्णय यथा समय किया जाएगा।

डा० रामा राव : क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि इन प्राचीन वस्तुओं को कलकत्ता अथवा और किसी दूर स्थान के संग्रहालय में ले जाया जाएगा ?

डा० एम० एम० दास : इसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रघुरामैया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक जितने क्षेत्र की खोदाई की गयी है, वह उस सारे क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है जहां पर प्राचीन खण्डहर विद्यमान है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उस क्षेत्र की और अधिक खुदाई करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए जाएंगे ?

डा० एम० एम० दास : बांध के निर्माण में चार पांच वर्ष लग जाएंगे। इन चार पांच वर्षों में खुदाई का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

कैन्टीन भांडार विभाग

*१९२४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भत्ते के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार के नियम लागू होते हैं ;

(ग) क्या कर्मचारी संघ की ओर से भत्तों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, अथवा कौन सी कार्यवाही करने का उसका विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जब कैन्टीन सामान विभाग का कोई कनिष्ठ कर्मचारी तीन मास से अधिक समय के लिए एक ज्येष्ठ कर्मचारी के स्थान पर काम करता रहता है तो उसके साधारण वेतन के अतिरिक्त उसे कार्यकारी भत्ते के रूप में उसके वेतन का दस प्रतिशत और भी दिया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि कैन्टीन सामान विभाग को वाणिज्यिक घोषित कर दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं । उसे वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं उनका ध्यान इस सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९६ की ओर आकर्षित कर सकता हूं, जब उन्होंने यह घोषणा की थी कि उसे वाणिज्यिक ढंग पर चलाया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : उसे वाणिज्यिक ढंग पर चलाया जा सकता है, पर उसे वाणिज्यिक संस्था नहीं घोषित किया गया है । उस समय मैंने यह कहा था कि वह संस्था सरकार के अधीन नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि वह एक सरकारी विभाग नहीं है तो कुछ कर्मचारियों को क्यों सरकारी दर से पैसे चुकाये गये जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारियों को वेतन में १,००० रुपये से अधिक की हानि हुई है और सरकार ने इन लोगों को क्यों सरकारी कर्मचारी समझा जबकि पहले से ही यह घोषणा हो गयी है कि उसे वाणिज्यिक ढंग पर चलाया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं समझा गया पर हम उनका वेतन सरकारी कर्मचारियों के वेतन के आधार पर बराबर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

जापानी मछुवे

*१९२५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान द्वीप के तट पर अभी हाल में कुछ जापानी मछुओं को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) किन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार ने अब तक उन मछुओं से किसी को मुक्त किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) ३४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से २ चीनी और शेष ३२ जापानी हैं।

(ग) इन ३४ मछुओं को (१) बिना अनुज्ञप्ति के अंदमान के पास समुद्र में मछली पकड़ते ; और (२) भारत गणराज्य की सीमा में सीमा क्षेत्र के असैनिक प्राधिकार की अनुमति बिना प्रवेश करते, पाया गया था।

(घ) जी नहीं। वह कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी जेल में सजा काट रहे हैं और मई, १९५५ में उन्हें मुक्त कर दिया जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या चीन सरकार के हस्तक्षेप के बाद चीनी मछुओं को मुक्त कर दिया गया था ?

श्री दातार : उन्हें बिल्कुल छोड़ा नहीं गया है। यह लोग अब भी सजा भोग रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या परीक्षण के समय इन जापानी और चीनी मछुओं को, जो न तो अंग्रेजी जानते थे, न अन्य कोई भारतीय भाषा, द्विभाषिये आदि की को वैधानिक सुविधायें दी गयी थीं ?

श्री दातार : मैं समझता हूं, ऐसी सुविधायें अवश्य दी गयी होंगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं। इस प्रश्न को जारी रखने से कोई लाभ नहीं, वह सजा भोग रहे हैं।

संपदा शुल्क

*१९२६. **श्री रघुबीर सहाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पदा शुल्क कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन को भेजे गये पदाधिकारियों ने प्राप्त प्रशिक्षण के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जी हां। उनमें से प्रत्येक ने एक प्रतिवेदन भेजा है।

श्री रघुबीर सहाय : कुछ समय पूर्व माननीय वित्त मंत्री ने गत वर्ष सम्पदा शुल्क की कम प्राप्ति के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता प्रकट की थी क्या इन प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के आ जाने के बाद आय बढ़ने वाली है ?

श्री एम० सी० शाह : इस बात का इन कर्मचारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आय की प्राप्ति धनी व्यक्तियों की मृत्यु पर निर्भर है। प्राप्तियां तो उन्हीं व्यक्तियों से होंगी जिनकी सम्पदाओं से भुगतान होना है अधिनियम में भी हमने व्यवस्था की है कि प्राप्तियां ६ महीनों तक होंगी। यह भी एक कारण था जिससे गतवर्ष प्राप्ति कम रही। अधिनियम १५ अक्तूबर से लागू हुआ।

श्री रघुबीर सहाय : इन प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को कौन सा विशेष कार्य सौंपा जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह : वास्तव म सम्पदा शुल्क के निर्धारण का कार्य विभिन्न श्रेणियों के आयकर पदाधिकारी, वह आयकर पदाधिकारी जो सहायक आयुक्त और प्रथम श्रेणी के आयकर पदाधिकारी थे, कर रहे थे अब इस कार्य को इन सभी आयकर पदाधिकारियों में बांट दिया गया है और सम्पदा शुल्क के निर्धारण के लिए अलग से पदाधिकारी नहीं हैं।

श्री रघुबीर सहाय : इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर सरकार को कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी ?

श्री एम० सी० शाह : इन पदाधिकारियों को कोलम्बो योजना के अधीन भेजा गया था अतः उन पर बहुत थोड़ा धन व्यय किया गया।

बैंक

*१९२८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से बैंकों और व्यापारी संस्थाओं ने अपने उच्च वेतन-भोगी कर्मचारियों का वेतन इतना बढ़ा दिया है कि नवीन करारोपण प्रस्थापनाओं का उन पर प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, क्या सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) अभी तक सरकार को जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार यह बात सही नहीं मालूम पड़ती ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व जूनियर कमीशन-प्राप्त पदाधिकारी

*१९२९. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ और उसके पूर्व रक्षा विभाग से सेवा-युक्त भूतपूर्व जूनियर कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों को दी जाने वाली संग्रहीत उपदान राशि के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदारमजीठिया) : मार्च १९४६ में निकले आदेशों के अनुसार संग्रहीत निवृति-वतन और उपदानों की स्वीकृति उन जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों के लिए दी गयी है जो युद्ध पूर्व सेवा शर्तों के अनुसार रखे गये थे और जिन्हें सैनिक सेवा से ८ मई, १९४५ को या उसके बाद अनियंत्रित कारणों से या निम्न स्तर में रहने की उनकी अनिच्छा के कारण, अलग किया गया था। सरकार का विचार उन जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को संग्रहीत उपदान देने का नहीं है जो १९४६ में निकले आदेशों के अधीन नहीं आते अतः उनके मामलों के भुगतान में विलम्ब होने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सशस्त्र बलों का भारतीयकरण

*१९३१. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र बलों के तीनों विभागों का भारतीयकरण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कब तक इस कार्य के पूरे हो जाने की आशा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सशस्त्र बल के तीनों विभागों के भारतीयकरण में काफ़ी प्रगति हो चुकी है ।

सना में ब्रिटिश अफसर और अन्य श्रेणी सैनिकों की संख्या फरवरी १९४८ में ४१० और ६८ क्रमशः से मार्च १९५५ में १४ ब्रिटिश अफसर और १ अन्य श्रेणी सैनिक रह गई है ।

नौ-सेना में रायल नेवी अफसरों और एडमिरेल्टी के असैनिकों की संख्या जुलाई १९४९ में १२९ से मार्च १९५५ में ३३ रह गई है ।

वायु सेना में भी इसी तरह दिसम्बर १९४९ में २० सैनिक अफसरों और ३८ असैनिकों में से मार्च १९५५ में केवल ३ व्यावसायिक सैनिक अफसर और २२ असैनिक प्रशिक्षक रह गये हैं ।

इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि सभी पदों पर कब तक भारतीय नियुक्त किये जाएं ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दौरान में कोई नये विदेशी लोग भी मुलाजिम रखे गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस में से बहुत से नये रखे गये हैं । हमारे पास आदमी नहीं हैं और इसलिए जहां आवश्यकता होती है वहां बाहर से लेने पड़ते हैं । यह आते हैं, चले जाते हैं

और उनके स्थान पर दूसरे आते हैं। इस प्रकार से विदेशी लोग बदलते रहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी चार दिन पहले यह घोषित किया गया है कि भारतीय सामुद्रिक सेना के लिए चीफ आफ स्टाफ के पद पर एक नये ब्रिटिश वाइस एडमिरल को नियुक्त किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति की जा रही है, और क्या यह निश्चित है कि उनके बाद कोई भारतीय अफसर ही इस पद पर नियुक्त किया जायगा ?

श्री सतीस चन्द्र : अभी तो दो साल से कुछ अधिक के लिए उनकी नियुक्ति की जा रही है।

सेना में पदोन्नति

*१९३५. **श्री राम दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के सभी विभागों में पदोन्नति का एक कालक्रम लागू कर दिया गया है ; और

(ख) क्या यह कालक्रम जनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों के मामले में भी लागू होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं। पदोन्नति का कालक्रम केवल थोड़े से मामलों के ही लिए है—जैसे मेजर के पद तक के नियमित चिकित्सेतर पदाधिकारियों के मामले।

(ख) जहां तक जूनियर कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, काल-क्रम पदोन्नति इस समय केवल कुछ क्लर्क जमादारों की हुई है।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जे० सी० ओ० किस तनख्वाह से शुरू करते हैं और वह ज्यादा-से-ज्यादा क्या तनख्वाह ले रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : वेतन वह अपने वर्गीकरण के अनुसार पाते हैं, जो उनके ट्रेड के अनुसार होता है और यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें तो उन्हें जानकारी दूंगा।

शिल्पिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्

*१९३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने १९५४ में अपनी सिफारिशें पेश की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १९**]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने परिषद् की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

डा० एम० एम० दास : इनमें से कुछ सिफारिशें प्रत्यक्ष रूप से अनुदान, आदि के विषय में भारत सरकार से सम्बन्धित हैं और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : किन मुख्य सिफारिशों को भारत सरकार तुरन्त कार्यान्वित करना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उसमें साइक्लोस्टाइल में छपे तीन पृष्ठ हैं और सिफारिशों की संख्या बहुत अधिक है। यदि किसी विशेष सिफारिश के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जाय तो मैं दे सकता हूं।

श्री आर० एस० दीवान : क्या सरकार राज्य सरकारों के द्वारा वितरण प्रारम्भ

करना चाहती है या गैर सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक भिन्न प्रश्न है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार खड़गपुर संस्था के ढंग पर अन्य प्रदेशों में भी टेकनोलॉजिकल संस्थायें खोलना चाहती है, और यदि हां, तो कितनी ?

डा० एम० एम० दास : इस बात पर विचार किया जा रहा है ; हो सकता है कि हम इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले सकें या न ले सकें।

हिन्दी का प्रचार

*१९३७. **श्री [एम० एल० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) हिन्दी के विकास के लिये केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये अनुदानों में से उन राज्यों द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) हिन्दी के प्रसार के लिये इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है ;

(ग) चालू वर्ष के लिये उन्होंने क्या कार्यक्रम बनाया है और इस प्रयोजन के लिए कितना धन स्वीकृत करने का विचार है ;

(घ) क्या इन राज्यों में हिन्दी प्रचार के लिये कोई और परामर्शदात्री अथवा अन्य समितियां बनाई गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी समितियां हैं और उन्हें क्या काम सौंपा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ङ) इसका विवरण सभा के सामने रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो विवरण सभा के पटल पर रखा गया है, उसमें हैदराबाद, आन्ध्र, मनीपुर और काश्मीर, इन स्टेट्स का नाम कतई नहीं आया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन रियासतों में इसका काम नहीं चल रहा है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं चल रहा है ?

डा० एम० एम० दास : इस विशेष योजना के अधीन इन राज्यों को कोई राशि नहीं स्वीकृत की गयी है। इसी कारण इनका नाम नहीं दिया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विवरण से यह पता चलता है कि उन राज्यों के नाम भी दिये गये हैं जिनमें कोई राशि नहीं व्यय की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चार स्टेट्स हैं, यहां पर क्या कोई काम नहीं किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): नहीं, इससे सिर्फ यह निकलती है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी स्कीम अभी नहीं आई है या उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन स्टेटों में हिन्दी का कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री केशवैयंगार : विवरण में मैं देखता हूं कि स्तम्भ (क) में मैसूर राज्य के सम्बन्ध में केवल "कुछ व्यय नहीं" बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी के विकास के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया था और राज्य ने कुछ भी व्यय नहीं किया, अथवा क्या केन्द्र ने कोई राशि स्वीकृत की थी पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया ?

डा० एम० एम० दास : राशि स्वीकृत की गयी थी पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुदान की राशि क्या है ?

डा० एम० एम० दास : आंकड़े हमारे पास यहां नहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास : जो रुपया इस समय भिन्न भिन्न राज्यों में खर्च हो रहा है क्या उतना भी आगे खर्च करने का इरादा है या धीरे धीरे यह रुपया बढ़ाया जाने वाला है ?

मौलाना आज़ाद : जी हां, यह तो बराबर जारी रहेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए क्या कोई केन्द्रीय संस्था या कोई केन्द्रीय समिति बनाई गयी है या बनाई जा रही है और जो हिन्दी-भाषी राज्य हैं, क्या उनसे सहायता ली जा रही है ?

मौलाना आज़ाद : यह स्टेट गवर्नमेंटों पर छोड़ दिया गया है कि जिस एजेन्सी से वह चाहें काम लें।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार राज्यों से व्यय का प्रतिवेदन प्राप्त करती है ? क्या वह इस बात की भी देख भाल करती है कि धन किस प्रकार व्यय किया जाता है ? क्या सरकार को पता है कि हिन्दी के अध्यापकों को केवल १५ या २० रुपये मासिक मिलता है और इस सम्बन्ध में एक शिकायत भी है ?

डा० एम० एम० दास : इन सभी बातों के सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है कि वह मनमाने ढंग से हिन्दी के प्रचार का कार्य आगे बढ़ाये।

पूर्त संस्थायें

*१९३८. **श्री विभति मिश्र** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्त तथा धार्मिक धर्मस्वों के सम्बन्ध में कोई विधान बनाने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय में ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) और (ख). सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों के पूर्त तथा धार्मिक धर्मस्वों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है। सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि इन धर्मस्वों के लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है या नहीं।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार सभी धर्मों के रेलीजस इंडाउमेंट्स के लिए एक कानन बनायेगी या केवल हिन्दुओं के लिए ही बनायेगी ?

श्री पाटस्कर : सभी धर्मों से सम्बन्धित धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी मंगाई जा रही है, और जब वह प्राप्त हो जायेगी, तब विचार किया जायेगा कि क्या देश में सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए विस्तृत विधेयक बनाया जाय।

श्री विभूति मिश्र : यह जो केन्द्रीय सरकार कानून बनायेगी तो बहुत सी स्टेट सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में जो क़ानून बनाये हैं, उनका क्या होगा ?

श्री पाटस्कर : केन्द्र द्वारा क नून बनाते समय उनको भी ध्यान में रक्खा जायगा और यह देखा जायगा कि उनमें क्या बदलाव करना है या नहीं करना है।

नैपाली छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१९३९. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में नैपाली छात्रों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ; और

(ख) क्या १९५५–५६ में इस संख्या को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५३–५४ में ७६, १९५४–५५ में ११८।

(ख) नहीं।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि इन छात्रवृत्तियों के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है ?

डा० एम० एम० दास : ये छात्रवृत्तियां सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दी जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों का मूल्य मैंने आज ही एक दूसरे प्रश्न के सिलसिले में सभा में बताया है।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये छात्रवृत्तियां भिन्न भिन्न विषयों के लिये हैं और वे कौन से विषय हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उन छात्रों को विशिष्ट विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो वह विश्वविद्यालय कौन से हैं ?

डा० एम० एम० दास : कोई खास विषय नहीं हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय को छात्र अपनी इच्छा से चुन सकते हैं और वे अपनी इच्छानुसार किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में जा सकते हैं।

श्री राधा रमण : यदि अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे नैपाल लौटते हैं, तो क्या नैपाल सरकार उन्हें उज्ज्वल भविष्य वाली नौकरियां देती है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न नैपाल सरकार से पूछा जाना चाहिये।

भूतपूर्व आजादहिन्द फौज कर्मचारी

*१९४१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ फरवरी, १९५५ तक आजाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों को सेना में नियमित अथवा अस्थायी कमीशन दिये गये हैं ;

(ख) क्या उनकी नयी सेवा में आजाद हिन्द फ़ौज की सेवायें सम्मिलित की जायेंगी और

(ग) क्या उनका वेतन अभी जो भत्ते आदि उन्हें मिल रहे हैं, उनके अतिरिक्त होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को ७ नये सिरे से कमीशन ४ स्थायी और ३ अल्पसेवा नियमित कमीशन दिये गये हैं।

(ख) केवल उनके मामले में जिन्हें आई० एन० ए० में भर्ती होते समय भारतीय सेना में नियमित कमीशन प्राप्त थे और अब जिन्हें स्थायी नियमित कमीशन मंजूर किये गये हैं, आई० एन० ए० की सेवा सेवा-निवृत्ति वेतन उपदान के लिये गिनी जायगी।

(ग) नये सिरे से कमीशन दिये जाने के बाद उनको सामान्य क्रम पर वेतन और भत्ते दिये जाते हैं, परन्तु शर्त यह है —

(१) पहले की गई सेवा के सम्बन्ध में दिया गया कोई भी निवृत्ति-वेतन रोक दिया जाता है ;

(२) पहले की सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त कोई उपदान १२ मासिक किश्तों में वापस लौटाना होता है, यदि पदाधिकारी उपयुक्त हो और उसके लिए ऐसी सेवा का अन्तिम सेवा पुरस्कार के लिये गिनाने का इच्छुक हो।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी सेवा भंग की किस प्रकार परिमर्ष किया गया है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया, यदि वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आता

है कि भारतीय सेना में सम्मिलित होते समय वह नियमित पदाधिकारी था, तो उसे सभी लाभ प्राप्त होंगे।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि यह अफ़सर जितने दिन आज़ाद हिन्द फ़ौज में रहे, उतना समय उनकी नौकरी के लिये नहीं जोड़ा जा रहा है, मैं जान सकता हूं कि इसका क्या कारण है और क्यों यह फ़र्क किया गया है ?

सरदार मजीठिया : मैंने जवाब दे दिया है कि जो रेगुलर आफ़िसर्स हैं उनके मुताल्लिक यह जोड़ा जा रहा है।

विदेशी धर्म प्रचारक

*१९४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी धर्म प्रचारकों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि धर्म परिवर्तन सम्बन्धी उनकी कार्यवाहियों के बारे में इन धर्म प्रचारकों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, क्या नीति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ?

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई कार्यवाही करना और यह मालूम करना कि वे जैसा कि कहा गया है बलात् परिवर्तन हैं या नहीं हैं, राज्य सरकारों का काम है। अन्यथा, नीति उसी प्रकार है जैसी कि वह थी।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह कहा जाता है कि कुछ धर्म प्रचारकों ने आदिम जाति क्षेत्रों में, जो मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार के अधीन आते हैं, विध्वंसकारी कार्यों में भाग लिया है, क्या नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री दातार : जब कभी भी यह पाया जाता है कि किसी विदेशी धर्म प्रचारक ने राजनीति में टांग अड़ायी है या विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लिया, तो स्वयं यही बात ही हमारी शर्तों का उल्लंघन हो जाता है जिसके अधीन उसका भारत में रहना निर्भर होता है।

श्री जी० पी० सिन्हा : कितने मामलों में भारत स्थित विदेशी धर्म प्रचारकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

श्री दातार : यहां मेरे पास संख्या नहीं है, किन्तु जहां भी आवश्यक हुआ है कार्यवाही की गयी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने यह नीति बनायी है कि सीमान्त क्षेत्रों में विदेशी प्रचारकों को नहीं, अपितु केवल भारतीय धर्म प्रचारकों को ही कार्य करने की अनुमति दी जायें ?

श्री दातार : जहां तक भारतीय नागरिकों का प्रश्न है, वे विदेशी धर्म प्रचारक बिल्कुल नहीं हैं। भारतीय नागरिक संविधान द्वारा शासित होते हैं और सामान्य नियमों के अधीन वे जहां चाहें वहां जाने के अधिकारी हैं। जहां तक विदेशियों का सम्बन्ध है जब कभी यह पाया जाता है कि उनके कार्यों के आपत्तिजनक होने की सम्भावना हो सकती है, उन पर कुछ निर्बन्धन लगा दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सीमान्त क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी धर्म प्रचारकों पर कोई निर्बन्धन लगाये गये हैं ?

श्री दातार : जब भी आवश्यकता होती है यह निर्बन्धन लगाये जाते हैं ; एक नियम के तौर पर नहीं।

शारीरिक और मानसिक रूप में पंगु बालक

*१९४४. **श्री इब्राहीम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार भारत में (१) शारीरिक रूप से पंगु और (२) मानसिक रूप से पंगु बालकों की गणना कर रही है या करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में पंगु बालकों के लिए एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने जा रही है जिसके लिए गणना प्रतिवेदन आवश्यक होगा।

डा० एम० एम० दास : देहरादून में अन्धों के लिए एक केन्द्रीय माडेल स्कूल स्थापित करने की एक प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार के समक्ष है और उसके लिए भूमि अर्जित कर ली गयी है। इस कार्य के लिए कुछ धनराशि पृथक् रक्षित कर दी गयी है।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश में पंगु बच्चों के इलाज के लिये कोई संस्थाएं हैं, और यदि हां, तो वे कौन सी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि ये अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र से बहुत बाहर जा रहे हैं। प्रश्न केवल इससे सम्बन्धित है कि क्या सरकार ने कोई गणना की है अथवा करने की प्रस्थापना करती है। उत्तर नकारात्मक है। अतः इस प्रकार का प्रश्न अनुपूरक प्रश्न की तरह किस प्रकार पूछा जा सकता है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि प्रस्थापित बाल विधेयक को जो सभा के समक्ष आयेगा, दृष्टि में रखते हुए, सरकार उन खंडों को समस्या का पूरा चित्र हमारे समक्ष रखे बिना ही किस प्रकार कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय महिला सदस्य ने जिस विधेयक का उल्लेख किया वह भाग 'ग' में के राज्यों में ही लागू किया जायगा, भाग 'क' और भाग 'ख' में के राज्यों में नहीं। जहां तक भाग 'ग' में के राज्यों का सम्बन्ध है, हम देखेंगे कि हम उस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं।

छात्रवृत्तियां

*१९४५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में उन विद्यार्थियों को, जो वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी लेते हैं, कोई छात्रवृत्ति दी जाती है अथवा उनके शुल्क में कोई रियायत की जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख): इसका राज्य सरकारों से ताल्लुक है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस का राज्य सरकारों से ताल्लुक है, लेकिन केन्द्रीय सरकार से भी क्या इस तरह की सहायतायें दी जाती हैं और क्या राज्य सरकारों की कोई दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास आई हैं कि उनको इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और जो संस्थायें इसके लिये

कार्य करती हैं उनको अनुदान देती है। राज्य सरकारों को टोटल अनुदान सन् १९५४-५५ में.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या अनुदान के लिये राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रार्थना की गई है ?

डा० एम० एम० दास : इस विषय में मैं वाग्बद्ध नहीं हो सकता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, केवल एक सरकार की ओर से हमारे पास प्रार्थना आयी है।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष इस सम्बन्ध में कुछ अनुदान भिन्न भिन्न राज्य सरकारों और संस्थाओं को दिये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किन किन राज्यों और किन किन संस्थाओं को दिये गये ?

डा० एम० एम० दास : जो अनुदान दिये गये हैं वह हिन्दी के प्रचार के लिये हैं, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये नहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस कार्य के लिये दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार सभा ने सरकार को कोई दरख्वास्तें दी हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं सूचना चाहता हूं।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : वह भी राज्य सरकारों की योजना में सम्मिलित है।

विशेष पुलिस स्थापना

*१९४६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमें न्यायिक न्यायालयों ने विशेष पुलिस स्थापना के विरुद्ध १९५३ और १९५४ में मामलों की जांच पड़ताल के सिलसिले में किये गये उनके कृत और अकृत कार्यों के लिये उसकी निन्दा की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १९५३ में पांच मामलों में, और १९५४ में ६ मामलों में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जांच पड़ताल किये गये मामलों की आलोचना की गयी थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को विदित है कि ९ फरवरी, १९५३ को प्रधान प्रेसीडेन्सी दंडाधिकारी, कलकत्ता द्वारा निर्णीत मुकदमा संख्या ६/८३०, स्टेट बनाम बी० बी० कपूर और मोहन सिंह के मामले में प्रधान प्रेसीडेन्सी दंडाधिकारी ने यह कहा था कि यदि पुलिस विभाग को जानकारी देने वाले व्यक्तियों की यह दशा हो, तो वास्तव में सच्चे अपराधियों की जो अपराध करते हैं, क्या गति होगी ?

श्री दातार : इस विशिष्ट मामले में कही गई बात की यथार्थता पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं सभा को यह बता दूं कि जहां कहीं आलोचना न्यायोचित पायी गयी है वहां सरकार ने कार्यवाही की है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने उस विशिष्ट मामले की ओर ध्यान दिया है जिसका मैंने अपने मूल प्रश्न में निर्देश किया था जिसमें प्रधान प्रेसीडेन्सी दंडाधिकारी ने कहा था कि जिस प्रकार जांच की गई थी और किसी अपराध के सम्बन्ध में झूठी रिपोर्ट करने के अपराध में अभियुक्तों पर अभियोग चलाने का निर्णय किया गया था, उससे सारा अभियोग एक हास्य बन गया था ?

श्री दातार : माननीय सदस्य के प्रश्न में इस विशिष्ट मामले का कोई निदश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित् वह व्यक्तिगत मामला था ; वह भाग सम्भव है प्रश्न स्वीकार करते समय निकाल दिया गया हो।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि एम० ई० एस० कलकत्ता के दो एस० डी० ओ० ने अपने लड़कों के नाम में एक संस्था चालू की थी और लाखों रुपये का गबन किया था और दो व्यक्तियों द्वारा दी गयी जानकारी के फलस्वरूप उनसे बहुत बड़ी संपत्तियां बरामद की गयी थीं और इसके बावजूद भी इन सूचना देने वालों पर झूठी शिकायतें करने के अपराध में अभियोग चलाया गया था ?

श्री दातार : मैं इन आरोपों के बारे में जांच करूंगा ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने बताया कि जिन मामलों में आलोचना ठीक और उचित पाई गई थी उन में कार्यवाही की गयी है । इससे क्या हम यह समझें कि सरकार न्यायालयों के निर्णयों पर अपना निर्णय देने जा रही है ?

श्री दातार : सरकार के ऐसा करने का कोई प्रश्न नहीं है । जब कभी कोई न्यायालय या न्यायाधीश किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आलोचना करता है, तो प्रशासनिक रूप से यह मालूम करना हमारा कर्तव्य होता है कि तथ्य क्या हैं और वह आलोचना किस हद तक न्यायोचित है क्योंकि कुछ सामग्री कदाचित् न्यायालय के समक्ष न हो ।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से स्कूल सम्बन्धी उपकरण

*१९४७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्तराष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने १९५३ में भारत के माध्यमिक स्कूलों अथवा अन्य किन्ही संस्थाओं को कोई रेडियो सैट और कक्षाओं में काम आने वाले उपकरण दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें आम अवधि में यह उपकरण प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५३ में युनेस्को गिफ्ट कूपन योजना के अधीन अनेक माध्यमिक स्कूलों और अन्य संस्थाओं को रेडियो सेट, क्लासरूम उपकरण आदि प्राप्त हुए थे । यूनेस्को के नार्वेजियन नैशनल कमीशन से भी यूनेस्को के द्वारा रेडियो सेट प्राप्त हुए थे ।

(ख) उन संस्थाओं की सूची आदि, जिन्हें सहायता प्राप्त हुई है जैसा कि ऊपर कहा गया है, लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २१]**

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन संस्थाओं को यूनेस्को से सहायता प्राप्त हुई है उन्हें किस प्रकार चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : कुछ संस्थाओं को यूनेस्को के कार्यालय ने, जो दिल्ली में स्थित है, चुना था और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से चुने गये थे ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वे सभी संस्थायें जिन्हें रेडियो सेट मिले थे दिल्ली की हैं और कोई संस्था दिल्ली के बाहर की नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : जहां नार्वेजियन उपहारों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वे केवल दिल्ली के लिये ही थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह उपहार दिल्ली के लिये ही प्रथक रक्षित किये गये थे अथवा यूनेस्को समिति या मंत्रालय ने इस प्रकार का निर्णय किया था ?

डा० एम० एम० दास : मेरा ऐसा ही ख्याल है, श्रीमान् ।

अफ़ीम

***१९४८. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ से अफ़ीम की खेती और अफ़ीम के तैयार करने में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) १९५४ में कितनी अफ़ीम निर्यात की गयी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५३ से अफ़ीम की खेती में कोई वृद्धि नहीं हुई है । १९५३–५४ के अफीम वर्ष में जितने क्षेत्र में अफीम बोयी गयी थी और जितनी कच्ची अफीम तैयार की गयी थी वह दोनों ही १९५२–५३ के मुकाबले में कम थी । १९५४–५५ के अफीम वर्ष में अफ़ीम का बोया गया कृषि क्षेत्रफल १९५३-५४ की तुलना में कम रहा है । १९५४-५५ की फसल में तैयार की गयी कच्ची अफ़ीम के परिमाण के ठीक ठीक आंकड़े अभी कुछ महीने तक उपलब्ध नहीं होंगे ।

(ख) १९५४ में ७,०४५ मन अफ़ीम विदेशों को निर्यात की गयी थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र पूर्वारोप (प्रोटोकोल) का उद्देश्य अफ़ीम की आदत तथा अफ़ीम के अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष करना है ? यदि हां तो क्या भारत सरकार उस पूर्वारोप का पालन कर रही है ?

श्री ए० सी० गुह : हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से पूरा कर रहे हैं और मेरा विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भारत के कार्य से पूर्णतः सन्तुष्ट है ?

श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री के उत्तर से हमें पता चलता है कि अफ़ीम की खेती का क्षेत्रफल निरन्तर घटता जा रहा है । जो कमी हो रही है उसकी प्रतिशतता क्या है और क्या सरकार की नीति अफ़ीम की खेती के क्षेत्रफल को निरन्तर कम करते रहने की है ?

श्री ए० सी० गुह : हां, सरकार की नीति अफ़ीम की खेती के क्षेत्रफल को लगभग चालीस हजार एकड़ तक कम कर देने की है । हम इसकी खेती को उतनी परिमात्रा तक ही सीमित रखेंगे जितनी कि हमें चिकित्सा प्रयोजनों तथा निर्यात के लिये आवश्यक होगी ।

श्री डाभी : अफ़ीम का निर्यात किन देशों को किया जाता है और क्या सरकार इस बात का निश्चय करती है कि जो अफ़ीम निर्यात की जाती है उसका उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिये ही किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुह : कम से कम हमें तो यही मालूम है, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि अफ़ीम किन देशों को जा रही है, परन्तु हमें यही ज्ञात है कि अफ़ीम का निर्यात चिकित्सा प्रयोजनों के लिये ही किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र पूर्वारोप का पालन कर रही है । सरकार ने अपने नियंत्रण को अग्रेतर बढ़ाने के लिये क्या किया है और कितने वर्ष में सरकार खाई जाने वाली अफ़ीम की खपत को पूर्णतः समाप्त कर सकेगी ?

श्री ए० सी० गुह : हमारा लक्ष्य १९५९ तक देश में अफ़ीम की खपत को बिल्कुल बन्द कर देना है ।

मुद्राओं का दशमिकन

***१९४९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मुद्रा के दशमिकन की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी मंत्रालयों से उसकी वित्तीय तथा वाणिज्यिक उपलक्षणाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मत को जानने का भी प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) इस प्रणाली के कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां।

(ख) नाप और तोल की मीट्रिक पद्धति तथा मुद्रा के दशमिकन की उपलक्षणाओं का अध्ययन करने के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति स्थापित की गई है। इस प्रस्थापना की जांच योजना आयोग द्वारा भी की जा रही है।

(ग) राज्य सरकारों से १९४५ में परामर्श किया गया था।

(घ) यह तो बताना सम्भव नहीं है कि यह पद्धति भारत में कब से लागू की जायेगी, परन्तु निकट भविष्य में कोई निश्चित विनिश्चय करना सम्भव हो सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं को जान सकता हूं। क्या सभी राज्य सरकारें या उनमें अधिकांश इस बात पर सहमत हो गई हैं कि हमारी तौल तथा मुद्रा पद्धति का दशमिकन कर दिया जाये ?

श्री ए० सी० गुह : लगभग सभी राज्य सरकारें इससे सहमत हैं। केवल दो राज्य सरकारें सहमत नहीं हुई हैं। प्रस्थापना यह है कि नाप तथा तोल में भी दशमिक (मीट्रिक) पद्धति लागू की जाये। हमारा विचार यह है कि मुद्रा के दशमिकन के पहले नाप तथा तोल का दशमिकन किया जाये।

डा० राम सुभग सिंह : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्थापनायें इस दशमिक पद्धति पर ही आधारित होंगी ?

श्री ए० सी० गुह : दशमिक पद्धति में भी रुपये का मूल्य वही रहेगा। इसलिये मुद्रा के दशमिकन के कारण पंचवर्षीय योजना के प्राक्कलन तैय्यार करने में मेरी समझ में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस का प्रभाव केवल अठन्नी, चवन्नी या उससे छोटी मुद्राओं पर ही पड़ेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या महात्मा गांधी ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी नाप तथा तोल के वर्तमान पैमाने सोलह भागों में विभक्त हैं, दशमिक पद्धति के अपनाये जाने का विरोध किया था ?

श्री ए० सी० गुह : प्रश्न का दूसरा भाग सभी को विदित है। इतने पर भी यह स्वीकार किया जाता है कि दशमिक पद्धति ज्यादा अच्छी पद्धति है। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मुझे महात्मा गांधी के ऐसे किसी विचार का ज्ञान नहीं है।

सैनिक अधिकारी

*१९५०. **श्री जो० पो० सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व १९५४ में अवकाश ग्रहण करने वाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों की संख्या कितनी है और १९५५ में अवकाश ग्रहण करने वालों की संख्या कितनी होगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सैनिक अधिकारियों के अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु ५५ वर्ष नहीं है। विभिन्न रैंकों तथा विभिन्न प्रकार के कमीशनों के लिये अनिवार्य अवकाश ग्रहण की विभिन्न उम्र निर्धारित की गई हैं।

१९५४ में ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले लेफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे ऊपर की रैंक के सैनिक अधिकारियों की संख्या पांच है । दस अधिकारियों के १९५५ में अवकाश ग्रहण करने की आशा की जाती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन को कम आयु में ही अवकाश ग्रहण करना पड़ता है क्या इन के लिये किन्हीं वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने की या इन को असैनिक नौकरियों में खपाने की कोई प्रस्थापना है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक असैनिक नौकरियों का सम्बन्ध है यह प्रश्न ही बिल्कुल दूसरा है । परन्तु सभा को ज्ञात है कि ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अवकाश ग्रहण करने पर भी इन अधिकारियों को इतनी पेंशन मिलती है जितनी कि किसी असैनिक कर्मचारी को नहीं मिलेगी ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भारत सरकार को अवकाश ग्रहण किये हुए अधिकारियों की ओर से अन्य क्षेत्रों में फिर से सेवायुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां कहीं भी उनको रखा जा सकता है उसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । परन्तु सरकार ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है कि प्रत्येक के लिये कोई न कोई व्यवस्था की ही जायेगी ।

कैन्टीन भांडार विभाग

***१९५३. श्री राम दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह नया वेतन क्रम, श्रेणीवार, क्या है जो कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों के लिये हाल में ही लागू किया गया है ; और

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन-क्रम में कितनी वृद्धि की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २२**] विवरण संख्या २ से मालूम होगा कि अधिकांश मामलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन क्रम में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि नये स्केल के जारी होने के बाद उनकी तादाद क्या है जिनकी तनख्वाह के अंदर कमी हुई है और बड़ी से बड़ी क्या कमी है ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम दास : इस स्टेटमेन्ट से मालूम होता है कि जनरल मैनेजर की जो तनख्वाह है वह रिवाइज़ कर के २००० से २२५० हो गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि आया इसको आप डिपार्टमेन्ट में से तरक्की देते हैं या बाहर से लोग लाये जाते हैं और अगर बाहर से लोग लाये जाते हैं तो इसका क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सभापति तथा सामान्य प्रबन्धक का निर्देश कर रहे हैं । यह सच है कि उसका वेतन हाल में बढ़ा कर—श्रेणी बढ़ा दी गयी है—२,२५० रुपये कर दिया गया है । स्थिति यह है कि चूंकि यह विशेष योग्यता का पद है, हम ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों को खोजने का प्रयत्न करते हैं जो अपने कार्य को कुशलता-पूर्वक कर सकें । इसीलिये इस पद को विज्ञापित किया जा रहा है और हम किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने की आशा करते हैं ।

श्री राम दास : क्या इस काम के लिये कोई कमेटी मुक़र्रर है या एक आदमी फैसला करता है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, इस का निर्णय करने के लिए एक समिति है ।

श्री अमजद अली : प्रशासन की दृष्टि से क्या इन अधिकारियों पर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम लागू होते हैं ?

सरदार मजीठिया : कैन्टीन स्टोर्स विभाग एक स्वतन्त्र स्वायत्तशासी निकाय है जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और यह अधिकार प्रायः उन्हीं नियमों से प्रशासित होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

श्री अमजद अली : क्या उनको भी वेतन तथा पेंशनें पाने का अधिकार होगा जैसा कि अन्य सरकारी विभागों में होता है ?

सरदार मजीठिया : पेंशन के लिये नहीं हमने अभी इसके सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया है। यदि ठीक ठीक कहा जाये तो, जैसा कि मैं पहले एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मैं इस मास के अन्त तक यूनियन के प्रतिनिधियों से भेंट करने वाला हूं और तब इस सारे प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुरातत्व प्रदर्शनी

*१९०५. **श्री हेडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के विभिन्न भागों में पुरातत्व प्रदर्शनियां आयोजित करने की कोई योजना है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं।

सहायकों की भर्ती

*१९०८. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों प्रत्येक में से अभी तक कितने अभ्यर्थी चुने गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अभी तक कोई नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती की परीक्षा जुलाई १९५५ में होगी।

सेवा-निवृत्ति नियम

*१९११. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुसचिवीय कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति करने के उद्देश्य से १९५४ में नियमों में कोई नया संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार). (क) तथा (ख). अनुसचिवीय कर्मचारियों की अतिवयस्कता आयु सम्बन्धी नियमों में १९३८ से कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारियों की जो ६० वर्ष की आयु तक सेवायुक्त रखे जाने के पात्र हैं, उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये बनाई गई प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले नियमों के अन्तर्गत ५५ और ६० वर्ष की आयु के बीच सेवायुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में कुछ अनुदेश जारी किये गये हैं। इन अनुदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २३]

माध्यमिक शिक्षा आयोग

*१९१२. **श्री गिडवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के परिपालन के लिये कोई धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो किसको ; और

(ग) ३१ जनवरी, १९५५ तक वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) हां, जहां तक बहुप्रयोजनीय स्कूलों को स्थापना तथा सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित सिफ़ारिशों का सम्बन्ध है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को अनुदान दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान १८ मार्च, १९५५ के श्री डाभी के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। चूंकि प्रगति प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है इसलिये ३१ जनवरी, १९५५ तक राज्यों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि अभी ज्ञात नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का हिन्दी माध्यम

*१९१७. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के पास इस आशय का एक पत्र भेजा है कि १९६० से भारतीय प्रशासनिक या अन्य सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा का माध्यम हिन्दी रखा जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी; और

(ग) क्या ऐसा पत्र भेजने से पहले सरकार से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं। इस विषय सम्बन्धी एक पत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को भेजा गया था।

(ख) सरकारी पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति

*१९१९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की गई गोखाला समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सहयोगकर्त्ताओं, यदि कोई हो तो उनके नाम क्या हैं ? ; और

(ख) यदि ऐसे कोई सदस्य समिति में नहीं हैं तो उनके न होने के कारण क्या हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति के एक सदस्य प्रोफ़ेसर डी० आर० गाडगिल एक विख्यात गैर-सरकारी सहयोगकर्त्ता हैं, तथा बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक संचालक हैं। श्री वेंकटप्पया जो एक और सदस्य हैं, रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के, जिसमें सहकारी ऋण भी सम्मलित है, कृषि ऋण उपविभाग के प्रभारी हैं।

मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पानी का अभाव

*१९२२. **श्री अमर सिंह डामर:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पानी के अभाव को दूर करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां, । तीन लाख रुपये की लागत से १५० कुऐं बनवाने की एक योजना कार्य परिणित हो रही है और १९५५–५६ के अन्त तक उसके पूरे होने की सम्भावना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मृत्यु दण्ड

*१९२३. **श्री मुरारका** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में सैनिक न्यायालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया गया ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने कमाण्डर इन-चीफ या राष्ट्रपति के समक्ष पुनर्वाद प्रस्तुत किये ; और

(ग) इनमें कितने पुनर्वाद स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत (पृथक् रूप से) ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५२, १९५३ तथा १९५४ में चार व्यक्तियों को जनरल कोर्टस मार्शल द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया ।

(ख) चारों ने राष्ट्रपति के समक्ष पुनर्वाद प्रस्तुत किये ।

(ग) दो मामलों में पुनर्वाद स्वीकृत हुए और मृत्यु दण्ड को आजन्म कारावास के दण्ड में बदल दिया गया । अन्य दो पुनर्वाद अस्वीकृत हुए ।

कार्यपालिका पद

*१९३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एसी प्रशासनिक कार्यवाही करने का विचार कर रही है ताकि २३ वर्ष से कम आयु के विवाहित व्यक्ति का कार्यपालिका पदों पर नियुक्त किये जाने के पात्र नहीं होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आयुध कर्मचारी

*१९३२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि जम्मू और काश्मीर में स्थित आयुध फ़ील्ड डीपो संख्या १ और संख्या २ के असैनिक कर्मचारियों को भत्ते, सेवा की शर्तों आदि के सम्बन्ध में भारत के अन्य आयुध फ़ील्ड डीपो के कर्मचारियों के समान स्तर पर नहीं समझा जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर में स्थित आयुध फ़ील्ड डीपो के असैनिक कर्मचारियों को वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों और दशाओं के सम्बन्ध में जम्मू और काश्मीर से बाहर स्थित आयुध फ़ील्ड डीपो के असैनिक कर्मचारियों को समान स्तर पर समझा जाता है, सिवा इसके कि जम्मू और काश्मीर के बाहर आयुध फ़ील्ड डीपो के कुछ कर्मचारी भारतीय आयध कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान देते हैं जब कि जम्मू और काश्मीर के कर्मचारियों को ऐसा करने की अनमति नहीं है । जम्मू और काश्मीर के बाहर और भीतर स्थित आयुध फ़ील्ड डीपो के असैनिक कर्मचारियों के लिये एक सी दशायें और शर्तें निर्धारित करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

ध्वनि तथा चित्र द्वारा शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड

*१९३३. श्री एन० राचय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ध्वनि तथा चित्र द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों के लिये दो वर्ष और उनकी पुनः नियुक्ति पर कोई निर्बन्धन नहीं है ।

सरकारी कर्मचारी

*१९४०. श्री हेडा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अनुसचिवीय कर्मचारियों ने ५५ से ६० वर्ष आयु के बीच के कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा के चालू करने के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) अभ्यावेदन पर सावधानी से विचार किया गया है ; और पहले जारी किये गये आदेशों को संशोधित न करने का निर्णय किया गया है ।

पिछड़े वर्गों का उत्थान

*१९४३. चौ० रघुबीर सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये उत्तर प्रदेश को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कथित् पिछड़े वर्गों के लिये अब तक कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं । संविधान के अनुच्छद ३४० के अधीन स्थापित किये गये पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन अभी हाल में प्राप्त हुआ है और इस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के पश्चात पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार की जायेगी इस बीच कुछ अनुदान खासकर अस्पश्यता निवारण के लिये भूतपूर्व दांडिक जातियों के कल्याण के लिये जिन्हें अनसूचित जातियों के तौर पर नहीं समझा गया है, और कतिपय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये, जिन्हें पहले पिछड़े क्षेत्रों के रूप में नहीं माना गया है, दिये गये हैं । इन पदों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक कुल २९.६५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ।

राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन

*१९५१. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन द्वारा किये गये निर्माण-उद्योगों के नमूना परिमाप और बचत करने वालों के अधिमान परिमाप से अब तक प्राप्त हुए परिमापों को दिखाया गया हो ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : बचत करने वालों का अधिमान परिमाप पूर्ण हो गया है ; प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया है, किन्तु उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय को शीघ्र ही उपलब्ध की जायेंगी ।

निर्माण-उद्योग परिमापों के दौरान में इकट्ठा किये गये आंकड़ों की अभी तालिकायें बनायी जा रही हैं । प्रतिवेदन की प्रतियां तैयार हो जाने पर संसद् के लिए उपलब्ध की जायेंगी ।

छावनियों में आवास

*१९५२. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि छावनी क्षेत्रों में मकान-मालिकों को अनिवार्य रूप से अपने

मकान सैनिक प्राधिकारियों को किराये पर देने पड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, जब छावनी (गृह आवास) अधिनियम, १९२३ के अधीन ऐसा करना आवश्यक होता है ।

(ख) छावनियां मुख्यतया सैनिक कर्मचारियों के निवास के लिये होती हैं और सरकार छावनियों में स्थित अधिकतर भूमि की मालिक होती है । अतः स्टेशन ऑफिसर कमांडिंग को उपरोक्त अधिनियम के अधीन, आवश्यकता पड़ने पर सैनिक पदाधिकारियों के आवास के लिए आवश्यक मकानों के अर्जन की शक्ति दी गयी है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*१९५४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के लिए कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): विषय विचाराधीन है ।

लिग्नाइट से तेल

*१९५५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि लिग्नाइट (भूरे कोयले) से तेल निकाला जा सकता है, कोई परीक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर तेल निकालने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) दिगवाडीह में फ्युएल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दक्षिण अर्काट के लिग्नाइट के नमूनों पर केवल प्रयोगात्मक परीक्षण किये गये हैं । लिग्नाइट से संश्लेषित तेल बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त परिणाम अपूर्ण है । अधिक बड़े और प्रतिनिधिक नमनों पर अभी अग्रेतर व्यवस्थित परीक्षण किया जाना है ।

(ख) यह अभी नहीं बताया जा सकता है ।

भूतपूर्व सैनिक

*१९५६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९४७ से कितने भूतपूर्व सैनिक नियमित सेना और प्रादेशिक सेना में पुनः नियक्त किये गये है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५४ तक की अवधि में ९९,३३२ भूतपूर्व सैनिक नियमित सेना में और ४,८०८ प्रादेशिक सेना में पुनः नियुक्त किये गये हैं ।

खतरनाक औषधियां

*१९५७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९४७ से खतरनाक औषधियों की सूची में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी औषधियों की आज तक की सूची सभा पटल पर रखेगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). हां, श्रीमान्

खतरनाक औषधियों की आज तक की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २५]

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी

*१९५८. { डा० राम सुभग सिंह : श्री नम्बियार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग ३०० कर्मचारियों ने अपना वेतन न लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके इस निश्चय के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन कारणों पर विचार किया है ; और

(घ) सरकार कहां तक इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) मांगी गई जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २६]

उत्पादन-शुल्क पदाधिकारियों का निलम्बन

*१९५९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५२ से १९५४ तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के पटना कलक्ट्रेट के सर्किल में कितने पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को निलम्बित किया गया ;

(ख) प्रत्येक पदाधिकारी कितनी अवधि के लिए निलम्बित रहा ; और

(ग) कितने मामलों में अभी निर्णय नहीं हुआ है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २७]

चूने की खान

५७६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार राज्य में रांची जिले के सिमदगा सब-डिवीज़न में तमारा गांव की पहाड़ी के पास एक चूने की खान का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान्। अभी हाल में भारत के भूतत्वीय परिमाप ने सिमदगा सब-डिवीजन का परिमाप किया है। अब तक किये गये परिमाप से यह मालूम होता है कि वह क्षेत्र अधिकतर ग्रेनाइट-नीस से, जिसमें मूल चटानें माइका-शिष्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट आदि थोड़ी मात्रा में मिले हुए हैं, ढका हुआ है। यह प्रतिवेदित किया गया है कि उस क्षेत्र में चूना कहीं नहीं है। चूर्णीय ग्रंथिकाएं जो प्रत्यक्ष रूप में माइका-शिष्टों के भीतर पाये जाने वाले कलकेरियस फ्लैग्ज से निकली है, यहां स्थानीय रूप से दिखायी पड़ती है। ऐसी ग्रंथिकाएं स्थानीय चून को जलाने के लिए काम में लाया जाने वाला सामान्य कच्चा माल है।

रक्षा कर्मचारी

५७७. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उद्योग में कुशल और अकुशल कर्मचारियों और स्थायी रूप से और

अस्थायी रूप से सेवायुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) प्रत्येक उपरोक्त श्रेणी में कितने कर्मचारी अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) और (ख). यह जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है । वह एकत्र की जायगी और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

इम्पीरियल बैंक की शाखायें

५७९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री ११ सितम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के इम्पीरियल बैंक की १३ शाखायें उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर खोली गई हैं ; और

(ख) शेष आठ शाखायें किन किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). जो बातें पूछी गयी हैं उनका उत्तर इस प्रकार है :—

उन स्थानों के नाम जहां इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा खोली गयी है।	खलन की तारीख
१ आजमगढ़	२–१–१९५३
२ बहराइच	२२–१०–१९५१
३ बलिया	११–११–१९५२
४	११–११–१९५२
५ बिजनौर	१–६–१९५४
६ बदायूं	२–१२–१९५२
७ गोंडा	११–११–१९५२
८ लखीमपुर खीरी	२–१२–१९५२
९ मैनपुरी	११–११–१९५२
१० मिरज़ापुर	१–७–१९५३
११ पीलीभीत	२–३–१९५३
१२ रुड़की	१–१२–१९५३
१३ शाहजहांपुर	११–११–१९५२

उन स्थानों का नाम जहां ३०–६–१९५६ तक इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा खोलने का विचार है।
१ बांदा
२ देवरिया
३ फतेहपुर
४ गाजीपुर
५ हरदोई
६ जौनपुर
७ मवाना
८ उन्नाव

देवरिया में इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा १ फ़रवरी, १९५५ को खोल दी गयी है ।

युद्ध सामग्री के कारखाने

५८०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय युद्ध सामग्री के कारखानों में नागरिकों के उपयोग की वस्तुयें बनाने की व्यवस्था करने के फलस्वरूप कितनी सामग्री प्रति वर्ष तैयार होने की सम्भावना है और इस कार्य के कारण कितने व्यक्ति काम पर लगे हैं और लगाये जायेंगे ;

(ख) नागरिकों के उपयोग की वस्तुयें बनाने की जो व्यवस्था की गई है उस के सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रों के लिये सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या यह राशि रक्षा विभाग के कोष से दी जाती है अथवा किसी अन्य कोष से, यदि किसी अन्य कोष से दी जाती है तो किस से ; और

(घ) ऐसी वस्तुओं की बिक्री से अभी तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है और ऐसी वस्तुओं के विक्रय मूल्य और उत्पादन व्यय में कितने प्रतिशत का अन्तर है और इस अन्तर का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९५४-५५ में ३४० लाख से अधिक की लागत का माल बनने की आशा है। आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में यह निकास और भी अच्छा हो जायेगा।

इस समय असैनिक व्यापार सम्बन्धी कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या लगभग ७,००० है। यदि काम बढ़ा तो यह संख्या भी बढ़ेगी।

(ख) और (ग). इस कार्य के लिये कारखाना वार कोई राशि नियत नहीं की गई है। अतिरिक्त खर्च के लिये बजट में वित्तीय उपबन्ध किया गया है। यह खर्च बनाये सामान को बेच कर निकाल लिया जाता है।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में आर्डनेंस फैक्टरियों में किये गये असैनिक कार्य का मूल्य यह है :—

(लाखों में)

१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५
७२.७८	१७५.००	३४०.०० (लगभग)

बेचे गये सामान का मूल्य उस पर आई बनाने की लागत और बाजार के वर्तमान भावों को ध्यान में रखते हुए आंका जाता है। यदि कुछ लाभ हुआ है तो उसका विस्तार अभी पूरी तरह से प्राप्य नहीं है।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

५८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल सरकार ने दार्जिलिंग की पर्वतारोहण संस्था को ५,००० रुपयों की सहायता दी है ; और

(ख) क्या इस संस्था के विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) अभी तक नेपाल सरकार से १०,००० रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

(ख) इस संस्था ने अभी ही कार्य करना आरम्भ किया है। अभिप्राय यह है कि वास्तविक अनुभव होने पर इसका विकासन किया जाये।

ऐच्छिक शिक्षा संगठन

५८२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५२ से प्रत्येक ऐच्छिक शिक्षा संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है और किस उद्देश्य के लिए ; और

(ख) कितने संगठनों ने सहायता के लिए आवेदन किया था और कितने संगठनों को वह सहायता अस्वीकार कर दी गयी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

राज्यों को ऋण

५८३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य को बिना ब्याज के कितना ऋण मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना के लिए और ऋण बिना ब्याज के मंजूर करने का विचार करती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया जायगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १९५१–५२,-१९५२–५३ और १९५३–५४ में राज्यों को मंजूर किये गये बिना ब्याज के ऋणों के दिखाने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २८**] १९५०-५१ और १९५४–५५ के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जायगी और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) अगली पंचवर्षीय योजना के प्रतिरूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

औद्योगिक वित्त निगम

५८४. { **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री टी० बी० विट्ठल राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने १ दिसम्बर, १९५४ से ३१ जनवरी, १९५५ तक कितने ऋण स्वीकृत किये तथा किन उद्योगों को यह ऋण स्वीकृत किये गये ; और

(ख) कितने आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) इस अवधि में निगम द्वारा इन औद्योगिक संस्थाओं को सात ऋण स्वीकृत किये गये।

(१) स्टील एण्ड एलाइड प्रौडक्ट्स, लिमिटेड, कलकत्ता।

(२) कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लिमिटेड, मद्रास।

(३) कपिला टैक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड, मैसूर।

(४) एसोसिएटेड पिगमेंट्स, लिमिटेड, कलकत्ता।

(५) सरस्वती शूगर सिन्डीकेट, लिमिटड, अम्बाला।

(६) जयपुर मैटल्स तथा इलैक्ट्रिकल्स लिमिटड, जयपुर।

(७) प्रवर सहकारी शक्कर कारखाना, लिमिटेड, अहमदनगर।

(ख) दस।

ताज महल

५८५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५४ तक पिछले तीन वर्षों में, ताज महल के संधारण पर कितनी धन-राशि व्यय हुई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) १९५२–५३ में ५६,३१७ रुपये ९ आने ३ पाई १९५३-५४ में ६६,३१५ रुपये १४ आने ३ पाई, और १९५४–५५ में ३९,२५० रुपये १५ आने ६ पाई ३१ दिसम्बर, १९५४ तक।

आदिवासी

५८६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ में मिदनापुर, दार्जिलिंग जलपाईगडी तथा कूच-बिहार जिलों में आदिवासियों के लिये कितने स्कूल थे तथा ३१ दिसम्बर १९५४ को उनकी संख्या क्या थी; और

(ख) इन क्षेत्रों के आदिवासी विद्यार्थियों को १९५४–५५ में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : प्रश्न में वर्णित विषय का सम्बन्ध प्रथमतः पश्चिमी बंगाल सरकार से है।

गोलकुन्डा का क़िला (हैदराबाद)

५८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलकुन्डा के क़िले की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) १९५४–५५ के लिये २६,८०० रुपये का उपबन्ध था ।

तस्कर व्यापार

५८८. **श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर १९५४ में कितने तस्कर व्यापारियों को भारतीय पुलिस ने गोली से मार डाला है ;

(ख) क्या कुछ तस्कर व्यापारी पकड़े भी गये हैं, तथा यदि हां, तो कितने ; और

(ग) उनसे कितने मूल्य की वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४ में पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर बारह तस्कर व्यापारी गोली से मारे गये । यह सभी व्यक्ति पुलिस से हुई मुठभेड़ों में मारे गये हैं । पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर इस प्रकार की किसी दुर्घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है !

(ख) कुल मिला कर पुलिस ने सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । इन में से दो व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका है।

(ग) जो व्यक्ति गोली से मारे गये हैं तथा जो पकड़े गये हैं उनसे क्रमशः ३,७७१ रुपये और ३,९५४ रुपये के मूल्य की वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ।

पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम

५८९. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम को अजमेर तथा दिल्ली राज्यों में कितनी अवधि के लिये लागू किया गया है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कितने अभियोग चलाये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम हुए हैं; और

(ग) कितने मामलों में अधिनियम की धारा ९ लागू की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम, १९४९ अजमेर अथवा दिल्ली में क्रमशः १५ अगस्त, १९५१ तथा १५ अक्तूबर, १९५१ से लागू नहीं है ।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २९]**

केन्द्रीय अधिनियम

५९०. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय अधिनियमों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो १९५३ तथा १९५४ में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्ति परस्तात् घोषित किये गये;

(ख) ये अधिनियम किस सीमा तक शक्ति परस्तात् घोषित किये गये थे; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लम्बित है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) और (ख). अभी तक मध्य भारत, भोपाल, त्रावनकोर-कोचीन, विन्ध्य प्रदेश,

सौराष्ट्र तथा अजमेर से सूचना प्राप्त हुई है। कोई भी केन्द्रीय अधिनियम इन राज्यों के उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायिक आयुक्त न्यायालय जो भी हो, द्वारा शक्ति परस्तात् घोषित नहीं किया गया है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

१९५३ तथा १९५४ में उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन केन्द्रीय अधिनियमों—शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी (आपत उपबन्ध) अध्यादेश तथा अधिनियम, १९५०, पाकिस्तान से सामूहिक आगमन (नियंत्रण) अधिनियम, १९४९ की धारा ७, तथा आय काराधान (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारायें ५(१) तथा ५(४)—को शक्ति परस्तात् घोषित किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सरकारी कर्मचारी

५९१. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पदाधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मूलतः पाकिस्तान का विकल्प किया था परन्तु बाद को भारत आ गये; और

(ख) ऐसे पदाधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो प्रथम विकल्प पर भारत आ गये थे तथा बाद में पाकिस्तान चले गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इस प्रकार के व्यक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सरकार को सूचना नहीं है। ४,९३९ व्यक्तियों ने, जिन्होंने अन्तिम रूप से पाकिस्तान के लिये विकल्प किया था, इस आधार पर कि वे भारत वापस आ गये थे, भारत में पुनः सेवायक्त किये जाने के लिये आवेदन किया था।

(ख) जिन व्यक्तियों ने भारत के लिये अन्तिम रूप से विकल्प दिया था परन्तु बाद को पाकिस्तान चले गये थे, उनकी संख्या लगभग १२,०० है।

हैदराबाद मुद्रा

५९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य में, १ अप्रैल, १९५५ से हाली सिक्का मुद्रा को परिचालन से पूर्णतया वापस ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, इस वापस ली गई मुद्रा की कुल रकम कितनी है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां। परन्तु जो हाली सिक्का परिचालन में रह गया हो उसको भारतीय मद्रा से बदल लेने की सुविधा इस तिथि के बाद ३१ मार्च, १९५६ तक हैदराबाद राज्य बैंक के सभी कार्यालयों तथा हैदराबाद सरकार के सभी कोषों तथा उप-कोषों में दी जायेगी।

(ख) ३१ मार्च, १९५३ जबकि ओ० एस० ४२.१२ करोड़ रुपय परिचालन में थे तथा ५ मार्च, १९५५ के बीच जब ओ० एस० ३५.२८ करोड़ रुपये वापस ले लिये गये हैं।

गृह तथा राज्य मंत्रालयों का एकीकरण

५९३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गह-कार्य मत्रालय में एकीकरण होने से पूर्व, राज्य मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को गह-कार्य मंत्रालय में उसी स्तर-वेतन तथा उत्संज्ञा आदि पर रखा गया है अथवा उन्हें गृह-कार्य मत्रालय में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों से कनिष्ठ माना गया है;

(ख) उनमें से कितने अपने पूर्व पदों पर प्रत्यागत कर दिये गये हैं ; और

(ग) एकीकरण से पूर्व राज्य मंत्रालय में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय में लिये गये राज्य मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों को समान पदों पर तथा उन्हीं वेतनों पर जो उनको राज्य मंत्रालय में प्राप्त हो रहे थे नियुक्त किया गया था।

(ग) एकीकरण से पूर्व राज्य मंत्रालय में २४ घोषित पदाधिकारी तथा २२५ अघोषित कर्मचारी थे।

रिजर्व बैंक

५९४. ठाकुर युगल किशोर सिंह: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत के रक्षित बैंक के वर्तमान निदेशकों के नाम उनके पूर्ववृत्त तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ;

(ख) निदेशकों की नियुक्ति करने से पूर्व सरकार किन बातों पर विचार करती है ; और

(ग) क्या सरकार रक्षित बैंक के प्रबन्ध तथा नियंत्रण में अंगभूत सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधान की अनुमति देने का विचार करती है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, १९३४ की धारा ८ के उपबन्धों के अनुसार गवर्नर, दो उप-गवर्नर तथा एक सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त भारत के रक्षित बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित १० निदेशक हैं। इन दसों निदेशकों के नाम, प्रत्येक की नियुक्ति तिथि तथा उनके व्यवसाय आदि के विषय में एक टिप्पण देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) रक्षित बैंक के निदेशक जनता के ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिनको वित्तीय, बैंकिंग तथा आर्थिक विषयों का पूर्ण ज्ञान होता है। कुछ निदेशक पुराने तथा सुस्थापित व्यापारिक संस्थाओं के निदेशक हैं अथवा रह चुके हैं, तथा अन्य देहाती आर्थिक अवस्थाओं के ज्ञाता अर्थ शास्त्री और सहकर्ता हैं।

(ग) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा ९ (१) में सहकारी बैंकों के स्थानीय बोर्ड में प्रतिनिधान के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है तथा कार्य से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को स्थानीय बोर्डों में नाम-निर्देशित किया जाता है। कथित अधिनियम की धारा ८ (१) (ख) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से एक सदस्य को केन्द्रीय बोर्ड में नाम-निर्देशित किया जाता है।

शीघ्र लिपिक

५९६. श्री आर० के० चौधरी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त से आये विस्थापित शीघ्र लिपिकों को जो प्रतिनिधान दिया गया है वह उनको सिंध से आये विस्थापित आशुलिपिकों के समान स्तर पर लाने के लिये दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रान्तों तथा केन्द्रीय सचिवालय में वेतन क्रमों में विभिन्नता होने पर भी विस्थापित शीघ्र लिपिकों को सचिवालय के शीघ्र लिपिकों के समान स्तर पर लाने के लिये कोई प्रतिनिधान नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार की यह राय थी कि उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त के कर्मचारियों को सिंध के कर्मचारियों की तुलना में केवल इस कारण से ही कोई हानि नहीं होनी चाहिये कि उनके वेतन क्रम मुख्यतः वित्तीय कारणों से कम थे। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इन दोनों भूतपूर्व प्रान्तों के समान पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों का काम लगभग एक जैसा ही था। परन्तु केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्न है। सरकार की सदा से यह राय रही है कि केन्द्रीय सरकार पदों की प्रान्तीय राज्य सरकारों के पदों से तुलना करना न तो उचित है और न संभव ही है।

सरकारी नौकरी में विदेशी नागरिक

५९७. **डा राम० सुभग सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह बतलाने वाले आंकड़े हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में कितने विदेशी नागरिक नौकरी कर रहे हैं और वह किन-किन देशों के राष्ट्रजन हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे आंकड़े क्या हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार ऐसे आंकड़े संग्रह करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कब तक उन आंकड़ों का संग्रह कर लेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) केन्द्रीय और "ग" राज्य सरकार के आधीन नागरिक पदों पर विदेशियों की १-१२-५४ तक की संख्या उस विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३१]** "क" और "ख" राज्यों की वैसी ही सूचना अभी हमारे पास नहीं है।

(ग) यह सूचना एकत्र करने से केन्द्रीय सरकार का कोई लाभदायक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि "क" और "ख" राज्यों के पदों को नियुक्ति का अधिकार केवल उनको ही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चुनाव याचिकायें

५९८. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहन्**
श्री सी० आर० चौधरी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद् के चुनावों की कितनी चुनाव याचिकायें अभी तक चुनाव न्यायाधिकरणों के समक्ष निलम्बित हैं ;

(ख) उनमें से कितनी १९५२ में प्रस्तुत की गई थीं ; और

(ग) उनके निपटाये जाने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) संसद् के चुनावों से सम्बन्धित चुनाव याचिकायें.....४

(ख) १९५२ में प्रस्तुत.....२

(ग) चार चुनाव याचिकाओं में से तीन के सम्बन्ध में निर्णय देने में देरी न्यायाधिकरण के समक्ष अग्रेतर सुनवाई के रोक दिये जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के कारण हुई है। चौथी १९५४ में प्रस्तुत की गई थी तथा चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष इसकी सुनवाई हो रही है।

बुनियादी स्कूल

५९९. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बुनियादी स्कूलों की संख्या जो कृषि कताई तथा बुनाई की बुनियादी दस्तकारी के रूप में शिक्षा देते हैं ; और

(ख) क्या इन स्कूलों से प्राप्त परिणामों का वैज्ञानिक आधार पर अनुमान लगाया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना मुख्यतया राज्य सरकारों का विषय है ।

दिल्ली पुलिस

६००. **श्री राधा रमण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के व्यक्तियों के लिये कोई प्रतिशतता निश्चित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिशतता क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). घोषित पदों के अतिरिक्त, जिनके लिये पंजाब और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों में से ५० : ५० के अनुपात से भर्ती की जाती है, कोई प्रतिशतता निश्चित नहीं की गई है ।

सेना आयुध निकाय संस्थापन

६०१. **श्री राम दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सेना आयुध निकाय संस्थापनों में कार्य-भार बहुत कम हो गया है ; और

(ख) सितम्बर १९५४ से प्रारम्भ होने वाले पिछले छै महीनों में इन संस्थाओं में प्रति दिन आये तथा वहां से भेजे गये माल डिब्बों की औसत संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) क्रमशः ११२ और ११५ माल डिब्बे ।

सेना आयुध निकाय

६०२. **श्री राम दास :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना आयुध निकाय के वर्ग (क) और (ख) में क्रमशः कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफ़सरों की संख्या क्या है ; और

(ख) सेना आयुध निकाय में कमीशन प्राप्त अफ़सरों की संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) **वर्ग 'क'** गोला बारूद परीक्षक ५० ।
वर्ग 'ख' लिपिक जी डी, लिपिक भांडार और भंडारी प्रविधिक ।

लिपिक जी डी	१२३
लिपिक भांडार	१५८
भंडारी (प्रविधिक)	३८७
	६६८

(ख) ८२४ ।

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

सत्यमेव जयते

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . .	३१५७
श्री राघवाचारी .	३१५८—५९
श्री अच्युतन . . .	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग सख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर .	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	३६२४—३६४१
श्री डाभी	३६२४—३६२५
श्री तुलसीदास	३६२५—३६२७
श्री के० सी० सोधिया	३६२७—३६२९
श्री बंसल	३६२९—३६३१
श्रीमती जयश्री	३६३१—३६३२
श्री टेक चन्द	३६३२—३६३३
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . .	३६३३—३६३४
श्री ए० सी० गुहा	३६३४—३६४१
खंड २ से १४	३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू . . .	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी . . .	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी . . .	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी . . .	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी . . .	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी . .	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री एस० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

स्तम्भ

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . ३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त . . . ३८१७—३८२२
खड १ से ५ . . . . . ३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी . . . ३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . ३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . . ३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . ३८७९—३८८८

संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . . ३८८९—३८९२

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . . ३८९२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना . ३८९२—३८९५

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग . . . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ३८९५—३९६४

संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . ३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय ३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	३९८७—४०२४

जाति भेद उन्मूलन विधेयक—

विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

असमाप्त . . .	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त . .	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त. .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल . .	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि . .	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन . . .	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह . . .	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर . . .	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८--४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८--४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८--४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . ४१७३--४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा ४१७३--४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३--४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित . ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम् . . .	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे .	४२४४—४२४६
श्री बंसल . .	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी . .	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४
संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	४३४५—४३४६
सभा का कार्य—	४३४६—४३५०
समय-नियतन का आदेश	४३५०—४३५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४३५१
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४३५१—४३८०
श्री डी० सी० शर्मा	४३५१—४३५४
श्री टंडन	४३५४—४३६२
श्री एम० सी० शाह	४३६२—४३८०
खंड २ से ३०	४३८०—४५८६
संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५	
श्री डी० डी० पन्त का निधन	४५८७—४५९०

आनुक्रमणिका

१—८४.

लोक--सभा

मंगलवार ५ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोतर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग अनिधनियम के अधीन अधिसूचना इत्यादि ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या २१(३)—टी० बी०/५४, दिनांक २४ मार्च, १९५५ ; और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पत्र संख्या टी० सी०/आई० डी०/ई०/८८/काम्प/५३/एच० टी० आई, दिनांक २ मार्च, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एस ११०/५५]

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी ४ अप्रैल, १९५५ की बैठक में, दस घंटे संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक के लिये, दो घन्टे समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक के लिये तथा आधा घण्टा वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक के लिये दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की है । वर्तमान सत्र में किये जाने वाले महत्वपूर्ण सरकारी विधान सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कार्यक्रम के लिये समय निकालने के हेतु समिति ने सिफारिश की है कि सभा २३ अप्रैल, ३० अप्रैल, २ मई, ३ मई तथा ४ मई को भी अपनी बैठक करे । इन दिनों में प्रश्नों का घण्टा नहीं होगा ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि यह सभा सरकारी विधान सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा किये गये समय नियतन से जैसा कि आज अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया गया है, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा सरकारी विधान सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किये गये समय नियतन से जो कि आज मेरे द्वारा

[अध्यक्ष महोदय]

घोषित किया गया है, समहत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अस्पृश्यता अपराध विधेयक के लिये आपने आठ घन्टे का समय आवंटित किया था । यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आठ घण्टे का नियतन किया भी जा चुका है ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की *मांगे

उत्पादन मंत्रालय संबंधी मांगें

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में बहुत से वक्ताओं द्वारा इस मंत्रालय के गत वर्ष के कार्य की सराहना की गई है । इसके लिये हम उनके आभारी हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक हमारे मंत्रालय के भावी कार्यक्रम का सम्बन्ध है उनकी प्रशंसा हमारा प्रोत्साहन देगी । कुछ सदस्यों ने हमारे काम की आलोचना भी की है परन्तु उन्होंने भी हमारे कुछ कार्यों की सराहना की है । मैं उनका भी आभारी हूं । हमारी प्रशंसा की जाये या आलोचना हम किसी प्रकार भुलावे में नहीं आने वाले हैं और हम उत्साह के साथ नये नये उपक्रमों की खोज में लगे रहेंगे ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

इस मत्रालय के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत ही भ्रांतिपूर्ण विचार फैले हुये हैं । उदारहण के लिये बहुत से सदस्यों का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योग, चाहे वे चालू उद्योग हों या नये स्थापित किये हुये हों, इसी मंत्रालय के अनन्य क्षेत्राधिकार में आते हैं । बात ऐसी नहीं है । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी तथा एलेक्ट्रोनिक फैक्टरी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में हैं, चितरंजन लोकोमोटिव फ़ैक्टरी तथा पेराम्बूर स्थित इन्टीगरल कोच फैक्टरी रेलवे मंत्रालय के अधीन हैं । बंगलौर की टेलीफोन फैक्टरी संचार मंत्रालय के अधीन है । बात ऐसी नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के सभी नये उपक्रम अनन्य रूप से उत्पादन मंत्रालय के ही अधीन होंगे । अभी हाल में देश में एक और इस्पात का कारखाना स्थापित करने के लिये इगलैंड के हितों से वार्ता करने का उत्तरदायित्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया है । यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह निजी क्षेत्र में होगा या सार्वजनिक क्षेत्र में । मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि यह सार्वजनकि क्षेत्र में होगा और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय उसे चलायेगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास तीव्र गति से आरम्भ होने वाला है । इतने भारी विकास कार्य का सम्पूर्ण दायित्व कोई एक मंत्रालय नहीं संभाल सकता है । इसलिये यह दायित्व दो तीन और मंत्रालयों को भी सौंपा जायेगा । यह बताना इसलिये और भी आवश्यक है क्योंकि कुछ सदस्यों ने कहा है कि उत्पादन मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अब हमारा लक्ष्य समाजवादी ढंग का समाज है और समाजवादी ढंग के समाज पर आधारित कल्याण राज्य स्थापित करने के लिये उत्पादन मंत्रालय को यथासम्भव सभी प्रयत्न करने चाहिये । परन्तु इतना भारी दायित्व केवल उत्पादन मंत्रालय के ही कंधों पर नहीं

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत ।

कुछ सुझाव दिये गये हैं कि उत्पादन मंत्रालय अमुक नये नये उद्योग स्थापित करने के प्रयत्न करे। उदारहण के लिये नंदी कोंडा या उसके निकट एक सीमेंट कारखाना स्थापित करे, गंधक, क़ागज, तथा सोडा ऐश का उत्पादन करे इत्यादि। उत्पादन मंत्रालय जिन उद्योगों को संभाल रहा है उनकी एक सूची उत्पादन मंत्रालय के प्रतिवेदन में दी गई है। इनके अतिरिक्त और कौन से उद्योग उत्पादन मंत्रालय को संभालने पड़ेंगे यह बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर और इस कार्यक्रम पर निर्भर करती है कि किस मंत्रालय को कौन सा उद्योग सौंपा जायेगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी मूल उद्योग उत्पादन मंत्रालय को ही सौंपे जायें। इसलिये विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र को एक लकीर खींच कर निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है।

आरम्भ से ही टाटा और टिस्को जैसे गैर-सरकारी एकक तथा भद्रावती के जैसे राज्य उपक्रम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में थे। यह ठीक है कि नये संयंत्रों के स्थापित करने का दायित्व उत्पादन मंत्रालय ने अपने ऊपर लिया है।

जहां तक सोडा ऐश का सम्बन्ध है सरकार ने अब तक इस की आवश्यकता नहीं समझी है कि सरकारी क्षेत्र में भी सोडा ऐश उद्योग आरम्भ किया जाये। इसके लिये तीन अनुज्ञप्तियां—एक बिहार में, एक सौराष्ट्र में और एक दक्षिण में—गैर-सरकारी समवायों को दी गई हैं।

इतना सब होते हुये भी आशा यही है कि सरकारी क्षेत्र के यदि सब उद्योगों का नहीं तो अधिकांश का दायित्व उत्पादन मंत्रालय पर ही होगा।

अब मैं उन करारों के सम्बन्ध में कहूंगा जो इन उद्योगों को स्थापित करने के लिये विभिन्न समवायों के साथ गये हैं जैसे कि पोतकार के लिये एक फ्रांसीसी समवाय से किया गया क़रार तथा मशीनी औज़ारों के कारखाने के लिये ओअरलोकोन्स के साथ किया गया क़रार इत्यादि। तेल शोधन कारखाने के लिये किये गये करारों के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों के मन में कुछ शंकायें हैं, जैसे श्री एच० एन० मुकर्जी को यह सन्देह है कि हम विदेशी पूंजी को भारत में आने और उसे यहां अपना आधिपत्य जमाने का अवसर दे रहे हैं। उन को इस बात में भी सन्देह है कि इन तेल शोधक कारखानों से हमारे देश का कोई भला भी हो रहा है। दूसरी ओर उन का यह आशय प्रतीत होता था कि ऐसा करना देश के हितों के लिये घातक होगा। यह स्मरण रखा जाना चाहिये कि अधिकांश करार चार या पांच वर्ष पूर्व किये गये थे। उस समय की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। यदि आज हम कोई तेल शोधक करार करते हैं तो यह सम्भव है कि हमने इन शोधक समवायों द्वारा समस्त पूंजी का विनियोजन किये जाने की बात पर विश्वास न किया होता। इन सभी करारों में भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य भारत के हितों की रक्षा करना रहा है। यदि माननीय सदस्यों को यह आशंका है कि हम किसी अन्य देश के हितों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं तो यह उन का भूल है। हमें सदैव उन परिस्थितियों तथा समय को, जिस वक्त कि कोई क़रार विशेष किया गया था, ध्यान में रखना होगा। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अभी हम पदार्पण ही कर रहे हैं। औद्योगिक रूप से विकसित देशों के उदारहण को लीजिये। मैं सोवियट रूस का उदारहण लेता हूं जिसने अपने उद्योगों को प्रायः शून्य से विकसित करना प्रारम्भ किया था और यह सभी जानते हैं कि यह काम उस को विदेशी सहायता पर इसके

[श्री के० सी० रेड्डी]

लिये निर्भर रहना पड़ा था और उसने अपने उद्योगों के विकास के लिये विदेशी सहायता लेने में संकोच नहीं किया था ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण–पूर्व): क्या माननीय मंत्री का आशय यह है कि वह विदेशी विनियोजन पर निर्भर रहा था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं केवल यह बता रहा था कि औद्योगिक रूप से पिछड़े सभी देशों को विदेशी प्रविधिक सहायता अथवा विदेशी अनुभव और कभी कभी यदि आवश्यक हुआ तो विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

श्री मघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : सोवियत सरकार ने कोई ४० लाख पौण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी विनियोजन नहीं लिया था ।

श्री के० सी० रेड्डी : कम से कम ४० लाख पौण्ड तो लिया ही था । वास्तविक रकम कितनी थी यह वाद-विषय नहीं है । मैं तो सामान्य स्थिति को बता रहा हूं ।

जहां तक तेल शोधक क़रारों का सम्बन्ध है, वास्तविकता यह है कि सरकार के दिमाग में यह बात थी कि देश को इन शोधक कारखानों की अतिशय आवश्यकता है । देश में इस प्रकार के तेल-शोधक कारखानों के ऐसे अनेक सस्थापन हैं । शोधित तेल के आयात पर निर्भर करने के स्थान पर कच्चे (अशोधित) तेल के आयात पर निर्भर करना अधिक लाभप्रद है । दूसरी बात यह है कि इन तेल-शोधक कारखानों का यह भी लाभ हुआ है कि इससे विदेशीय विनिमय में भारी बचत हुई है । कल माननीय सदस्य श्री एच० एन० मुकर्जी यह कह रहे थे कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि विदेशी विनिमय में कितनी बचत हो रही है ; उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि तेल-शोधक कारखानों ने उत्पादन-कार्य प्रारम्भ कर दिया है । मैं श्री मुकर्जी को यह बता देना चाहता हूं कि दो तेल-शोधक कारखानों ने उत्पादन-कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा उनसे उक्त सीमा तक विदेशीय विनिमय में बचत हो रही है ।

यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि ये तेल-शोधक कारखाने हमारे नवयुवकों को अनुभव प्रदान करने और विशेषकर रासायनिक उद्योगों में अनुभव प्रदान करने के प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में है ।

श्री बंसल (झज्जर—रेवाड़ी) : क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? इस समय कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री० के० सी० रेड्डी : मैं उनकी संख्या बता तो सकता हूं, परन्तु इन विस्तृत संख्याओं को बताने के लिये मेरे पास इतना समय नहीं है । तो भी, इसके सम्बन्ध में सीधा-सा उत्तर यह है कि जहां तक बर्मा शेलतेल-शोधक कारखाने का सम्बन्ध है, इसमें इस समय केवल ६० विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं, शेष लगभग ४०० अथवा ५०० कर्मचारी भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

उन साठ व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी कर्मचारी भारतीय राष्ट्रजन हैं । सभी कम्पनियों के बारे में हमने यही कार्यक्रम बनाया है कि विद्यमान विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय राष्ट्रजनों को नियुक्त किया जाये । उदाहरणार्थ हमें ऐसी आशा है कि आगामी तीन या चार वर्षों में लगभग ९६ या ९७ प्रतिशत कर्मचारी भारतीय राष्ट्रजन ही होंगे ।

उत्पादन-मंत्रालय तथा सरकार, इस महत्वपूर्ण समस्या का, निरन्तर निरीक्षण कर रहे हैं । सौभाग्य से हमें सरकार से ऐसे

प्रतिनिधि प्राप्त हुये हैं जो कि सदैव इस बात की जांच करते रहते हैं कि क्या इस विशेष दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति हो रही है अतः मैं नहीं समझता कि सइ सम्बन्ध में निराशा का कोई कारण है ।

अतः इस दृष्टि से भी इन तेल-शोधक कारखानों के ये संस्थापन देश के लिये हित कर हैं । ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि हमने तेल-शोधक कारखानों को इस मामले में या किसी अन्य मामले में कई प्रकार की रियायतें दी हैं और इसीलिये हमारे कार्य को इतनी क्षति उठानी पड़ी है इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन परि-स्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिस समय ये क़रार किये गये थे जहां तक हो सकता था, हमने सर्वोत्तम निबन्धन बनाने का प्रयत्न किया था; और मेरे विचार में यदि आज हम देश में तेल-शोधक कारखाने स्थापित करना चाहें, तो हम इस समय के करारों से अधिक अच्छे करार नहीं कर सकेंगे ।

अन्य करारों के सम्बन्ध में भी चाहे वे करार फ्रांसीसी परामर्शदाताओं से किये हुये हैं, अथवा किसी अन्य परामर्शदाता से मैं यही कहना चाहता हूं कि करार करते समय प्रत्येक बात पर विचार किया गया था, उन करारों के प्रत्येक खण्ड के दोनों पक्षों पर अच्छी तरह सोच-विचार किया गया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि करारों के प्रत्येक खण्ड पर अच्छी तरह सोच-विचार किये बिना ही अनिश्चित ढंग से ही इन करारों के बारे में निर्णय नहीं किया गया था । इन विदेशी शिल्पिक सार्थों से किये गये विभिन्न करारों में, हम प्रशिक्षण कार्य पर ही अधिक बल देते हैं यानी प्रशिक्षण-कार्य को ही अधिक महत्व देते हैं । वास्तव में प्रत्येक करार के सम्बन्ध में हम इसी बात की ओर विशेष ध्यान देते हैं कि इन विदेशी शिल्पिक सार्थों के साथ किये जाने वाले करारों में ऐसे उपयुक्त उपबन्ध रखे जायें, जिनके अनुसार हमारे व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और शीघ्रातिशीघ्र विदेशी व्यक्तियों के स्थान पर हमारे अपने राष्ट्रजन रख जा सकें ।

वास्तव में, निकट भविष्य में हमारे देश को जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ेगा, वह कर्मचारियों और प्रशिक्षण की ही समस्या है । मैं ने अभी इस बात की ओर निर्देश किया था कि हम एक महान औद्योगिक विकास के युग में प्रविष्ट हो रहे हैं, और सब से बड़ी समस्या जिसका हल हमें करना है, कर्मचारियों को भली-भांति प्रशिक्षण देने की है, ताकि इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों को, जिन्हें हम स्थापित करना चाहते हैं, नियंत्रित किया जा सके ।

अतः इस प्रकार के विभिन्न करार करते समय हमने केवल इस बात को ध्यान में रखा है कि प्रारम्भ में नियुक्त किये गये विदेशी कर्मचारियों की सहायता से भारतीय राष्ट्रजनों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हर प्रकार की सम्भव सुविधायें दी जायें अपितु इस बात को भी ध्यान में रखा है कि निकट भविष्य में ही अपने देश में इस कार्य के लिये अनेक अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें ।

उदाहरण के लिये सिन्दरी को लीजिये । एक समय था जब कि वहां पर पांच-छः अथवा इससे भी अधिक विदेशी कर्मचारी थे । परन्तु आज वहां पर केवल एक ही विदेशी कर्मचारी है, अन्य सभी कर्मचारी हमारे अपने राष्ट्रजन हैं ।

अन्य कम्पनियों की भी यही दशा है धीरे धीरे विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय लोगों को रखा जा रहा है प्रारम्भ में जिन विदेशी शिल्पिक व्यक्तियों को बुलाया गया था, उनका उपयोग इस प्रकार

[श्री के० सी० रड्डी]

से किया जा रहा है कि उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र हमारे सभी उपक्रमों को हमारे भारतीय राष्ट्रजन ही चलायें। समुद्री तार, पेंसिलीन, डी० डी० टी० तथा इस देश म स्थापित किये जाने वाले अन्य सभी नवीन इस्पात संयंत्रों के बारे में भी इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

उन नवीन इस्पात संयंत्रों और अन्य प्रकार के उन संयंत्रों के सम्बन्ध में, जिन्हें इस देश में स्थापित करने के विषय में हमारी प्रस्थापना है, अधिक से अधिक सामान को खरीदने के सम्बन्ध में भी एक बात कही गयी है। उस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है और सरकार यह चाहती है कि यहां पर स्थापित किये जाने वाले किसी भी नये संयंत्र के सम्बन्ध में, जहां तक हो सके, उसके वे भाग जिनका भारत में निर्माण हो सकता है, नहीं से खरीदे जायें, और शेष भाग विदेशों से खरीदे जायें।

इसके सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हू कि सरकार देश में महान उद्योगों की स्थापना के महत्व को अनुभव करती है। परन्तु हमने अभी इस दिशा में कोई विशेष कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम इस देश में महान उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल देंगे। मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही, बिजली के बड़े सामान को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने वाले हैं। अन्य प्रकार के महान उद्योगों के सम्बन्ध में भी सरकार पूर्णरूपेण सोच विचार कर रही है, और यदि इन विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के निर्माण के लिये हम पर्याप्त दल नियुक्त करें, तो औद्योगिक विकास के उस दौर में, अपने देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, हम अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

अब मैं उन दो व्यापक बातों के बारे में कहना चाहता हूं जिनकी ओर कल एक माननीय सदस्य ने संकेत किया था। मेरा खयाल है कि मेघनाद साहा ने यह बात कही थी कि उत्पादन मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों में से सिन्दरी फैक्टरी के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग निरन्तर घाटे की ओर जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनके इस वक्तव्य का आधार क्या था। मुझे इस बात का हर्ष है कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सिन्दरी में अच्छा काम हो रहा है कोक भट्टी संयंत्र और यूरिया तथा डबल साल्ट को तैयार करने वाले नवीन संयंत्र की स्थापना के उपरान्त सिन्दरी कारखाना और भी कम व्यय पर उर्वरकों का उत्पादन कर सकेगा। इससे वहां और भी बचत होगी। इस सिन्दरी के अतिरिक्त उन्होंने अन्य उद्योगों के बारे में यह कहा है कि वे निरन्तर घाटे की ओर जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं जो मैं उन्हें दिखा भी सकता हूं। जहां तक रेलवे कोयला खानों का सम्बन्ध है, यह पिछले तीन वर्षों से मुनाफा कमा रही है। इन ४० लाख रुपये प्रति वर्ष से लेकर ४५ या ४६ लाख रुपये प्रतिवर्ष लाभ हुआ है, कोयले की खानें प्रथम बार कितने लाभ कमा रही हैं। इसी प्रकार से अन्य उद्योगों के विषय में भी ऐसी आशा है कि वे लाभप्रद होंगे। उदारहणार्थ डी० डी० टी०, पेंसिलीन और समुद्री तार के कारखानों ने अभी अभी उत्पादन प्रारम्भ किया है और उनके विषय में यह कहना बड़ा ही कठिन है कि वे लाभ की ओर जायेंगे अथवा हानि की ओर।

केवल 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' नामक उद्योग घाटे की ओर जा रहा है। परन्तु

आप जानते हैं कि संसार में किसी देश का ऐसा कोई भी शिपयार्ड न होगा जिसे वहां की सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता न देती होगी । यह उद्योग है ही ऐसा । यह स्मरण रखना चाहिये कि विशाखापटनम् के हिन्दुस्तान शिपयार्ड के वास्तविक प्रारम्भकर्ताओं ने—वैसे में उन पर लांछन नहीं लगा रहा हूं—उस फैक्टरी का कार्य कुछ वर्षों तक चलाने के उपरान्त ऐसा अनुभव किया कि वे उस फैक्टरी को नहीं चला सकते, क्योंकि यह फैक्टरी निरन्तर घाटे की ओर जा रही थी । और वे उस फेक्टरी को बन्द करने वाले थे । ऐसे अवसर पर जहाज़-उद्योग के महत्व को दृष्टि में रखते हुये, सरकार ने इस फैक्टरी को अपने हाथ में लिया था । इस बात को भी स्मरण रखना चाहिये कि आने वाले पर्याप्त समय तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड फैक्टरी हमें कोई ऐसा संतुलन-पत्र नहीं दे सकेगी, जो यह बता सके कि इस में इतनी आय प्राप्त हुई है और इस में इतना लाभ हुआ है । इस फैक्टरी को सरकार से सहायता प्राप्त करनी होगी इस सरकार की आर्थिक सहायता पर निर्भर करना होगा—हां, यह बात दूसरी है, कि यह राशि समय समय पर बदलती रहेगी । परन्तु ऐसी आशा करना असम्भव है कि शिपयार्ड जैसे उद्योग में ऐसा सन्तुलन-पत्र प्राप्त हो सकेगा जो कि लाभ ही लाभ दिखायेगा ।

हिन्दुस्तान गृह-निर्माण फैक्टरी की ओर निर्देश किया गया था । इस फैक्टरी के इतिहास को प्रत्येक मनुष्य जानता है । अभी हाल में हमने इस फैक्टरी को पुनर्संगठित किया है और इस कम्पनी की स्थापना की है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में जो संतुलन पत्र प्रकाशित किया गया था, उसमें तो फैक्टरी के केवल कुछ मासों का ही विवरण सम्मिलित है । कुछ ही मासों के कार्य से हम ऐसी आशा कैसे कर सकते हैं कि इसम लाभप्रद संतुलन-पत्र प्राप्त हो सकेगा ? हम अब देखेंगे कि १९५५–५६ में इसमें कितना लाभ होगा । अतः इन सभी बातों के विषय में हमें बड़े ध्यानपूर्वक निर्णय करना चाहिये । मैं यह बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसा कहना बड़ा ही अन्याय पूर्ण होगा कि मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले सभी के सभी उद्योग घाटे की ओर जा रहे हैं । निजी उद्योगों की ओर निर्देश किया गया है । उसके सम्बन्ध में उन सदस्यों से, जो ऐसा सोचते हैं कि सार्वजनकि उद्योग कभी भी सन्तोषपूर्वक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को इसके बारे में पर्याप्त अनुभव नहीं है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने निजी उद्योग हैं जिन्होंने कभी हानि नहीं उठाई है ? कितनी कम्पनियों के अंश मूल्यों में कमी नहीं हुई है । कितनी निजी कम्पनियों को असफलतायें नहीं देखनी पड़ी हैं ? अतः इन सभी बातों का हमें तुलनात्मक आधार पर निर्णय करना चाहिये, वस्तुगत आधार पर निर्णय करना चाहिये । कल ही एक माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि सोनपुर वर्क्स, अम्बेरनाथ की मिल, रेशम का कारखाना और शोलापुर मिल्ज़ को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती । तो ये सभी उदाहरण स्पष्टतया यही बताते हैं कि गैर-सरकारी उद्योग की स्थिति कितनी असन्तोषजनक रही है । मैं उनका कारण नहीं बताना चातहा हूं, न उनकी आलोचन करना चाहता हूं । मैं केवल एक यथार्थ बात बता देना चाहता हूं । आज आप आकर कहते हैं कि इन उद्योगों को हथियाइये । अगले दिन ही यहां आलोचना होगी कि इन उद्योगों में हानि हो रही है जैसा कि संतुलित-पत्र से प्रगट होगा अर्थात् राज्य इन उद्योगों की व्यवस्था करने योग्य नहीं है। मुझे हर्ष है कि प्रश्न के इस पहलू पर डा० लंका सुन्दरम् ने शिपयार्ड का निर्देश किया

[श्री के० सी० रेड्डी]

में पहिले ही कह चुका हूं कि शिपयार्ड किन परिस्थितियों में लिया गया था । पहिली कम्पनी किस प्रकार हानि उठा रही थी तथा अब शिपयार्ड की स्थिति क्या है ?

अब मैं उत्पादन मंत्रालय के अधीन कुछ विशेष उद्योगों का जिक्र करूंगा । सर्व प्रथम मैं इस्पात उद्योग को लेता हूं। मुझे हर्ष है कि कल भाषण देने वाले बहुत, से सदस्यों ने पिछले एक या दो वर्षों के दौरान इस उद्योग की द्रुत प्रगति पर मंत्रालय को बधाई दी । जैसा कि सभा को ज्ञात है, पिछले छः सात वर्षों से हम इस्पात के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं किन्तु ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन पर सरकार का कोई वश नहीं था, यथा आर्थिक संकट इत्यादि, हम कोई यथार्थ प्रगति नहीं कर पाये। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि देश के वर्तमान उत्पादन से जो कि लगभग दस लाख टन है, हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक हम ६० लाख टन के लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे। मेरे विचार से यह उल्लेखनीय प्रगति है इस्पात के उत्पादन के इस विकास एवं बढ़ी हुई क्षमता के सम्बन्ध में, पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के रूरकेला तथा मध्य प्रदेश के भिलाई में दो संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में दो प्रमुख निर्णय किये गये हैं। इन दो व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कई पर्यवेक्षण किये गये हैं। मेरे मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी ने उसका ज़िक्र किया है उन्हें रूस के साथ किये गये करार से हार्दिक प्रसन्नता हुई है जब कि उन्होंने जर्मन कम्बाइन के साथ किये गये समझौते की बड़ी आलोचना की है । इसके विपरीत मेरे मित्र श्री बंसल ने, यद्यपि उन्होंने विशिष्ट रूप से रूस के विरोध में कुछ नहीं कहा है तथापि यह कहा है कि यह करार दो तीन बातों में त्रुटिपूर्ण है । उन्होंने जर्मन कम्बाइन से हुये करार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । मैं इन दो माननीय सदस्यों के के दृष्टिकोणों को केवल यह बताने के लिए प्रगट कर रहा हूं कि प्रायः इन कारणों के सम्बन्ध में सदस्यों की प्रतिक्रियाओं तथा निर्णय व्यक्तिगत होते हैं, ये निर्णय करार की शर्तों की वस्तगत विवेचना पर आधारित नहीं रहते हैं । उदाहरण स्वरूप श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह बताया है कि क्रुप्स डीमाग के सम्बन्ध में रखा गया शुल्क बहुत ऊंचा है मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि रूसी प्राधिकारियों से हुए करार के मामले में यह शुल्क लगभग उतना ही हैजितना कि क्रुप्स डीमाग से हुए करार में निश्चित किया गया है । मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं । मैं इसे विस्तार से नहीं बता सकता ।

रूसी प्रधिकारियों से हुए करार के सम्बन्ध में श्री बंसल ने एक दो बातें कही हैं, जिनका मैं संक्षेप में निर्देश करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि करार के लिए संसार के सभी देशों से टेंडर निमंत्रित नहीं किये गये । प्रश्न यह है कि ऐसे करार के लिए जो कि हमने एक सरकार, अर्थात् रूसी समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार से किया, भला किस प्रकार संसार के सभी देशों से टेंडर निमंत्रित किये जा सकते थे । यह प्रगट है कि एक सरकार को टेंडर प्रणाली पर राजी करना संभव नहीं था किन्तु यह निश्चय करने के लिये कि हमें यह संयंत्र उचित मूल्य पर ही प्राप्त हो करार में यह उपबन्ध किया गया था कि लागत में पारस्परिक सहमति न होने पर हमें सारी योजना को अस्वीकार करने का अधिकार होगा । इस प्रकार हमें वही लाभ प्राप्त जो कि संसार के सभी देशों से टेंडर मांग पर प्राप्त होता । हम रूरकेला के सम्बन्ध में निमंत्रित किये गये टेंडरों से इस्पात के संयंत्रों का वर्तमान मूल्य मालूम हो जायेगा ।

उन्होंने यह भी कहा है कि करार के सक्रिय न होने पर किसी दंड का उल्लेख नहीं है। यदि उन्होंने यह करार सावधानीसे पढ़ा होता जैसा कि मैं आशा करता हूं कि उन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें एक दो चीजें मिल जातीं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनुच्छेद १ की उपकंडिका २ में कहा गया है कि यह कार्य आंशिक रूप से ३१ दिसम्बर, १९५८ तथा पूर्णरूप से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक प्रारम्भ होगा।

अनुच्छेद १८ में लिखा है कि रूसी संगठन इस बातकी प्रत्याभूति देता है कि संयंत्र मशीनें तथा सज्जा उल्लिखित क्षमता की होंगीं तथा रूसी प्राधिकारी किसी त्रुटि के होने पर उसे अपने व्यय से ठीक करेंगे और यदि भारत सरकार ऐसा सुधार करेगी तो तो वे भारत सरकार को उसकी लागत चुकायेंगे इत्यादि। मेरा निवेदन है कि अर्थ दंडों सहित ये निश्चित प्रत्याभूतियां हैं। इसके अलावा हमें कीमत बारह समान किस्तों में चुकानी है। अनुच्छेद १२ की धारा १ में के परन्तुक के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने में बिलम्ब होने पर भारतीय प्राधिकारियों को तत्स्थानी अवधि के लिए अग्रेतर किस्तें बन्द करने का अधिकार होगा। करार में इन सभी उपबन्धों की यथोचित प्रत्याभूति तथा अर्थ-दंड की व्यवस्था की गई है।

इस सम्बन्ध में मैं श्री बंसल द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में कहे गये एक अन्य प्रश्न का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा है कि भिलाई इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना विभाग खोला गया है तथा विशेष पदोंके लिये विज्ञापन दिये गये हैं। ऐसा किया गया है। तथा उनके भाषण के दौरान भी मैंने बताया था कि विशेषज्ञों के सहयोग से एक विशेष समिति बनाई गई है जो कि नियुक्ति के प्रश्न पर सावधानी सेविचार करेगी तथा यथा-संभव सर्वोत्तम व्यक्तियों का चुनाव करेगी। मुझे उनके इस प्रस्ताव पर आश्चर्य हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग को नियुक्तियों का दायित्व लेना चाहिये। मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि उनका अभिप्राय क्या है कि संयंत्र की स्थापना उचित समय में हो जाये अथवा उसमें वर्षों का बिलम्ब हो।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : संघ लोक सेवा आयोग इन नियुक्तियों में में कितना समय लगायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं नहीं जानता। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में पृथक प्रश्न पूछें तो मैं अथवा सम्बन्धित मंत्री उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे किन्तु मैं कह सकता हूं कि जहां तक एक वाणिज्यिक उपक्रम का सम्बन्ध है, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपने कर्मचारी नियुक्त करना चाहते हैं तो—मैं संघ लोक सेवा आयोग को बदनाम नहीं कर रहा हूं—मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि समय-सारिणी के अनुसार काम करना सम्भव नहीं।

जर्मन क़रार के सम्बन्ध में श्री मुकर्जी द्वारा एक अन्य प्रश्न उठाया गया था उन्होंने कहा कि यद्यपि इस करार नें सरकार के सभी देशों से टेंडर नियंत्रित करने का उपबन्ध अन्तर्हित है भला इसका क्या लाभ जब कि जर्मनों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी उस सज्जा की लागत के बराबर होगी जिससे संसार के सभी देशों के टेंडरों का निपटारा करने के उपरान्त वे लगाने में समर्थ होंगे। मेरा सीधा उत्तर यह है कि यदि उन्हें आर्डर नहीं मिलते, अर्थात् यदि उनका कोई टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता तथा यदि वे स्वयं कोई संयंत्र संभरित नहीं कर सकते तब वे कम्पनी में पूंजी नहीं लगायेंगे बस इतना ही है तथा इससे मेरे माननीय मित्र को बहुत

[श्री के० सी० रेड्डी]

संतोष होना चाहिये, क्योंकि ऐसी किसी आकस्मिक बात के होने पर हमारे उपक्रम में कोई विदेशी पूंजी नहीं होगी । लेकिन केवल यह बात कि उनका संभावित विनियोजन, उस संयंत्र की लागत के साथ जोड़ दिया जायेगा जो कि उन से तथा दूसरों से प्राप्त होने वाले टेंडरों के प्रकाश में वह हमें देने वाले हैं । हम उस लाभ से वंचित नहीं हो जाते जो कि करार में संसार के सभी देशों से टेंडर नियंत्रित करने का उपबन्ध शामिल करने के कारण होता । मैं इस प्रश्न पर उनका यह तर्क समझने में असमर्थ रहा हूं ।

मैं ने इन करारों के सम्बन्ध में, यह दिखाने के लिये कुछ समय लिया है कि हम वार्ताओं में विशेषज्ञों की सहायता ली है तथा यथासम्भव सतर्कता से काम लिया है, तथा हमें जहां कहीं भी सम्भव तथा उपलब्ध हो सका, इस उद्योग के कर्मचारियों का भी यथासम्भव मत लिया तथा मैं बिना किसी प्रशंसा की भावना के यह कह सकता हूं कि ये दोनों करार—क्रुप्स-डीमाग करार तथा रूसी करार—नितांत सन्तोषजनक हैं ।

अब मैं देश में स्थापित होने वाले, इन इस्पात के कारखाने के एक-दो अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में भी कहता हूं । मेरे विचार से श्री बंसल ने ही यह कहा था कि वह भिलाई परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री बंसल : मैं ने भिलाई का जिक्र नहीं किया था मैं ने रूरकेला का उल्लेख किया था ।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे स्मरण है कि आपने कहा था कि हम समय-सारिणी के अनुसार नहीं चल सके हैं, क्योंकि हमने हाल ही में भिलाई संयंत्र की क्षमता को ५ लाख टन से १० लाख टन तक बढ़ाने का निश्चय किया है ।

श्री बंसल : क्या यह जर्मन संयंत्र नहीं है, यह रूरकेला होगा भिलाई नहीं ।

श्री के० सी० रेड्डी : क्षमा कीजिये वह रूरकेला ही था । इस शुद्धि के लिये धन्यवाद ।

श्री मेघनाद साहा ने भी अपनी जानकारी के अनुसार जल, विद्युत् तथा परिवहन के सम्बन्ध में यह कहा है कि कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा उन्हें पूरा विश्वास है कि क्योंकि प्रमुख बातों के सम्बन्ध में ही अभी कुछ नहीं किया गया है इसलिये वर्तमान समय-सारिणी के अनुसार परियोजना क्रियान्वित नहीं होगी । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा निर्देशित सभी बातों पर ठोस कार्यवाही की जा चुकी है तथा हमारे परामर्शदाताओं एवं हमारे मन में भी ऐसी कोई आशंका नहीं है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के स्थापन तथा कार्य के लिये ये सुविधायें उपयुक्त समय पर उपलब्ध नहीं होंगी । मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार हूं कि हमने इस संयंत्र को क्षमता को पांच लाख से दस लाख टन तक बढ़ाने का निश्चय कर लिया है । इसलिये इस्पात के उत्पादन पर अधिक व्यय लगेगा तथा प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी ।

पांच लाख टन क्षमता के आधार पर प्रस्तुत अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन को कुछ विशेष बातों के आधार पर संशोधित करके दस लाख टन क्षमता के उपयुक्त बनाना होगा जिसमें स्वभावतः कुछ समय

लगेगा । इसे छोड़कर कहीं भी बहुमूल्य समय का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा तथा हम रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में समय-सारिणी से पीछे नहीं रहेंगे ।

यद्यपि कल की चर्चा के दौरान कोई निर्देश नहीं किया गया तथापि उड़ीसा के अधिकांश सदस्यों द्वारा, परियोजना के निर्माण में उड़िया लोगों द्वारा लिये जाने वाले भाग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं । मैं उनका संक्षेप में निर्देश करूंगा । इस बात की आशंका भी थी मेरे ध्यान में यह बात लाई भी गई है कि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में किसानों को बहुत परेशान किया गया है तथा उन्हें उपयुक्त कीमत नहीं चुकाई गई है, इत्यादि । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अथवा हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ने, जिन किसानों की भूमि ली गई, उन्हें दिये जाने के लिये, उड़ीसा की सरकार को २० लाख रुपये दिये हैं ।

यह धन उड़ीसा की सरकार को दिया जा चुका है । अतः यह उड़ीसा की सरकार का दायित्व है कि वह भूमि अधिग्रहण करे तथा बिना कठिनाई उत्पन्न किये हुये ही प्रतिकर चुकाये । इस मामले, तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, तथा उन्हें आवास इत्यादि देने की व्यवस्था इन सभी पर अब भी ध्यान दिया जा रहा है तथा हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के प्राधिकारी उड़ीसा सरकार के निरन्तर सम्पर्क में है, और मैं उड़ीसा के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिनकी भूमि उपलब्ध की जा रही है उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई नहीं होने दी जायेगी और विस्थापित व्यक्तियों को यथासम्भव उपयुक्त नौकरियां दी जायेंगी । इन सभी तथ्यों पर गौर किया जायेगा ।

अब मैं हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मेरे पास उसके विस्तार में जाने के लिये समय नहीं है पर मैं उसके कुछ पहलुओं को सभा के समक्ष पेश करना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम, मैं यह बताऊंगा कि सिंधिया शिपयार्ड ने जल की प्रकार के प्रथम पोत के बनानें में ३१ महीनों का समय लिया, दूसरे पोत के बनाने में २ महीने का समय लिया और बाद में ऐसे जहाज़ों के बनाने का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें समय कम लगने लगा ।

दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय सरकार ने उस शिपयार्ड को हथियाया उस समय पर्याप्त पूर्वयोजना नहीं थी । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं पर उस समय यही दशा थी । इस्पात, इंजनों और जहाज़ों के बनाने के लिये आवश्यक सामग्री और माल मंगाने के लिये आदेश नहीं दिये गये थे । जब हिन्दुस्तान शिपयार्ड या सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया तो उन्हें यह सब काम करना पड़ा और विदेशों से कुछ वस्तुओं के प्राप्त होने में आवश्यक विलम्ब भी हुआ । इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य से, इस देश में इस्पात बनाने वाली एकमात्र मिल जो हमें इस्पात की चादरें दे रही थी, लगभग ६ या ९ महीने बन्द रही । अतः हमें अपने संसाधनों से कोई इस्पात नहीं मिल रहा था और हमें विदेशों से मंगाना पड़ा । जब सरकार ने शिपयार्ड को अपने हाथों में लिया उस समय यह कठिनाइयां थीं और इन सभी कठिनाइयों को दूर करना पड़ा और जहाज़ों के उत्पादन का समय भी बढ़ाना पड़ा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि...

सभापति महोदय : मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को ३० मिनट का

[सभापति महोदय]

समय लेना चाहिये था पर उन्होंने लगभग ५० मिनट तक बोला है । १ बजे से ढाई बजे तक हमें कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष रखना है । अतः मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि वह अधिक समय लेंगे तो मैं कटौती प्रस्ताव पेश नहीं कर सकूंगा ।

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं एक बजे के पूर्व अपना भाषण समाप्त कर लूंगा ।

ध्यान रहे कि विशाखापटनम शिपयार्ड में जिस प्रकार के जहाज़ बनाये जा रहे हैं वह पहले बनने वाले जहाज़ों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं और समुन्नत प्रकार के जहाज़ों के बनाने में पुराने प्रकार के जहाज़ के बनाने के परिश्रम से ५० प्रतिशत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । इनका बनाना बहुत शिल्पिक है और सरल नहीं है । आज की आलोचना और तर्कों का आधार यह है कि आज भी शिपयार्ड पुराने प्रकार के ही जहाजों का निर्माण कर रहा है जैसा कि भूतकाल में किया करता था ।

फ्रांसीसी संस्थाओं के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि वह जहाज़ों के बनाने के काम के लिये पिछली शताब्दी से विख्यात है । यह सच है कि उनके भेजे हुये कुछ टेक-नीशियन, उनमें से दो वरिष्ट कर्मचारी पर्याप्त योग्य नहीं थे, अतः अभी हाल में उन के स्थान पर नये व्यक्ति बुला लिये गये हैं । वह आ गये हैं और शिपयार्ड के कार्य में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बंसल ने एक ज़ोरदार बात कही थी "आप हमारी आंखों में धूल क्यों झोंकते हैं ? बिना इंजन लगाये जहाज़ समुद्र में कैसे उतारा जा सकता है ?" बात सीधी सी है कि बिना इंजनों के भी जहाज़ों को समुद्र में उतारा जा सकता है ।

मैं कुछ अन्य बातों को सभा के सामने रखना चाहता हूं पर समय के अभाव के कारण ऐसा करना सम्भव न हो सकेगा । पर निकट भविष्य में मैं किसी अवसर पर शिपयार्ड की प्रगति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बताऊंगा इस विषय के कई पहलुओं को मैं माननीय सदस्यों के सामने पेश करूंगा ।

एक और बात के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं वह है श्रमिकों का मामला जिसकी ओर डा० लंका सुन्दरम ने संकेत किया था । मैं इस बात का बहुत इच्छुक हूं कि श्रमिकों के साथ न्याय का व्यवहार किया जाय और सरकार को इस सम्बन्ध में आदर्श नियोजक होना चाहिये । मैं डा० लंका सुन्दरम् को बताना चाहता हूं कि जब १ अप्रैल, १९५३ को छंटनी हुई थी उसके बाद सितम्बर, १९५४ तक कोई अतिरिक्त भरती नहीं की गयी । उन्होंने यह भी शिकायत की कि छंटनी किये गये बहुत से लोगों को भरती नहीं किया जा रहा था बल्कि कुछ नये लोगों को भरती किया गया था, मैं बताना चाहता हूं कि अब जो भरती की जा रही है वह छंटनी किये गये लोगों की श्रेणियों के अनुसार नहीं की जा सकती । उदारहणार्थ, यदि आप को एक फिटर की आवश्यकता है तो आप पहिया चलाने वाले व्यक्ति को नहीं लेंगे और यदि पहिया चलाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो फिटर को नहीं लेंगे । मैं डा० लंका सुन्दरम तथा अन्य लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी छंटनी में आये व्यक्तियों का काम करने वाले व्यक्तियों की नई भरती की जाती है तो छंटनी के व्यक्तियों का विशेष ध्यान दिया जाता है । मैंने इस बात का निश्चित पता लगा लिया है अत मैं माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में आश्वासन दिलाता हूं ।

जहां तक श्रमिकों के मकानों, उनकी सुविधाओं और मजूरी का सम्बन्ध है, उत्पादन मंत्रालय इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रमिकों को अधिकतम सुविधायें दी जावें। आज हम श्रमिकों को उद्योग में साझेदार मानते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक इस प्रश्न के इस पहलू का सम्बन्ध है, श्रमिकों को अधिकतम सुविधायें देने के लिये कुछ भी उठा न रखा जायेगा। आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो नये मकान हम बना रहे हैं, उन सब में, कर्मचारियों के लिये दो कमरों के मकान हैं। कोयले की खान के श्रमिकों के सम्बन्ध में भी, सरकार ने अगले दो या तीन वर्षों में मकान बनवाने के कार्यक्रम को निश्चित कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि सन्तोषजनक कार्य होगा। माननीय सदस्य डा० रामाराव ने मुझ से कहा कि मैं जाकर कोयले खान के श्रमिकों के मकानों की दशा देखूं। मैं जानता हूं कि कुछ स्थानों पर उनकी दशा बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है और उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कोयला आदि कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। मेरे साथी, सभा सचिव, ने अपने भाषण में इस समस्या के कुछ पहलुओं के बारे में बताया था अतः उन्हीं बातों को पुनः कहना अनावश्यक है। कोयले की खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी कहा गया था। इस विषय में भारत सरकार की नीति नितान्त स्पष्ट है अर्थात् १९४८ का नीति वक्तव्य। सरकार का विचार इसी समय और सभी वर्तमान गैर-सरकारी कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है। उस नीति-वक्तव्य के अनुसार १९५८ के अन्त में स्थिति का पुनरीक्षण किया जाने वाला है और सरकार उसे करेगी।

एक दूसरा पहलू जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं यह है कि यदि नये एककों के द्वारा हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो सरकार नये एककों को खोलने के लिये अपने संसाधनों का प्रयोग करना पसन्द करेगी न कि पुराने एककों का अधिग्रहण करने में अपने संसाधनों का प्रयोग करेगी जो गैर सरकारी उद्योगों के रूपों में काम कर रहे हैं। यह समस्या की पूर्ति का विस्तृत उपाय है और यदि हम इस विस्तृत उपाय को ध्यान में रखें तो स्थिति सरलता से समझ में आ जायेगी।

यह बात भी कही गयी थी कि बहुत अधिक कोयला बर्बाद होता है। शायद खुदाई के ढंगों या धातुशोधक कोयले के आवश्यकता से अधिक उत्पादन के सम्बन्ध में भी कहा गया था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस बरबादी को यथासम्भव रोका जा रहा है। जहां तक धातुशोधक कोयले का सम्बन्ध है, आवश्यकता से अधिक धातुशोधक कोयले के उत्पादन को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि खानों की आर्थिक स्थिति में अव्यवस्था न उत्पन्न होने पावे और श्रमिकों की अनवश्यकता छंटनी न हो। इस विषय पर किसी अन्य अवसर पर अधिक प्रकाश डालूंगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास का जो काम हमारे सामने है उसे तीव्रगति से आगे बढ़ाने के लिये उत्पादन मंत्रालय यथासम्भव सहायता करेगा।

सभापति महोदय : इस समय १ बजने में ५ मिनट शेष हैं और कटौती प्रस्ताव भी मतदान के लिये प्रस्तुत होने वाले हैं।

[सभापति महोदय]

कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में विरोध दल मांग संख्या ८७, के कटौती प्रस्ताव ६९२, और मांग संख्या ८५, के कटौती प्रस्ताव ८१६ पर मत विभाजन चाहता है। मैं इन प्रस्तावों को मतदान के लिये अलग अलग रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्यायें ६९२, ८१६ तथा अन्य सभी मतदान के लिये प्रस्तुत की गयीं तथा अस्वीकृत हुयीं।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष १९५५-५६ के लिये अनुदानों की ये मांगें जिनकी संख्या ८५, ८६, ८७, ८८, ८९ तथा १३१ हैं, मतदान के लिये प्रस्तुत की गयीं, तथा वे स्वीकृत हुईं।

लोक सभा द्वारा जिन अनुदानों की मांग के प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनको नीचे दिया जाता है—**संपादक संसदीय प्रकाशन**

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८५	उत्पादन मंत्रालय	९,६६,०००
८६	नमक	१,२१,३५,००
८७	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	१,०२,४१,०००
८८	सरकारी कोयला खानें	३,८९,०१,०००
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	८९,९६,०००
१३१	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	८,९२,५१,०००

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बारे में मांग

सभापति महोदय : अब सभा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या ६५, ६६, ६७, ६८, १२७ तथा १२८ पर चर्चा करेगी ; माननीय सदस्य चुने हुये कटौती प्रस्तावों की संख्यायें १५ मिनट में दें। यदि माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं और वे प्रस्ताव नियमित हैं तो मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा।

भाषण के लिये सदस्यों को १२ मिनट और वर्गों के नेताओं को २० मिनट दिये जायेंगे।

माननीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री प्रथम वक्तृता देंगे और सभा के समक्ष बहुत सी जानकारी पेश करेंगे।

१९५५-५६ के लिये उक्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की ये मांगें सभापति महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	१०,४८,०००
६६	सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौपरिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)।	२३,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	९५,९५,००००
६८	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५९,३२,०००
१२७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३,९५,६७,०००
१२८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१,२८,०००

डा० लंका सुन्दरम : स्वीकृत प्रथा यह नहीं है कि मंत्री महोदय प्रथम वक्तृता दें।

सभापति महोदय : इसी सत्र में ऐसा हो चुका है । प्रधान मंत्री ने प्रथम वक्तृता दी थी । इससे चर्चा में सुविधा रहेगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): वह दो भाषण देंगे, एक अभी और एक अन्त में ?

सभापति महोदय : जी हां । मैं समझता हूं कि इस समय माननीय मंत्री केवल १५ मिनट लेंगे ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : हां, श्रीमान् । मैं केवल १५ या २० मिनट ही लूंगा । आपकी अनुमति से मैं कुछ ही मिनट लूंगा और यह चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व थोड़े से शब्द कहूंगा । माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन आदि भेजे गये हैं । मेरा तात्पर्य वार्षिक प्रतिवेदन और दस पृष्ठ के संक्षिप्त विवरण से है । कल भी मैंने बाढ़ रक्षा उपायों के बारे में किये गये काम को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा था । फिर भी, मैं समझता हूं कि मुझे सभा को संक्षिप्त रूप में कुछ और जानकारी तथा आवश्यक तथ्य और आंकड़े देना चाहिये, ताकि माननीय सदस्य इस मंत्रालय के काम का सही अनुमान लगा सकें ।

इस मंत्रालय के काम के उल्लेखनीय कई पहलू हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण होना चाहिये । किन्तु मैं समझता हूं कि दो मामले विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रथमतः इस मंत्रालय के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना कहां तक तथा कितनी सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई है ? इस प्रश्न के अन्तर्गत हमें इस बात का निश्चय करना है कि इस योजना में जो परियोजनायें रखी गई थीं उनकी कार्यान्विति प्रभावी ढंग से कम लागत में और जल्दी हुई अथवा नहीं । द्वितीय, सभा को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट करना हमारा कर्तव्य है कि हमने अपने देश में सिंचाई और विद्युत् संसाधनों के आयोजित विकास के लिये दृढ़ नींव रखने में कितने उपयुक्त रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है । मैं इन दो पहलुओं का ही प्रतिपादन करूंगा ।

प्रथमतः मैं सभा को विस्तारपूर्वक यह बताऊंगा कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में क्या किया गया है : मैं कुछ आंकड़े सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा । मैं उनको धीरे धीरे पढ़ूंगा । ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और सारी स्थिति के समझने में सहायक सिद्ध होंगे ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों दोनों ने सिंचाई और विद्युत् की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये ६१५ करोड़ रुपये का, और सिंचाई इत्यादि की छोटी छोटी योजनाओं के लिये ११४ करोड़ रुपये का आवंटन किया । कुल ७२९ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो कि आयोजित कुल पूंजी का ३२.५ प्रतिशत है ।

इसमें से बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये, जिनका वित्तीय प्रबन्ध केन्द्र द्वारा होना था, १७४ करोड़ रुपयों का मूल उपबन्ध था । संशोधित प्राक्कलनों में ५० करोड़ रुपये तक और जोड़े गये । कुल मिला कर २२४ करोड़ रुपये हो जाते हैं ।

अब मैं इन पांच वर्षों में जो खर्चा हुआ, उसके आंकड़े देता हूं ।

	करोड़ रुपये
१९५१–५२ (वास्तविक) .	३३
१९५२–५३ ,,	४२
१९५३–५४ ,, .	५४

तीन सालों का कुल व्यय १२९ रुपये ।

[श्री नन्दा]	रुपये
१९५४–५५ के लिये संशोधित प्राक्कलन।	५३
१९५४–५५ तक प्राक्कलित कुल व्यय।	१८२
१९५५–५६ के लिये आयव्ययक का उपबन्ध।	५९
कुल .	२४१

इस प्रकार हम देखते हैं कि २२४ करोड़ रुपयों का तो उपबन्ध किया गया था, किन्तु लगभग २४१ करोड़ रुपये व्यय हुये, जिससे लगभग १७ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा। प्रतिशतों में देखने पर हमको मालूम होगा कि किस प्रकार व्यय में वृद्धि होती गई है।

	प्रतिशत
१९५१–५२ .	१४.९
१९५२–५३ .	१८.८
१९५३–५४.	२४.१
कुल .	५७.८
१८५४–५५ .	२३.७
कुल	८१.५

१९५५–५६ के लिये आयव्ययक का उपबन्ध लगभग २६ प्रतिशत है। इस प्रकार कुल व्यय लगभग १०७.५ प्रतिशत होगा और इससे हमें पता चलता है कि योजना के कार्यान्विति करने का वित्तीय रूप में क्या अर्थ है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवीन योजनाओं के सम्बन्ध में ३० करोड़ रुपये से ऊपर का एक उपबन्ध था। इसमें से प्रथम तीन वर्षों में लगभग १.६ करोड़ रुपये खर्च हुये और इन अनेक योजनाओं के सम्बन्ध में १९५४–५५ के लिये संशोधित प्राक्कलन लगभग ४.२ करोड़ रुपये के आते हैं। १९५५–५६ के लिये आयव्ययक का उपबन्ध २६ करोड़ रुपयों का है और कुल मिला कर ३१.८ करोड़ रुपये हो जाता है।

राज्यों के सम्बन्ध में, स्थिति इस प्रकार है:—

	करोड़ रुपये
मूल उपबन्ध . .	२९४
बाद में बढ़ायी गई धनराशि	६७
कुल	३६१
१९५१–५२ में व्यय (१३ प्रतिशत)।	४८
१९५२–५३ में व्यय (१५.५ प्रतिशत)।	५६
१९५३–५४ में व्यय (१६.५ प्रतिशत)।	५९
१९५४–५५ के लिये संशोधित प्राक्कलन (२२ प्रतिशत)।	८०.०
कुल	२४३.०

यह ६७.० प्रतिशत होता है।

हमने १९५५-५६ के लिये आयव्ययक के उपबन्ध के बारे में राज्यों से सूचना एकत्र करने की कोशिश की थी। जो सूचना अभी तक एकत्र हुई है, उससे पता चलता है कि इस वर्ष के लिये १०० करोड़ रुपये से ऊपर का उपबन्ध है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य लगभग ९५ प्रतिशत व्यय करेंगे। शायद यह संख्या और अधिक हो। इस प्रकार इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस पांच साल की अवधि में योजना की कार्यान्विति के लिये केन्द्र और राज्य दोनों ९९ प्रतिशत खर्चा करेंगे, जिसका तात्पर्य योजना की सम्पूर्ण कार्यान्विति से है।

अब मैं लाभों, वास्तविक लक्ष्यों तथा उनकी पूर्ति के बारे में कहूंगा। सिंचाई की छोटी योजनाओं को सम्मिलित करके कुल २९० लाख एकड़ भूमि की योजना बनाई गई थी, और प्रथम योजना में सारी परियोजनाओं की पूर्ति पर २२.३ लाख किलोवाट विद्युत् की योजना बनाई गई थी। इससे १९५०–५१ के मुक़ाबले में ५६ प्रतिशत सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हो जायेगी और १३१ प्रतिशत वृद्धि विद्युत् में हो जायेगी। सितम्बर, १९५४ तक ३९ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी जिसका मतलब यह है कि योजना की अवधि के लिये ८५ लाख एकड़ भूमि का जो अन्तिम लक्ष्य नियत किया गया, उसके ४६ प्रतिशत भाग में सिंचाई होने लगी, मार्च, १९५५ तक ४९ लाख एकड़ अर्थात् ५८ प्रतिशत भाग में सिंचाई होने लगेगी, योजना की अवधि के समाप्त होने तक ७० लाख एकड़ भूमि अर्थात् ८२.५ प्रतिशत भाग में सिंचाई होने लगेगी। जहां तक विद्युत् का सम्बन्ध है, सितम्बर, १९५४ तक ६.२९ लाख किलोवाट अर्थात् ५७ प्रतिशत विद्युत् पैदा की गई, मार्च, १९५५ तक ७ लाख किलोवाट अर्थात् ६४ प्रतिशत विद्युत् पैदा की गई। यह आशा की जाती है कि योजना की अवधि के समाप्त होने पर ११ लाख किलोवाट विद्युत् का उत्पादन हो जायेगा। इसका तात्पर्य है कि योजना की शतप्रतिशत कार्यान्विति होगी। इन आंकड़ों से सब चीज स्पष्ट हो जाती है।

इस मंत्रालय के काम तथा इन सारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कितना काम किया जा रहा है और योजना की पूर्ति के लिये हमारे क्या कार्यक्रम हैं। मैं प्रत्येक बड़ी योजना के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा।

सर्वप्रथम में भाखड़ा-नंगल परियोजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नंगल बांध, नंगल जलद्वार, भाखड़ा नहर व्यवस्था तथा गंगुवाल में विद्युत गृह १ पूरे किये जा चुके हैं। कोटला में विद्युत् गृह संख्या २, १९५५ के अन्त तक पूरा हो जायेगा। रोपड़ को नया रूप देने तथा सरहिन्द के हेडवर्क्स का काम वस्तुतः पूरे हो चुके हैं। भाखड़ा बांध की नींव की खुदाई का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और उस भाग में चट्टान की तह मिलने वाली है, जहां कि मुख्य बांध बनाना है। बांध पर सब मिला कर ५९ लाख घन गज़ चट्टान की खुदाई हो चुकी है और उन्नीस या बीस महीनों में ३ लाख घन गज़ प्रति मास के औसत से काम हुआ है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। निर्माण संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में तेज़ी से काम हुआ है। अगले नवम्बर के महीने में पक्का करने का काम शुरू होना है, और परियोजना प्राधिकारी उस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस तिथि से काम शुरू कर ही दिया जाये। इस प्रकार, इस साल के लिये निर्धारित सारे कार्य अनुसूची के अनुसार चलाये गये हैं।

प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस परियोजना के लिये अनेक निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किये गये थे। मैं पूर्ति कार्यक्रम का निर्देशन करता हूं। निर्माण परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद १९५३ में जो कार्यक्रम तैयार किया था, वह अब भी उसी रूप में लागू है। इस कार्यक्रम के अनुसार, बांध को पक्का करने का काम १९५९ में पूरा होना है और बांध को हर प्रकार से पूरा करने का काम १९६० तक हो जाना है। केवल एक मुख्य परिवर्तन हुआ, वह यह कि नदी का बहाव बदलने का काम १९५३ के बजाय १९५४ की शरद् ऋतु में हुआ, क्योंकि कुछ तो आवश्यक उपकरणों के

[श्री नन्दा]

मिलने में देर हुई और कुछ इसलिये कि १९५३ में वर्षा ऋतु पहले वर्षों के मुक़ाबले में अधिक समय तक रही । फिर भी, बहाव बदलने की तिथि को स्थगित करने से बांध की पूर्ति की अन्तिम तिथि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

हीराकुड में सब प्रकार के काम उतनी ही तेज़ी से चल रहे हैं, जिस तेजी से गत वर्ष चल रहे थे । फरवरी, १९५५ के अन्त तक मुख्य बांध पर पक्का करने का काम लगभग ७८ प्रतिशत, राजगीरी का काम ७६ प्रतिशत, और ज़मीन की भराई का काम ६८ प्रतिशत, बांधों पर लगभग ८५ प्रतिशत कार्य तथा मुख्य नहर और उसकी शाखाओं के सम्बन्ध में ९१ प्रतिशत काम किया जा चुका है । काम करने की चालू ऋतुओं के दौरान में बांध पर पक्का करने का तथा मुख्य नहर और उसकी शाखाओं के सम्बन्ध में ज़मीन की खुदाई का जितना काम हुआ है, वह निर्धारित काम से कहीं ज्यादा है । वस्तुतः इस ऋतु के लिये मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं पर जमीन की खुदाई के लिये काम का जो अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उससे अधिक काम हो चुका है । विद्युत् गृह और ट्रांसमिशन लाइनों का काम भी साथ साथ चल रहा है । नहरों पर नाले बनाने का काम कार्यक्रम के अनुसार कुछ पीछे है, क्योंकि भूमि अर्जन में देरी लगी तथा ठेकेदारों ने जिन औज़ारों के लिये आदेश भेजे थे उनके मिलने में देर लगी । इस कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में उपाय किये गये हैं । इस साल इस परियोजना पर जितना काम हुआ है वह अन्तिम लक्ष्य से आगे निकल गया है । जैसा कि गत सत्र में बताया गया था, अगस्त, १९५६ तक बांध पूरी तरह से पूरा हो जायेगा और विद्युत् तथा सिंचाई का पानी उपलब्ध हो जायेगा ।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में, १,५०,००० किलोवाट की स्थापित क्षमता का बोकारी उष्मीय केन्द्र तथा ४००० किलोवाट की स्थापित क्षमता का तिलैया जल-विद्युत केन्द्र दोनों को ही वाणिज्यि आधार पर चलाना शुरू कर दिया गया है । कोनार बांध पूरा हो चुका है और जून, १९५५ तक निचले जल मार्गों की स्थापना हो जायेगी । ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है । मैपान तथा पांचेत पहाड़ी के बांध बड़े मुख्य बांध हैं, क्योंकि इन्हीं पर मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई से निर्भर है । मैथान बांध का काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पीछे रहा है । इससे पांचेत पहाड़ी के बांध पर भी असर पड़ा है, क्योंकि मैथान से जो उपकरण खाली होते उनसे ही उसका काम चलने वाला था । दामोदर घाटी निगम एक अनुभवी निर्माण इंजीनियर की नियुक्ति कर रही है, ताकि वह देरी के कारणों का पता चला सके और निगम उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर सके । मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि दुर्गापुर बांध पर निश्चित कार्यक्रम को देखते हुये अधिक काम हो चुका है । नहरों के सम्बन्ध में जो काम हो रहा है, वह सामान्यतः संतोषजनक है । दामोदर घाटी परियोजनाओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित तिथियां कर दी गई हैं:

मैथान परियोजना (वास्तविक रूप में) जून, १९५५ तक पूरी हो जायेगी । यह बात इस बात पर निर्भर है कि अभी तक किये गये काम के सम्बन्ध में जितना समय खो दिया गया है अथवा जितने वे पीछे रह गये हैं, उसको वे कहां तक पूरा करते हैं ।

पांचेत पहाड़ी--

मिट्टी का बांध	मार्च, १९५७
स्पिलवे,	अप्रैल, १९५७
क्रेस्ट गेट्स	जून, १९५७
विद्युत् गृह,	सितम्बर, १९५७
दुर्गापुर का मुख्य बांध	जून, १९५५
मुख्य और सहायक नहरें तथा अधिकांश नाले,	जून, १९५७
छोटी नहरें, नालियां तथा मेहराब-दार नालियां, पुल इत्यादि, १९५८ के अन्त तक ।	

तुंगभद्रा में, मैसूर-आंध्र की ओर बांध बन चुका है, केवल फाटक नहीं लगे हैं, जो कि लगाये जा रहे हैं। स्पिलवे का पुम दोनों ओर दिसम्बर, १९५५ तक पूरा हो जायेगा । दिसम्बर, १९५६ तक बांध पूरी तरह तैयार हो जायेगा । बांध पर विद्युत् गृह और नहर विद्युत् गृह के पूरे होने की अन्तिम तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । ये तिथियां क्रमशः जून, १९५६ तथा दिसम्बर, १९५६ हैं ।

कोसी के सम्बन्ध में, प्रारम्भिक निर्माण कार्य चल रहे हैं । कोयना के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। रिहन्द के बारे में भी प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

एक और महत्वपूर्ण बात है प्राप्त लाभों का उपयोग करना । भाखड़ा नहर प्रणाली द्वारा खरीफ की सिंचाई जुलाई, १९५४ में आरम्भ की गई थी । तीन भाग लेने वाले राज्यों में लगभग ९ लाख एकड़ क्षेत्र में १९५४--५५ में सिंचाई हो रही थी। गंगोवाल बिजली घर की लगभग ८,५०० किलोवाट बिजली का प्रयोग किया जा रहा है । आशा की जाती है कि मई, १९५५ तक इस बिजली घर की कुल २४,००० किलोवाट बिजली को प्रयोग में लाया जायेगा ।

हीराकुड के सम्बन्ध में बांध से सिंचाई के लिये जल दिलाये जाने के पूर्व ही कृषकों को तैयार करने के हेतु प्रयोगात्मक और प्रदर्शनी के फार्म आरम्भ कर दिये गये हैं । रौरेकेला में इस्पात कारखाना और हीराकुड और जोरड में एलोमीनियम तथा फेरो-मेगानीज़ के कारखानों को स्थापित करने पर और इस क्षेत्र में विद्युत प्रयोग करने वाले अन्य उद्योगों के स्थापित होने पर ये सार्थ न केवल हीराकुड में पैदा की जाने वाली बिजली को ही उपयोग में ले आयेंगे वरन् उनकी मांग से यह भी सिद्ध हो जायेगा कि चिपलीमा में एक सहायक बिजली घर भी खोलना चाहिये । और उसे शीघ्र ही खोलना पड़ेगा ।

दामोदर घाटी निगम में, फरवरी, १९५३ में तिलेया और बोकारों की बिजली उपलब्ध थी इस समय इन दोनों स्थानों से क्रमानुसार १,१५० किलोवाट और ४५,००० किलोवाट बिजली ली जाती है । दिसम्बर, १९५४ तक ६५,४५० किलोवाट बिजली प्रयोग करने की जो योजना थी वह पूरी नहीं हो सकी क्योंकि दो बड़े उपभोक्ता समवाय बिजली का अपना पूरा अभ्यंश प्राप्त करने का प्रबन्ध नहीं कर सके । आशा है कि ये दो उपभोक्ता अगले दो या तीन मास में अपना अभ्यंश ले सकेंगे । यह आशा की जाती है कि बोकारो स्टेशन में जिसकी स्थापित क्षमता १,५०,००० किलोवाट है, उस क्षमता के अनुसार पैदा होने वाली सारी बिजली को अगले दो वर्षों में उपयोग में लाया जायेगा ।

अब तक कुल ३,१६,००० किलोवाट बिजली देने के वचन दिये जा चुके हैं जिसमें २,६०,००० किलोवाट बिजली का नियमित प्रयोग होगा । आशा है कि १९५९ तक बिजली की मांग स्थापित क्षमता से भी अधिक हो जायेगी । बोकारों में एक और कारखाना खोलने और कोनार में विद्युत विकास के लिये प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

[श्री नन्दा]

तिलेया में एकत्र जल को अभी सिंचाई के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। निगम में लगभग ४०० रुपये प्रति एकड़ की लागत पर बिहार में लगभग १०,००० एकड़ खरीफ़ की सिंचाई और ७,५०० एकड़ रबी की सिंचाई करने की योजना तैयार की है बिहार सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं—पिछले बार भी मैंने कहा था—कि डी० वी० सी० के मामले में आरम्भ में ही दोषपूर्ण योजना बनने के कारण हमारी कार्यवाही में बाधा आ रही है और इसलिये ये परिणाम स्वाभाविक हैं। हम उन्हें ठीक करने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

तुंगभद्रा बांध के सम्बन्ध में भी आयाकट के विकास में काफी विलम्ब हुआ है। भारत सरकार विकास के पहलू पर भी विचार कर रही है यह विषय सम्बन्धित राज्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने इस विषय की विस्तृत परीक्षा करने के लिये राज्यों में विशेषज्ञों के दल भेजे थे और उन के प्रतिवेदनों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया गया था। राज्य सरकारों ने केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है। हैदराबाद के लिये ५४ लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई है और मैसूर तथा आंध्र को ऋण देने के विषय पर विचार किया जा रहा है। आंध्र सरकार ने भूमि के शीघ्र विकास के लिये एक सिंचाई बोर्ड स्थापित किया है।

अब मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लेता हूं। इस सम्बन्ध में हम ने जितनी प्रगति की है, उस बारे में मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों को अभिरुचि होगी। इसमें से बहुत सी जानकारी तो कुछ घंटे पहले ही एकत्र की गई है। अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी कर रहे हैं। आशा है कि हमें कहा जायेगा कि हम लगभग १ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध करें और ३० या ३५ लाख किलोवाट और विद्युत् बनायें। मंत्रालय ने यह हिसाब लगाया है। इस विकास क्रम पर लगभग ११०० करोड़ रुपया व्यय होने की आशा है। इसमें से कितना किया जा सकेगा यह भिन्न विषय है। इस में प्रथम पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं पर किया गया अतिरिक्त व्यय भी सम्मिलित है जिसे द्वितीय योजना की कालावधि में ले लिया जायेगा। अब तक योजना आयोग को सिंचाई की ३९ ऐसी योजनाएं मिली हैं जिन की जांच हो चुकी है और विद्युत सम्बन्धी ८९ ऐसी योजनाएं मिली हैं जिन की जांच हो चुकी है और जिन की अनुमित लागत ४२९ करोड़ रुपये होगी। १५ वर्ष में देश के सिंचाई के क्षेत्र को दुगना करने के लक्ष्य के सम्बन्ध में मुझे शंका है कि राज्यों ने जांचों के बारे में पर्याप्त प्रगति नहीं की।

क्या मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये परियोजनाओं के चुनाव के बारे में अपनाये गये आधार को संक्षेप से स्पष्ट कर दूं? मैं समझता हूं कि इसे बाद के अवसर के लिये छोड़ देना चाहिये। मैं सभा को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिसका भविष्य में देश की सिंचाई तथा विद्युत शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। देश की विद्युत शक्ति लगभग ३५० लाख किलोवाट तक निर्धारित की गई है जिसमें से ६० प्रतिशत प्रयोग होगा। केन्द्रीय तथा जल-विद्युत आयुक्त ने पश्चिम में बहने वाली, पूर्व में बहने वाली और मध्य में बहने वाली नदियों की जल विद्युत् शक्ति का निश्चित निर्धारण किया है और १५० लाख किलोवाट के आंकड़े रखे हैं। इसी प्रकार

के आंकड़े सिंचाई के सम्बन्ध में एकत्र किये जा रहे हैं। उन्होंने दक्षिण में ७० लाख एकड़ की सिंचाई की शुद्ध शक्ति का निर्धारण किया है । अन्य क्षेत्रों सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है । यह जानकारी जो मैंने दी है, मूल जानकारी है । मैं अन्य कुछ बहुत अनिवार्य पहलुओं के बारे में भी मूल जानकारी देना चाहता हूं । परन्तु मैं समझता हूं कि सदस्यों की इच्छा यह होगी कि इसे बाद में लिया जाये । मैं सोच रहा था कि कुछ नवीनतम कार्यक्रमों और कार्य क्षमता के सम्बन्ध में अपनाये गये कतिपय उपायों के सम्बन्ध में बताऊंगा । यदि सभा की इच्छा हो तो मैं यह बता दूंगा । इसमें मुझे १० मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानल—पश्चिम कटक) : प्रधान मंत्री इस विषय पर पहले बोले थे । ऐसी प्रथा पहले कभी नहीं थी कि मंत्री विषय को पुरः स्थापित करे ।

सभापति महोदय : वस्तुतः प्रथा तो यह होनी चाहिये थी कि मांग प्रस्तुत करने के पश्चात पहले प्रभारी मंत्री बोलें और उसके पश्चात् विरोधी पक्ष के और अन्य सदस्य बोलें । परन्तु क्योंकि पुस्तकाएं और संक्षेप इत्यादि सदस्यों को दे दिये जाते थे जिससे उन्हें पहले ही पता लग जाता था कि मंत्री क्या कहना चाहते हैं, इसलिये इस प्रकार की प्रथा चल पड़ी थी कि विरोधी पक्ष के सदस्य चर्चा आरम्भ करें । इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मंत्री वाद विवाद आरम्भ करें । जो तथ्य अभी उन्होंने रखे हैं यदि वे न रखे जाते तो सभा को इन हाल के मूल्यवान तथ्यों का ज्ञान न होता ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : यदि हमें कार्य मंत्रणा समिति में यह पता लग जाता कि माननीय मंत्री कुछ समय लेंगे तो हम विभिन्न मंत्रालयों के लिये कुछ और समय की मांग करते । यह जानकारी भले ही मूल्यवान है परन्तु यदि यह पहले परिचालित की जाती तो हम इसका उत्तर दे सकते थे ।

सभापति महोदय : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है यह जानकारी अभी दो ही घंटे पहले एकत्र की गई थी । निस्सन्देह यदि यह जानकारी पहले दी गई होती तो सभा के लिये बहुत लाभदायक होता ।

श्री नन्दा : मैं स्पष्टीकरण के लये केवल एक शब्द कहना चाहता हूं । पहले तो माननीय सदस्यों की ये शंकाए कि उनका समय छीना गया है निराधार है क्योंकि मैंने इन मूल विषयों के सम्बन्ध में जितना सभा को बता दिया है, निश्चय ही उन के बारे में मैं बाद में कम समय लूंगा । माननीय सदस्य भी अधिक समय नहीं लेंगे । मैं समझता हूं कि वस्तुतः इससे चर्चा में कमी हो जायेगी और उस से समय का सदुपयोग हो जायेगा । दूसरे इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि मुझे यह जानकारी सभा को पहले देनी चाहिये थी मैं पहले ही बता चुका हूं । माननीय सदस्य प्रत्येक प्रक्रम में बार बार इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि मैंने उन्हें सब जानकारी जो मेरे पास थी दे दी है । एक मंत्रणा समिति बनी हुई है । माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जानती हैं कि कितनी जानकारी दी गई है । और जानकारी देने की भी मुझे उत्कंठा है । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधि कल और परसों आये हैं । इस पर घंटों श्रम और विचार किया गया है । एक आंकड़े का अभिप्राय यह है कि उस पर बहुत विचार किया गया है । सभा को कुछ बताने से पूर्व मैं प्रत्येक आंकड़े और प्रत्येक छोटे से छोटे तथ्य के सम्बन्ध में निश्चय करना चाहता था । राज्यों को तारें भेजी गई थीं कि वे परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें । य सब

[श्री नन्दा]

बहुत पहले नहीं किया जा सकता था । मैं ने आधुनिकतम जानकारी दे दी है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली) : माननीय योजना मंत्री ने जो महत्वपूर्ण तथ्य बताये हैं हम उन के लिये बहुत आभारी हैं । मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि जो कार्य उन्होंने आरम्भ किये हैं और जिन्हें वे बाद में आरम्भ करेंगे उनके द्वारा यह शोषित पिछड़ा हुआ और दरिद्र देश तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि सम्बन्धी समृद्धि और औद्योगिक विकास प्राप्त कर सकेगा ।

पहले कैसी भी स्थिति रही हो परन्तु अब सिंचाई और विद्युत विकास अव्यवस्थित ढंग से नहीं होना चाहिये । यह कहने का कोई लाभ नहीं कि योजना और विकास सारे देश में एकरूप से वितरित होना चाहिये । परन्तु हाल ही में अवाड़ी में समाज की समाजवादी व्यवस्था का संकल्प स्वीकार किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि विकास एक रूप से होना चाहिये । अतएव मेरा विचार है कि यदि देश के सभी भागों के साथ एक जसा व्यवहार किया जाये तो अधिक अच्छा होगा ।

उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों से बड़ा है । प्रकृति की दृष्टि से भी इस में हिमालय और विन्ध्याचल पर्वत हैं जहां से जल और विद्युत के संसाधन प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु इस राज्य के लिये नियत की गई सिंचाई विकास की योजनाओं से पता चलता है कि इसके साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया गया है ।

१९५० में भारत के सभी संसाधनों से पैदा की जाने वाली बिजली १७·१ लाख किलोवाट थी और १९५१ में कुल ५८५८ लाख एककवार बिजली तैयार की जाती थी जो कि यहां की जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये १६ एकक होती है । आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि नारवे में प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये ५,२५७ यूनिट बिजली होती है । भारत को भी विश्व के प्रगतिशील देशों में स्थान प्राप्त करने के लिये विकास की इस कमी को पूरा करना होगा ।

यदि हम विभिन्न राज्यों के विद्युत विकास सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना करें तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में निराशाजनक निष्कर्ष मिलेगा । आजकल प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के आंकड़े ये हैं :—उत्तर प्रदेश में ७.२४ यूनिट, दिल्ली में ४६.४८ यूनिट, बम्बई में ४३.९५ यूनिट, पश्चिमी बंगाल में ४१.६८ यूनिट, मैसूर में ४१.०५ यूनिट, त्रावनकोर-कोचीन में १६.९१ यूनिट, मद्रास में १०.६२ यूनिट, सौराष्ट्र में ९.०७ यूनिट और पंजाब में ७.२६ यूनिट । इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का भाग सब से कम है ।

पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई और मद्रास की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थापित क्षमता भी कम है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति विद्युत वितरण के आंकड़े इस प्रकार होंगे—उत्तर प्रदेश में १६.५, पश्चिमी बंगाल में ७३.०, बिहार में ३५.०, बम्बई में ७५.में दिल्ली में १२७.०, हैदराबाद में २०.५, काश्मीर में १२.०, मद्रास में २७.०, त्रावनकार-कोचीन में ६०.०, मैसूर में ९४.०, उड़ीसा में ४१.५ और पंजाब में ४१.० ।

उत्तर प्रदेश की तुलना मद्रास से करें । मद्रास में ४२० शहरों में से ३०० में और

३६,००० गावों में से ३,००० में बिजली दी गयी है, जब कि उत्तर प्रदेश में ४५० शहरों में से १०० और १,१२,००० गांवों में से ४७५ में बिजली दी गयी है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के ६१०.१२ करोड़ रुपयों के आवंटन में से उत्तर प्रदेश को कुल ८७.८३ करोड़ मिले, जब कि बम्बई को १४६.४४ करोड़ और मद्रास को १४०.४ करोड़ मिले। १९५३–५४ के आयव्ययक में सिंचाई और विकास के लिये राज्यों को ऋण देने के लिये रखे गये ४,६२७ लाख रुपयों में से पश्चिमी बंगाल को ८७१ लाख, पंजाब को २,३६५ लाख, बिहार को २१९ लाख और उड़ीसा को १,१७२ लाख मिले और योग पूरा हो गया। १९५४–५५ के आयव्ययक के ८,१६६ लाख के आवंटन में भी स्थानीय कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश को कुल ७१ लाख रुपये मिले अर्थात् १७ प्रतिशत जनसंख्या को .८ प्रतिशत मिला। सिंचाई और विकास ऋण निम्न प्रकार से दिये गये।

	लाख रुपये
पश्चिमी बंगाल	१,०६४
पंजाब	२,०३८
बिहार	२०३
उड़ीसा	१,४५०
राजस्थान	१९७
पैप्सू	१८८

और १९५५-५६ में यह आवंटन निम्न प्रकार से किया गया :–

	लाख रुपये
पश्चिमी बंगाल	१,१९१
पंजाब	१,९०१
बिहार	२५६
उड़ीसा	१,७००
हैदराबाद	१५६
पैप्सू	२१४

बहुत सी परियोजनायें वहां शुरू की जा सकती हैं। वेतवा के पाताटीला बांध के विषय में केन्द्रीय सरकार का विचार है कि सिंचाई के इलावा वहां २,३०,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। घाघरा भी कोसी से कम भयावह नहीं है, वहां २० लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। उसी प्रकार राप्ती और केन नदियों को भी लिया जा सकता है।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं जो डिमाण्ड फार ग्रान्ट, पावर ऐंड इरिगेशन की है उन को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं विद्युत् और सिंचाई मंत्री श्री नन्दा और श्री जे० एल० हाथी को बधाई देना चाहता हूं कि अगर्चे इस मिनिस्ट्री को कायम हुये अभी तीन साल का ही अर्सा हुआ है, लेकिन इस तीन साल के अर्से में उन्होंने जो कार्य किया है, वह सराहनीय है। इतने ही अर्से में जो बड़ी बड़ी स्कीमें उन के हाथ में आई हैं उन में भाखरा नंगल की स्कीम अपने किस्म की एक लासानी स्कीम है। इस समय, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री कई दफा कह चुके हैं कि यह जो भाखरा नंगल की स्कीम है वह दुनिया की बड़ी बड़ी स्कीमों में से एक है, और इस प्रकार जो कार्य हमारे इंजीनियर्स ने किया है वह सराहनीय ही नहीं है बल्कि उस की तारीफ दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नेता यहां पर आये हैं और जिन्होंने भी भाखरा नंगल को देखा है, उन्होंने की है। यह ठीक है कि इस में बहुत सी जगहों पर गल्तियां भी हुई हैं, जैसे हमारी भाखरा नंगल केनाल्स के बनाने में बहुत जल्दी जल्दी काम किया गया और इस की वजह से उस में कुछ खराबियां भी आईं और अखबारों में भी उस की चर्चा हुई, पर मैं उन से दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि जहां पर हमारे टार्गेट्स दिये हुये हैं जिन में कि वह जल्दी करना चाहते हैं, वहां ऐसे काम

[श्री हेमराज]

न किये जायें जिन से बजाय नेकनामी मिलने के बदनामी शुरू हो जाय ।

इस समय तक जो भाखरा नंगल से बिजली पैदा हो रही है उस से यह ठीक है कि जो हमारे देश के बड़े बड़े शहर हैं उन को बहुत फायदा पहुंचता है, लेकिन मैं एक बात की तरफ़ उन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह है रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ़ । रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन जो फिगर्स हमारी पांच साला प्लैन में उद्धृत किये गये हैं उन से यह मालूम होता है कि पांच साला प्लैन के पहले एलेक्ट्रिसिटी का जो बटवारा था वह ज्यादातर शहरों में ही था। जो एक लाख की आबादी वाले शहर हैं वह ४९ थे और ४९ में एलेक्ट्रिसिटी थी, जो शहर ५०,००० की आबादी के थे वह ८८ थे और उन से पूरे ८८ एलेक्ट्रिफाइड थे । २०,००० की आबादी वाले जो शहर थे उन की तादाद २७७ थी उन में से २४० एलेक्ट्रिफाइड थे, १०,००० की आबादी वाले शहर ६०७ थे जिनमें से २०७ एलेक्ट्रिफाइड थे, और ५०००, की आबादी वाले जो शहर या बड़े गांव थे उन की तादाद २,३६७ थी और उन में से सिर्फ २९८ एलेक्ट्रिफाइड थे । जो जगहें ५,००० से कम आबादी की थीं उन की संख्या ५,५९,०६२ थी उन में से सिर्फ २,७९२ एलेक्ट्रिफाइड थे । इस गणना से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे गांव हैं उनमें से एक परसेंट भी एलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं । अभी थोड़े दिन हुये, गालिबन २ तारीख का वाकया है जिस समय हमारे एक माननीय सदस्य ने एक सवाल किया था उस समय हमारे मंत्री जी ने फरमाया था कि मौजूदा पांच साला प्लैन के अन्त तक ६,५०० गांवों में बिजली पहुंच जायेगी । और अगली पांच साला प्लैन जिस वक्त मुकम्मिल हो जायेगी उस समय तक १०,००० या १२,००० गांवों में एलेक्ट्रिसिटी हो जायेगी अगर आप की उस रफ्तार को देखा जाये जिस रफतार से कि आप चल रहे हैं तो आप की यह जो रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीमें हैं उन के पूरा होने में सदियां लग जायेंगी । इसलिये मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस समय देख रहे हैं कि आप को बेरोजगारी को दूर करना है अब इम्प्लायमेंट को दूर करना है और अगर आप चाहते हैं कि आप को इस प्राब्लेम को हल करने में मदद मिले तो मैं आप को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप ज्यादा जोर देहातों में दस्तकारियां जारी करने और उनके लिये बिजली मुहैय्या करने में लगायें । जब तक आप इन घरेलू दस्तकारियों को बिजली नहीं पहुंचाते तब तक यह दस्तकारियां अच्छी तरह से चल नहीं सकतीं । आपने बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई हैं और यह ठीक है कि उन स्कीमों के पूरा हो जाने पर जो बड़े बड़े इलाक़े हैं उनको बहुत फायदा पहुंचेगा लेकिन देहातों और छोटे छोटे इलाक़ों में जो लोग रहते हैं उनको इनसे क्या फायदा होगा, उनके लिये तो अपना गांव ही दुनिया है और जब तक उन के गांवों की हालत नहीं सुधरती तब तक उनमें कोई उत्साह पैदा नहीं हो सकता । जब तक आप उनकी ज़मीन की सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक उनके दिलों में उत्साह पैदा नहीं हो सकता । जब आपने एक इंजीनियर सैमिनार का आयोजन किया था उसमें भी यह सवाल आया था और उस सैमिनार ने इसके मुताल्लिक़ कुछ रिकोम्मेंडेशंस भी की थी । इन रिकोम्मेंडेशंस के बारे में जो रिपोर्ट आपने हमें दी थी उस से पता चलता है कि आप इस समय भी कुछ स्टेटों को लोन की सूरत में रुपया दे रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन के

लिये । इस लिस्ट को पढ़ने से पता चलता है कि इस समय जो रकूमात आप ने मुख्तलिफ स्टेटों को दी हैं सारी की सारी लोन की सूरत में दी हैं । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यह न समझें कि वे गांव जहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आप करते हैं वे आपको एक दम मुनाफा देना शुरू कर देंगे । शुरू शुरू में आपको बहुत सारा घाटा ज़रूर होगा लेकिन यह नहीं हो सकता कि यह घाटा हमेशा के लिये कायम रहे । जिस समय गांव वाले उस बिजली का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो लाज़मी तौर पर कुछ देर बाद आपको मुनाफा होना भी शुरू हो जायगा । अगर आप यह ख्याल करें कि पांच दस साल में ही आप को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से मुनाफा होना शुरू हो जाये तो मैं समझता हूं यह बात सोचना आपके लिये मुनासिब नहीं होगा । इसलिये मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप माइनर इरिगेशन वर्क्स के लिये लोंस और सब्सिडी दोनों देते हैं उसी तरह से देहातों में बिजली पहुंचाने के लिये भी आप सब्सिडी और लोंस दें ।

अब मैं आपके सामने जो हमारी इरिगेशन स्कीम्स हैं और जिनसे बिजली पैदा होती है थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं । इन स्कीमों से जो बिजली पैदा होती है हम यह देखते हैं कि जहां से बिजली निकलती है उसके आसपास के जो देहात होते हैं वे तो बिजली के बगैर रह जाते हैं और दूर दूर को जो शहर और कसबे होते हैं उनको बिजली मिल जाती है । मैं अपने कांगड़े जिले की बात करता हूं । कांगड़े जिले को तो बिजली मिलती है लेकिन उसके आस पास जो देहात हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है । इन देहातों में बिजली पहुंचाने की स्कीमें बनी थीं लेकिन वहां पर एक दो डिपार्टमेंट्स हैं और उन दोनों का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है और इस वजह से यह स्कीमें चल नहीं सकीं । स्कीमें मंजूर तो हो जाती हैं लेकिन अगर उनको अमल में न लाया जाये तो उनसे क्या फायदा । आप की रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनके मुताल्लिक़ ज्यादा से ज्यादा किफायतशारी करने के लिये, स्टैंडर्डाइजेशन के लिये कम कीमत की लाइनें बनाने की योजना है । लेकिन हम तो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पहाड़ हैं वहां पर जो लकड़ी है, जो जंगलात वहां पर खड़े हैं वहां पर बिजली काफी मात्रा में और बड़ी थोड़ी कीमत पर मिल सकती है । हमारे जंगलात का कायदा यह है कि जिस गांव में जंगल होगा उनको तो मिलेगा ज़मींदारी शरह और जहां पर जंगल नहीं हैं उनको मिलेगा बाजारी शरह । अब जो बाजारी शरह है और जो जमींदारी शरह है इन दोनों में बड़ा फर्क है । जमींदारी शरह पर एक रुपये में एक दरख्त मिलता है और बाजारी शरह पर दस रुपये में एक दरख्त मिलता है । फौरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरा जो वहां पर डिपार्टमेंट है उन में आपस में ही काओर्डिनेशन नहीं है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम तो पेड़ देने के लिये तैयार नहीं है । स्कीमें बनती हैं और दो दो साल लग जाते हैं लेकिन गांवों को बिजली नहीं पहुंचती इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि डिपार्टमेंट्स में काओर्डिनेशन होना चाहिये । ताकि जो स्कीमें हैं वे जल्दी से आगे चल सकें :

एक बात और है जिसकी तरफ़ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । आप का इंडस बेसन है उस के दो तीन दरिया हैं उन का फैसला वर्ल्ड बैंक कर रहा है और इनके पानी के बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि इन तीनों दरियाओं का पानी, यानी

[श्री हेमराज]

चिनाब, जेहलम और सिंध का पाकिस्तान को मिल जाये । लेकिन तीन और दरिया हैं, सतलुज, रावी और ब्यास जिन के बारे में मैं कहना चाहता हूं । इन का पानी तो हमें मिल ही सकता है । तीन दरिया ब्यास, रावी और चनाव मेरी कंस्टिटुएंसी में से निकलते हैं । सतलुज नदी पर बांध बनाये जा रहे हैं और उनका फायदा न सिर्फ पंजाब को ही बल्कि तीन स्टेटों को होगा और हो भी रहा है । ब्यास का पानी अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है । इसके पानी को इस्तेमाल में लाने के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने आप के पास एक स्कीम भेजी है । हम देख रहे हैं कि सतलुज का पानी जो है उसको आप इस्तेमाल में ला रहे हैं और इसका इस्तेमाल आप भाखड़ा कैनाल में करेंगे और डैम के लिये भी यहां से पानी लिया जायगा । इतना करने के बाद भी आप को पानी की जरूरत होगी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ब्यास का जितना भी पानी है वह सारे का सारा इस समय वेस्ट होता है । अगर इसके पानी को आप इस्तेमाल में लायेंगे तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

अब मैं स्कार्सिटी इफैक्टिड एरियाज जो आपने लिये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । मैं देखता हूं कि आपने यह समझ कर कि भाखड़ा नंगल योजना जो पंजाब में चल रही है या जो नहरें यहां पर निकाली जा रही हैं उनके कारण पंजाब में कोई भी स्कार्सिटी इफैक्टिड एरियाज नहीं है । लेकिन मैं पंजाब के दो एरियाज का जिक्र करना चाहता हूं जो कि अभी भी स्कार्सिटी एफैक्टिड एरियाज हैं । इनमें से एक तो कांगड़ा है और दूसरा हमारे सभापति महोदय की कांस्टिट्युएंसी है यानी गुड़गांव । मेरे इलाक में लोग पहाड़ियों की चोटियों पर रहते हैं । इसलिये उनको नहरी पानी से कोई फायदा नहीं होता है । सभापति महोदय की जो कान्स्टिट्यूएंसी है उसकी हालत भी बहुत खराब है और उस की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उन्होंने दो तीन बार अपने इलाके का का जिक्र भी किया है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया । अब पंजाब गवर्नमेंट ने जहां तक गुड़गांव का ताल्लुक़ है गुड़गांव कैनाल के बारे में एक उपयोगी स्कीम आप को भेजी है । जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक़ है मैं चाहता हूं कि उस जिले का शुमार स्कार्सिटी एफैक्टिड एरिया में होना चाहिये क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जहां अगर बारिश हो जाये तब तो फसल हो जाती है और अगर न हो तो उनकी फसल तबाह हो जाती है । वहां पर पानी मौजूद है और उसको उपयोग करने का एक तरीक़ा यह हो सकता है कि वहां पर छोटे छोटे डैम बनवा दें तो बहुत सारा पानी उस इलाके की भलाई के लिये इस्तेमाल हो सकता है । इस समय जो वहां पर एरोयन हो रहा है वह भी बन्द हो जायगा और सायल कन्जरवेशन भी हो जायगा । उसके साथ ही यह भी हो सकता है कि वहां पर जो आप छोटे छोटे डैम बनावें उनसे हमारे इलाक़े में बिजली पैदा की जा सके, और उसके जरिये से हम वाटर लिफ्टिंग करके न सिर्फ अपना गुजारा कर सकेंगे बल्कि बाहर भी गल्ला भेज सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं उन पर गौर करें और उनके मुताबिक़ अमल करने की कोशिश करें ।

सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हारबर) : इस मंत्रालय की चर्चा करते समय हमें देखना है कि विकास में यह कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है। आंकड़े भी कुछ पहले दिये जाते तो अच्छा होता। देश में केवल १९ प्रतिशत जमीन में सिंचाई होती है, और उस के भी १३ प्रतिशत में दो फसलें होती हैं। हमें सिंचाई की समस्या पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई से भी पहले आता है। हमारे देश में बिजली को सिंचाई के बाद ही स्थान देना होगा। देहातों का सुधार करने के बाद ही हम औद्योगिक विकास की ओर प्रगति कर सकते हैं, यद्यपि मैं शीघ्र उद्योगीकरण के विरुद्ध नहीं हूं।

मैं बड़ी परियोजनाओं के भी विरुद्ध नहीं हूं। वे विकास कार्यक्रम में आवश्यक हैं। पर हमारे पास श्रमका अतिरेक है, आधे वर्ष लोगों के पास काम नहीं होता। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में हम उनका उपयोग कर सकते हैं और उन्हें सस्ते में पूरा कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से हम बिजली योजनाओं की ओर ही सारा ध्यान दे रहे हैं।

भाखड़ा नंगल परियोजना में ४,००० किलोवाट में से केवल ९,००० किलोवाट का ही स्थानीय क्षेत्रों और दिल्ली को बिजली देने में उपयोग किया जा सका है। यही दशा दामोदर घाटी निगम की भी है। बिजली तुरन्त उपभोक्ता को देने की योजना ठीक नहीं है। कलकत्ता बिजली संभरण निगम उस बिजली को अपने समूह (पूल) में डालकर तदनुसार मूल्य पर देता है। यदि यह बिजली उपभोक्ता को सस्ती मिलती, तो उसको इससे लाभ होता।

पश्चिमी बंगाल के देहाती क्षेत्रों में भी एक निगम बिजली देता है और पुरानी दर लेता है। भाखड़ा नंगल की भी सारी बिजली नये उद्योगों या देहातों के घरेलू उद्योगों में व्यय होने नहीं जा रही है। शायद अ वह वहां बनने वाले उर्वरक व रसायन संयंत्र में काम आयेगी। पर देहात को बिजली देने की बात करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि उसका उपयोग वहां के घरेलू उद्योगों में किया जाये।

सिंचाई के आंकड़ों के अनुसार सम्बन्धित राशि १६७६९.२ लाख रुपयों से बढ़ा कर २१३५६.३ लाख कर दी गयी है और इससे ६३,१६,००० एकड़ को लाभ होने जा रहा है, यद्यपि अ तक ४९,०७,००० एकड़ क्षेत्र ही जोड़ा जा सका है। योजना-काल की २२.३ लाख किलोवाट प्रस्तावित बिजली के स्थान पर अभी हमारे पास १० लाख किलोवाट ही है। यह कमी क्यों हुई है? राज्य-खंड में ३६१ करोड़ के स्थान पर १०० करोड़ रुपये ही व्यय होने जा रहे हैं। यदि आयव्ययक की पूरी राशि व्यय हो तो हम निश्चय ही लक्ष्य बिन्दु के निकट तक पहुंच सकते हैं। कुछ राज्यों में योजना के ११९४ लाख के स्थान पर ७५९ लाख रुपयों का ही व्यय हुआ है। पता नहीं प्राक्कलन किस प्रकार बनाये गये थे, जो पश्चिमी बंगाल में ६० प्रतिशत व्यय होने पर भी शत प्रति लाभ हो गया। यू० पी० में १०९९ लाख के स्थान पर १४१८ लाख व्यय करने पर भी लाभ कम हुआ। इन बातों पर ध्यान देना होगा।

बहुसूत्री परियोजनाओं के बारे में हमें किये गये विशाल व्यय और उसमें लगे समय पर भी ध्यान देना होगा। आज हमें बताया गया कि मशीनों के न आने से भाखड़ा-नंगल में नदी के प्रवाह को पलटने का कार्य स्थगित करना पड़ा। इंजीनियरों के बारे में

[श्री के० के० बसु]

कुछ प्रवाह फैल रहे हैं। हीराकुड की धांधलियां प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियों ने भी बतायी है । हमें कब तक विदेशियों और विदेशी मशीनों पर निर्भर रहना होगा ? नहरों, उपनहरों आदि के बनने में भी देर हुई है ।

दामोदर घाटी निगम में कुछ सुधार बताया जा रहा है, पर व्यय प्राक्कलन से बढ़ गये हैं। बिजली का मूल्य ०.२४ आना प्रति यूनिट होने का अनुमान था, पर यह एक आना हो गया है। इसी प्रकार पानी की दर ८ रुपये के स्थान पर १५ रुपये होने जा रही है। हम इन सब में जन हित का ध्यान नहीं रखते । दामोदर घाटी में बताया जा रहा है कि क्षतिपूर्ति तीन-चार वर्ष में दे दी जायेगी। बहुत सा क्षेत्र बांधों में और नदियों के प्रवाह को बदलने में नष्ट हो रहा है, कुछ उपजाऊ भूमि बंजर होने जा रही है । एक वर्ग के लाभ के लिये दूसरे को उससे वंचित नहीं करना चाहिये । दामोदर घाटी के विशेषज्ञ स्थान पर न जा कर और लोगों से बिना पूछे कलकत्ते में बैठ कर नकशों और पुस्तकों की सहायता से मनमानी योजना बनाया करते हैं ।

मेरे जिले में दुर्गापुर नहर बनने से आराम बाग नहीं सूख जायेगी । इंजीनियरों से हमने कहा भी, पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं । श्री बूरदुइन की मूल योजना थी कि बांधों के बनने के बाद नयी नहरों की योजना बनानी चाहिये । ये रिपोर्टें प्रकाशित होनी चाहिये ।

कहा जाता है कि उत्तरी और पश्चिमी बंगाल के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिये गंगा-बैरेज योजना अनिवार्यतः आवश्यक है । पर इस पर बंगाल का भविष्य निर्भर है । इन नदियों में पानी न रहा तो सारा सुन्दरवन सूख जायगा । योजनाओं को संतुलित किये बिना कोई लाभ न होगा ।

दस वर्ष तक सुधार-कर और जल-दरें नहीं लगानी चाहिये, क्योंकि इतनी जल्दी पूंजी विनियोजन से लाभ की आशा नहीं करनी चाहिये । कुछ समय हम यह नहीं जान सकते कि सिंचाई आदि से कुल लाभ कितना होगा । यू० पी० में कुछ लाभप्रद और अलाभप्रद नहरों में कोई भेद नहीं रखा गया है । ४५ रुपये के लाभ के लिये गरीब किसान को १२ रुपये तक देने पड़ते हैं । आशा है, कुछ समय तक ये सुधार कर न लिये जायेंगे और माननीय मंत्री गंगा बैरेज योजना को भी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : माननीय मंत्री ने वर्तमान के प्रति संतोष और भविष्य के लिये आशा का सन्देश दिया है । हमें बिजली की बहुत जरूरत है ।

हमारे ज़िले में बहुत सी अलूमिना, वौग्जाइट मौनीसाइट आदि सम्पत्तियां हैं । कावेरी नदी और मैटूर योजना से बिजली प्राप्त होने पर भी इनका विदोहन नहीं किया गया है । हमारे यहां बिजली इस कार्य के लिये पर्याप्त भी नहीं है । वह बिजली और पानी दूसरे ज़िलों को तो मिलता है, पर हमारे ज़िले को नहीं । आशा है, कभी उसकी ओर भी ध्यान दिया जायेगा । कुंडा योजना के लिये राज्य विशेष चिन्तित: है, कुर्ग की योजना के लिये इसे नहीं रोकना चाहिये ।

सिंचाई और बिजली योजनाओं के सम्बन्ध में मैं ने कंकरीट और ईंट-चूने के बांधों के बारे में प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में काफी ब्यौरे दिये गये हैं । मंत्रालय को दोनों के सापेक्ष व्यय पर ध्यान देना चाहिये ।

कंकरीट बांधों के लिये विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ती हैं और बड़ा धन व्यय होता है। सरकार इसके लिये समिति नियुक्त करने की बात अब कर रही है। क्या यह पहले नहीं हो सकता था ? क्या यही योजना बनाना है ? यह निर्णय कब तक होगा ?

मंत्री जी ने हीराकुड और दामोदर के पूरे हो जाने का आश्वासन दिया है। वहां हमने बड़े बड़े इंजीनियरिंग संगठन बनाये हैं। क्या उनके पूरा होने पर इन्हें निकाल दिया जायेगा या अन्यत्र लगाया जायेगा ? राज्य के उपक्रमों में लगे हुये मज़दूरों को क्या निकाल कर बाहर कर दिया जायेगा ? राज्य को उनका सदुपयोग करना चाहिये। काम पूरा होने पर उन्हें निकाल दिया गया, तो उन्हें काम ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। अतः सरकार को इस बारे में तुरन्त निर्णय करना चाहिये और यह बताना चाहिये कि अब तक निर्णय क्यों नहीं किया गया है ?

एक स्थान में समृद्धि और अन्यत्र अकाल का होना भी उचित नहीं है। नदी आदि की विपुल सुविधायें न रखने वाले विशाल क्षेत्रों का भी हमें ध्यान रखना चाहिये। यह अच्छा है कि मंत्रालय अभाव वाले क्षेत्रों के लिये अलग योजनायें बना रहा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अभाव वाला क्षेत्र है और मैं जानता हूं कि छोटी सी दो करोड़ रुपये की योजना ने हमें कितना लाभ पहुंचाया है। मैं इसके लिये मंत्रालय को बधाई देते हुये आशा करता हूं कि राशि बढ़ा कर और अधिक क्षेत्र को समेटा जायेगा। मैं आशामय भविष्य की ओर मंत्रालय की सफलताओं के लिये उसे बधाई देता हूं।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। यह जो विषय हमारे सामने आज है वह भारत की जनता के वास्ते अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिस में कभी तो सूखा पड़ जाता है और कभी बाढ़ें आ जाती हैं। जब से फाइव इअर प्लैन के सम्बन्ध में इरिगेशन और पावर का डिपार्टमेंट खुला है तब से उस से बहुत कुछ राहत मिली है क्योंकि यहां पर कभी सूखा पड़ जाने और पानी न होने की वजह से काश्त खराब हो जाती है तो कभी इतनी बाढ़ें आ जाती हैं कि काश्त बर्बाद हो जाती है, और इस के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से हमारे देश की खाद्य समस्या इतनी जटिल हो गई थी कि लाखों टन गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा, लेकिन जब से यह स्कीमें जारी हुई हैं उस ने तरह तरह के डैम्स बनाये हैं और उन डैम्स से हमें इतना लाभ हुआ है, हम ने इतनी तरक्की की है कि जो हमारी खाद्य समस्या थी उस को हमने हल कर लिया है।

पंजाब में जहां हांसी और हिसार हैं वहां पर तीन चार साल तक सूखा पड़ता था और एक साल पानी बरसता था, वहां पर अब भाखरा और नंगल प्रोजेक्ट के हो जाने की वजह से काफ़ी गल्ला होता है। इसी प्रकार राजस्थान में भी नहरें बनाई गई हैं और वहां पर भी काफी तरक्की हुई है। तो यह जो हमारे डैम्स और हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्कीम्स हैं उन को देखने से मालूम पड़ता है, मुझे पिछली जनवरी मास में डी० वी० सी० को देखने का मौक़ा मिला, मैं ने देखा कि जहां पर हमेशा बाढ़ें आती थीं और बाढ़ें आने के बाद, बारिश निकल जाने के बाद, वहां पर एक चुल्लू पानी भी नहीं मिलता था, वहां पर आज समुद्र सा बन गया है। जब मैं तलैया डैम पहुंचा तो

[सेठ अचल सिंह

मुझे बताया गया कि पहले वहां पर बाढ़ आती थी और बाद में जरा भी पानी नहीं रहता था, पर अब वहां पर एक डैम बना दिया गया है जिस की वजह से हमेशा पानी भरा रहता है और समुद्र की तरह वह जगह बन गई है । उससे बिजली भी बनाई जाती है और सिंचाई का भी काम होता है । इसी तरीके से मैं ने कोनार डैम देखा, पंचेत, मैथन डैम और दुर्गापुर बैराज का काम देखा । उन में से दो प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो चुके हैं और बाकी का काम खत्म होने वाला है । इन प्रोजेक्ट्स से हमें इतना फायदा पहुंचा है कि हम उस को पढ़ कर या सुन कर अन्दाज नहीं लगा सकते हैं । सिर्फ वही लोग अन्दाज लगा सकते हैं जो उन को खुद जा कर देखें कि उन्होंने किस तरीक़े से प्रगति की है । बहरहाल मैं इस डिमाण्ड का जो कि हमारे देश की तरक्क़ी के लिये है, स्वागत करता हूं ।

साथ साथ मुझे एक शिकायत है अपने उत्तर प्रदेश से और वह आगरा मथुरा के बारे में । आगरा मथुरा राजस्थान के बार्डर पर बसे हुये हैं और उन में हर साल एक मील तक रेगिस्तान बढ़ता जाता ह । वहां पर पानी की बड़ी सख्त कमी है । वहां पर यू० पी० गवर्नमेंट ने फारेस्टेशन करना शुरू कर दिया है, लेकिन पानी न होने की वजह से बहुत से पेड़ सूख जाते हैं । आगरा में जो दिल्ली से ओखला की नहर निकलती है वहां से पानी जाता है, जिस का नतीजा यह होता है कि सवा सौ मील चल कर वहां पर बहुत पानी नहीं पहुंच पाता । और वह भी समय पर नहीं मिलता । इस समय प्रदेश में अनेक नई नहरें और ट्यूब वेल्स बन रहे हैं पर आगरे में कोई समुचित पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है । जब मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की तहसीलों में जाता हूं तो ग्रामीण लोग मुझ से नहरों में पानी की कमी की सख्त शिकायत करते हैं । कुल आगरे के लिये १८,००० क्यूबिक फीट पानी मिलता है । यह बिल्कुल नाकाफी है । यह पानी भी ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता । आज प्रयास हो रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से पानी का इन्तजाम हो जाये । यू० पी० सरकार वहां पर हिंडन बांध बनाने जा रही है लेकिन उसको भी ठप्प कर दिया गया है । यह भी बताया गया है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में रामगंगा बांध बनाया जायगा । इस के बारे में भी अभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया गया है । पता नहीं इस के बारे में क्या फैसला होगा । इस पर भी पूरी तरह से विचार नहीं हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा में लाखों यात्री हर साल आते हैं और जब वे एक सूखे और उखाड़े हुये मथुरा के दर्शन करते हैं तो कितना बुरा असर उन पर पड़ता है । आगरा इंटर नेशनल पोजीशन रखता है और वहां पर हजारों टूरिस्ट दुनिया के अनेक मुल्कों से आते हैं और जब वे खुश्क और उजड़ा हुआ आगरा देखते हैं तो उन पर बुरा असर पड़ता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब जब कि भाखड़ा नंगल की स्कीम बन गई है और पंजाब गवर्नमेंट यमुना का तीन-चौथाई पानी ले लेती थी वह अब बच जायेगा और वह पानी हमें दिया जा सकता है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस पर भी गौर किया जाये । अगर पानी पहुंचाने का इन्तिजाम न किया गया तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर रेगिस्तान आ जायगा । इस वास्ते मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि इस तरफ़ ध्यान दें और इन इलाक़ों के रहने वालों की तक़लीफ़ों को दूर करें ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६५	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्ठगी)।	बहु-प्रयोजन परियोजनाओं के आई कट क्षेत्रों में भूमि को कृषि योग्य बनाने में कम प्रगति।	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तुंगभद्रा बांध में पांच फुट ऊंची दीवार बनाने सम्बन्धी योजना में परिवर्तन और पुनः बसाये गये ग्रामों पर इसका प्रभाव।	१००
	श्री वेंजमिन हंसदा (पूर्निया व संथाल परगना—अनुसूचित आदिम जातियां)	सन्थाल परगना (बिहार) में सिंचाई की अपर्याप्त योजनायें।	१००
	श्री बूबराघस्वामी (पेरंबूर)	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विद्युत शक्ति की आवश्यकता।	१००
६६	श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल)।	आंध्र राज्य में, विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में, और नलकूप खोदने की आवश्यकता।	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	छोटी सिंचाई योजनायें . .	१००
	श्री एन० बी० चौधरी	पश्चिमी बंगाल में सिलाय और कोसाय परियोजनाओं को एक साथ आरम्भ करने की आवश्यकता।	१००
	श्री सारंगधर दास	मध्यम आकार की अधिक सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता।	१००
	श्री के० के० बसु	सी० बी० आई० एण्ड पी० का कार्य, विशेषकर बेहतर सिंचाई का ढंग अपनाने में इसकी असफलता। ।	१००
६७	श्री साधन गुप्त	भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये उच्च वेतन पाने वाले अमरीकनों का सेवा-योजन।	१००
	श्री शिवमूर्ति स्वामी	बांध की दीवार को अधिक ऊंची किये जाने की अवस्था में तुंगभद्रा बांध क्षेत्र के पीड़ित ग्रामीणों को पूरा प्रतिकर दिये जाने की आवश्यकता।	१००
	श्री रामचन्द्र रेड्डी .	आंध्र में सोमासिला परियोजना . .	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
	श्री रामचन्द्र रेड्डी	आंध्र में कावली और कनुपुर नहरों की खुदाई।	१००
	श्री रामचन्द्र रेड्डी	नन्दीकोंडा परियोजना के दाहिने पार्श्व की नहर की सीमा निर्धारण।	१००
	श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्	नन्दीकोंडा परियोजना का नियंत्रण तथा संचालन करने के लिये मशीनरी।	१००
	श्री के० के० बसु	नदी घाटी योजनाओं सम्बन्धी नीति।	१००
	श्री के० के० बसु	बंगाल के निम्न भाग में, विशेषकर २४ परगना में गंगा बांध परियोजना का कार्य आरम्भ करने और नदी तथा जलमार्ग पुनः चालू करने में असफलता।	१००
	श्री के० के० बसु	बाढ़ पर नियंत्रण के साधन	१००
	श्री के० के० बसु	देश के भिन्न भिन्न भागों विशेषकर त्रिपुरा और मणीपुर में सिंचाई योजनायें बांटने में असफलता।	१००
१२७	श्री रामचन्द्र रेड्डी	नन्दीकोंडा परियोजना शीघ्र आरम्भ करना।	१००
	श्री के० के० बसु	डी० वी० सी० के लिये प्राप्त की गई भूमि के लिये प्रतिकर।	१००
	श्री के० के० बसु	दामोदर घाटी निगम द्वारा हुगली के आरामबाग़ सब-डिवीज़न में विद्यमान जलमार्गों पर विचार किये बिना निचली दामोदर नहर की योजना तैयार रखना।	१००
१२८	श्री के० के० बसु	बिजली तथा अन्य सामान खरीदने की नीति।	१००

श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया—पूर्व) : मैं विद्युत् और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उन का ध्यान इस देश के उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गरीबी में अपनी बराबरी नहीं रखता। यू० पी० एक बहुत बड़ा प्रान्त है लेकिन इस प्रान्त में बुन्देलखंड, कुमायूं और पूर्वी और उत्तरी जिले बहुत ज्यादा गरीब हैं। मुझे देश के दूसरे भागों के बारे में तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद गरीबी में उत्तर प्रदेश का यह पूर्वी और उत्तरी भाग जो हैं यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है और यहां

बहुत ज्यादा गरीब इलाके हैं। इन इलाकों की गरीबी के जो कारण हैं वे मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। हमारी गरीबी का सब से बड़ा जो कारण है वह भारी जल प्रवाह हैं। बड़ी बड़ी नदियां गंडक, राप्ती और घाघरा इतने जोर से बहती हैं कि इन का जल हमारी सारी समृद्धि को बहा ले जाती हैं। घागरा नदी के तटों पर जो आबादी है वह करीब करीब दो कयोड़ लोगों की है और उसके किनारे पर जो १२ जिलेहैं उनका क्षेत्रफल करीब करीब२५,००० वर्ग मील होगा। इस तरह से इन नदियों के साथ साथ दो करोड़ लोगों की किस्मत बहा करती है। मैं अपने मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि अगर वे इन दो करोड़ लोगों की तकलीफों को दूर करें तो न सिर्फ इन का भला होगा बल्कि सारे देश का भी भला होगा। इन लोगों की मुसीबत तभी हल हो सकती है जोकि इन इलाकों में सिंचाई की सुविधायें देने के साथ ही साथ बाढ़ की रोक थाम भी की जाये। मैं आपको बतलाऊं कि घागरा नदी का इतना जल प्रवाह होता है कि इस पर बड़े बड़े बांध बनाये जा सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि यू० पी० सरकार क्यों इन के बारे में कुछ नहीं करती लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह यू० पी० सरकार के बूते की बात नहीं है। वह घागरा जैसी नदी को काबू में नहीं कर सकती है। रिहांड डैम जैसे छोटी छोटी डैम वहां पर बनाये जा रहे हैं। और चेनल्स भी बनाये गये हैं। लेकिन इस से कुछ होता नहीं है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि १९०२ से १९५० तक १९,००० मील लम्बी कैनाल्स यू० पी० के अन्दर बढ़ाई गई ह लेकिन इससे भी वहां की समस्यायें हल नहीं हुई हैं। पंच वर्षीय योजना में जिस पूर्वी क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां कुछ ट्यूब वैल्स लगाये गये हैं मगर इससे भी वहां की समस्या का हल नहीं निकला ट्यूब वैल्स के जरिये से जो पानी निकाला जाता है वह इतना महंगा पड़ता है कि साधारणतः किसान उस पानी को लेने से परहेज करते हैं। आप को तो शायद मालूम ही है कि यू० पी० में दो एक आन्दोलन हुये थे जब यू० पी० गवर्नमेंट पानी क ज्यादा रेट्स चार्ज करने पर तुली हुई थी और लोग अपनी तकलीफों का इजहार करते हुये आन्दोलन में हजारों की संख्या में जेल भी गये। यह आन्दोलन नहरी पानी के रेट ज्यादा होने के कारण चलाये गये थे। इन रेट्स को आप सस्ता कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी योजना बनायें जिस से कि घगरा नदी का पानी काबू में किया जा सके। मे ख्याल है कुछ वर्ष पहले जब गाडगील साहब इस विभाग के इन्चार्ज थे शायद इस के बार में कुछ सोचा गया था और कोई योजना भी बनाई गई थी लेकिन मुझे मालूम नहीं कि क्या कारण है कि इस योजना को अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है और इस का अब नाम तक नहीं लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि घागरा नदी के जल प्रवाह में कई मील के बाद फैजाबाद पहुंचने के बाद जो प्रवाह आता है उसमें गंगा के हरिद्वार के प्रवाह के वेग से ज्यादा वेग होता है। उसका अन्दाजा में तो नहीं लगा सकता और आप के जो एक्सपर्ट हैं वे ही इस बात को अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन आप की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने के बाद और जो काजात मेरे हाथ में आते हैं और जिन को मुझे पढ़ने का मौका मिलता है उन के आधार पर मुझे यह मालूम हुआ कि विद्युत् यंत्र लगा कर यदि विद्युत पैदा किया जाये तो शायद घागरा के प्रवाह से पांच लाखसे सात लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है, ली जा सकती है।

आप भाखरा नंगल और दूसरे डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे

[श्री राम जी बर्मा]

(घाघरा से) तो तीस लाख और ३५ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। इतनी बड़ी योजना को सरकार ने क्यों छोड़ दिया है और छोटी छोटी योजनाओं के पिछे समय लगा रही है। यह नदी हमारी गरीबी का कारण बनी हुई है। इसके साथ दो करोड़ आदमियों की किस्मत बंधी है। जैसा मैं ने आपसे निवदन किया, यदि आप इसके प्रवाह से बिजली पैदा करने की कोई योजना बनावें यो उससे न सिर्फ आप वहां के लोगों का उद्धार कर सकते हैं, बल्कि उस से ओंर भी बड़ बड़े काम कर सकते हैं। जब आप इतनी विद्युत् पैदा करेंगे तो वह सस्ती पड़ेगी, और उससे आप तब कानपुर के कारखाने चला सकेंगे और उसको दूसरे स्थानों में पहुंचा सकेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और जितनी जल्दी हो सके इस योजना को हाथ में लिया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश की सरकार स यह काम नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको हाथ में नहीं लेना चाहती। वह तो छोटी छोटी योजनाओं से ही समस्या को हल करना चहाती है। लकिन जैसा मैं ने आप से निवेदन किया उनकी इस कार्रवाई से बिजली बहुत महंगी पड़ती है और सिंचाई का रेट बहुत महंगा हो जाता है। इस वास्ते वहां सिंचाई की बात को लेकर हर साल कोई न कोई आन्दोलन होता रहता है। हम चाहते हैं कि हम बार बार आपके सामने आकर न रायें और बार बार आपके सामने अपनी तकलीफ न लावें। आप हमारी इस योजना को हाथ में लेकर हमारी समस्या को हल करें।

यह खुशी की बात है कि आप गंडक योजना को अपने हाथ में ले रहे हैं। उसे आप अपने हाथ में लें। लेकिन यह योजना उससे बहुत बड़ी है। इसे आप भुलायें न, इसको कई वर्ष पहले सोचा गया था। इसकी तरफ आप फिर से ध्यान दें यही मेरा आपसे निवेदन है।

मैं ने आप से पहले कहा है कि हमारे यहां इन नदियों से बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने का जो काम आप कर रहे हैं वह आप करें, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन बाढ़ों का एक खास कारण यह भी है कि जिन पहाड़ों से ये नदियां निकलती हैं उनके जंगल काट डाले गये हैं और उनकी लकड़ी काट काट कर उपयोग में ले आयी गयी है। तो मैं आप से प्रार्थ करूंगा कि इस ओर भी आप ध्यान दें और वहां फिर से जंगल लगवायें। चूंकि प्लानिंक का काम भी आप के साथ में है, इसलिए मैं ने आपसे यह निवेदन किया कि आप इस तरफ भी ध्यान दें। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : सिंचाई के प्रश्न को देखने पर इस बात से बड़ा संतोष होता है कि बड़ी योजयनायें बड़ी तीव्र गति से प्रगति कर रही है और आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वे पूरी हो जायेंगी। परन्तु सिंचाई की छोटी योजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

कुर्ग राज्य में गत पांच वर्ष से हमारी और लक्ष्मण तीर्थ परियोजनाओं के बारे में अनुसन्धान किया जा रहा है। पर अभी तक भारत सरकार कोई निश्चय नहीं कर सकीहै। मैं हरांगी परियोजना के पक्ष में हूं। नवीनतम प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा परन्तु मेरे विचार में जहां खाद्य उत्पादन और भूमि की सिंचाई का प्रश्न हो वहां हमें राजस्व को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए हरांगी परियोजना जो अन्तिम

प्रक्रम पर पहुंच चुकी है आरम्भ कर देनी चाहिये ताकि २० हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके और चावल पैदा किया जा सके ।

लक्ष्मण तीर्थ परियोजना का अनुसन्धान जारी रख कर इसके विषय में भी कोई निर्णय कर लेना चाहिये ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि दक्षिण में विद्युत शक्ति बहुत कम है और इसके बिना उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता ।

योजना आयोग इस समय तीन परियोजनाओं पर विचार कर रहा है । उनमें से एक मैसूर राज्य की हौनेमारदूं परियोजना है जिसके बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है । इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य की कुन्दार परियोजना और कुर्ग राज्य की बड़ापोल परियोजना हैं । इन दोनों के बारे में अनुसन्धान किया गया है और विशेषज्ञ इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि बड़ापोल परियोजना से कम खर्च करके और अधिक विद्युत् शक्ति पैदा की जा सकती है । राज्य सरकार ने कुछ आंकड़े भेजे हैं । हाल ही में तीन विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति इन योजनाओं का परीक्षण करने के लिये भेजी गई थी । उन्होंने बताया है कि कुन्दार परियोजना में जो १२९,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति पैदा कर सकती है, एक किलोवाट पर १८२० रुपये लागत आयेगी और बड़ापोल परियोजना में, जिसमें १७५,७०० किलोवाट विद्युत् शक्ति पैदा करने का सामर्थ्य है, एक किलोवाट पर १६२४ पये लागत आयेगी । स्पष्ट है कि बड़ापोल परियोजना द्वारा अधिक विद्युत् शक्ति कम लागत से पैदा की जा सकती है ।

योजना आयोग और मंत्रालय को अब इस मूल प्रश्न पर विचार करना है कि विद्युत शक्ति का वितरण और प्रयोग कैसे किया जाये । कुर्ग १०,००० किलोवाट से अधिक खपत नहीं कर सकता । शेष विद्युत् शक्ति मैसूर, मद्रास अथवा देश के अन्य भागों को दी जा सकती है । मद्रास इस योजना से सहमत नहीं वह अपनी कुन्दार योजना को आरम्भ करना चाहते हैं । पर इसके लिये मद्रास और कुर्ग का एक बोर्ड बनाना चाहिये जिसमें केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी हों और जो योजना के कार्य और विद्युत् शक्ति के वितरण के विषय में विचार करें । यदि मद्रास राज्य न माने तो केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है ।

बड़ापोल मलनाद क्षेत्र में स्थित है जिसका विकास नहीं हुआ है और जहां बिजली की बहुत आवश्यकता है । इस परियोजना से मलाबार के साथ के क्षेत्र में ३०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है । इससे वहां खाद्य की कमी भी दूर हो जायेगी । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने पर भी मैं बड़ापोल परियोजना को ही ठीक समझता हूं । यदि यह योजना पूरी न हो तो १८००० किलोवाट शक्ति बेकार जायेगी । यदि यह दोनों योजनायें पूरी की जानी हों फिर तो ठीक है । परन्तु यदि सरकार दोनों में से केवल एक योजना का काय आरम्भ करना चाहती हो तो मैं आग्रह करता हूं कि बड़ापोल योजना को प्राथमिकता दी जाये ।

श्री एस० सी० देव (कचार—लुशाई पहाड़ियां) : मैं मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्रालय ने कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्संगठन के महान कार्य में जो प्रयत्न किये हैं उनकी प्रशंसा करता हूं ।

प्रधान मंत्री और जिन दूसरे माननीय सदस्यों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं । जिस

[श्री एस० सी० देव]

प्रकार बाढ़ समस्या के युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई है यह वास्तव में सराहना के योग्य है ।

बाढ़ पर नियंत्रण के कार्यक्रम के तीन पहलू हैं । तुरन्त, अल्प-कालीन तथा दीर्घ कालीन जिन पर क्रमवार २ वर्ष, पांच से सात वर्ष और जलाशयों के निर्माण पर तीन से पांच वर्ष लगेंगे ।

१९५४ में बाढ़ों के दौरान में पहाड़ों में जमीन के कट जाने से विशेषकर कटिहार और अमीनगाओं के बीच के क्षेत्र में बहुत पानी आ गया और इस से फसलों के अतिरिक्त रेलवे लाईन और राजपथों को भी बहुत हानि पहुंची । मैं चाहता हूं कि भूमि के कटने के कारणों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से जांच की जाये और इसे रोकने के साधन ढूंढे जायें ।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ को रोकने के लिये मैं यह सुझाव देता हूं कि सम्भव है कि उसके बीच के भाग में रेत जमा हो गई हो यदि उसे साफ कर दिया जाये तो पानी बीच में बहने लगेगा और बाढ़ रुक जायेगी ।

प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि भूतत्ववेत्ताओं ने बांध के लिये दो स्थान स्वीकार किये हैं—एक कोपिली और दूसरा नोआ दिहांग । परन्तु बोरक नदी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है जहां प्रायः बाढ़ आती रहती है और फसलों इत्यादि को बड़ी हानि पहुंचती है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस नदी के पानी को क़ाबू में किया जाये और नदी घाटी परियोजना का निर्माण करके बिजली पैदा की जाये जो छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता दे ।

उस क्षेत्र में पीने के पानी का भी प्रबन्ध करना चाहिये । बाढ़ आ जाती है और वर्ष में आठ मास वर्षा रहती है परन्तु पीने के पानी की बड़ी कठिनाई होती है ।

केन्द्रीय सरकार ने सब राज्यों से कहा है कि वे योजनायें तैयार करके केन्द्र को भेजें ताकि उन पर विचार करके द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार की जाये । हमारा राज्य भी जानकारी एकत्र कर रहा है और योजना तैयार कर रहा है । इस कार्य में केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता और मार्ग प्रदर्शन करना चाहिये कि किस प्रकार वे योजना तैयार करें । बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल करें कैसे अपने छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास करें और किस प्रकार वित्तीय सहायता दी जायेगी । इस प्रकार वे अपने राज्य के विकास तथा उन्नति के लिये एक अच्छी योजना तैयार कर सकेंगे ।

डा० डी० रामचन्द्र (वेल्लोर) : मुझे हर्ष है कि पंच वर्षीय योजना के अधीन सरकार देश की बहुत सी बड़ी बड़ी नदियों को नियंत्रित कर चुकी है । किन्तु कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन में बड़ी बड़ी नदियां नहीं हैं और मद्रास राज्य और विशेषकर तमिल नाद क्षेत्र उन में से एक है । मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि निकटवर्ती राज्यों में योजनाओं को समाप्त करने के बाद बड़ी बड़ी नदियों को मिलाया जाये और कमी वाले क्षेत्र में लाया जाये ताकि वहां की कुछ भूमि में सिंचाई की जा सके । अब मैं अपने जिले उत्तर अर्काट की स्थिति की ओर निर्देश करूंगा । हमारे जिले को जालार नदी से जो कि मैसूर से हमारे राज्य में आती है, सिंचाई का पानी मिलता है । इन दो राज्यों के बीच इस नदी के पानी के उपयोग के लिये एक समझौता था । किन्तु मैसूर राज्य ने और तालाब बना दिये हैं और वर्तमान तालाबों की ऊंचाई भी बढ़ा दी

है जिस के कारण पिछले २० या ३० वर्षों से पानी नहीं मिल रहा । मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले की जांच के लिये शीघ्र एक समिति बनाये ताकि हमारे जिले और कुछ अन्य जिलों को पालार का पानी मिल सके । मेरे जिले में नलकूप लगाने की भी बहुत गुंजाइश है । कम पानी वाले क्षेत्रों में तापीय स्टेशन शुरू कर के भूमि से जल निकालने के लिये बिजली का प्रयोग किया जा सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा) : मैं अपना भाषण केवल एक परियोजना अर्थात् भाखड़ा बांध तक सीमित रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने इस के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है, वह बहुत रुचिकर है । यह १५७ करोड़ रुपये की परियोजना है और सम्भव है कि मंत्रालय को इस से भी अधिक रुपये की आवश्यकता पड़े । किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि परियोजना जितनी बड़ी हो, अपव्यय और गबन भी उतना ही अधिक होने की सम्भावना है । भाखड़ा परियोजना के सम्बन्ध में गोल माल की बहुत सी बातें हम सुनते रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इन की जांच करें और मालूम करें कि उन में कहां तक सचाई है । मैं यह सुझाव दूंगा कि इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की जाये । मुझे बताया गया है कि बहुत से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार कर लिये गये हैं । और कुछ अभियोग भी चलाये जा रहे हैं । सारी परियोजना पर दो या तीन परिवारों का पूर्ण रूप से नियन्त्रण है और उन्होंने सभी शाखाओं में अपने सम्बन्धी या मित्र भर्ती कर रक्खे हैं । भाकड़ा बांध के एक उपाध्यक्ष थे । सेवा निवृत्त होने के बाद उन्हें फिर मन्त्रणादाता के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने अवश्य कुछ सम्बन्धी वहां नियक्त किये हैं । इन के दो प्रभावशाली सम्बन्धी हैं—एक उन का दामाद, जो कि मंत्रालय में संयुक्त सचिव है और दूसरा उन के दामाद का चचेरा भाई जो कि मंत्री महोदय का स्वीय सचिव है । मैं इन के नाम नहीं लेना चहाता । यदि माननीय मंत्री चाहें तो मैं बाद में उन्हें बता दूंगा ।

भाखड़ा के जो महा प्रबन्धक है, उन्होंने अपने दामाद को जो कि पहले कहीं और काम करता था, वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नियुक्त कराया है और इस दामाद के भाई को प्रशासन में स्थान दिया है । कुछ और सम्बन्धी और मित्र भी लाये गये हैं ।

एक और सज्जन जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष के दामाद हैं, पहले एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे । अब वह मुख्य इंजीनियर का वेतन पा रहे हैं और उन्हें बांध के लिये आवश्यक सामान खरीदने के लिये विदेशों में भेजा गया है । एक प्रश्न द्वारा हमें मालूम हुआ था कि बिना टेंडरों के बहुत सा पुराना माल खरीदा गया है, जो कि बेकार है । शर्तों के अनुसार अब इसे, बेच भी दिया गया है । मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि अब इस मामले को जांच करने से क्या लाभ होगा ?

भाखड़ा बोर्ड पर सरकारी पदाधिकारियों का नियंत्रण है । इस बोर्ड के अध्यक्ष की अवधि हर बार बढ़ा दी जाती है और यह भी तथ्य है कि बहुत सी अनियमितताएं की गई हैं ।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि बांध के स्थान पर पहाड़ियों को विस्फोटक से इतनी बुरी तरह उड़ाया गया था कि उनकी बुनियादें तक हिल गई हैं । यदि अध्यक्ष ने भूतत्वीय रिपोर्ट को पढ़ा होता तो यह गलती न की गई होती । इसका परिणाम यह है कि

[सरदार हुक्म सिंह]

बिजली घर को किसी और स्थान पर ले जाना होगा और ३ करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ेगा । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस मामले की अवश्य जांच करायें और मालूम करें कि इसमे किसका दोष था । बहाव को बदलने के मामले में जो विलम्ब हुआ है उसकी भी जांच होना आवश्यक है ।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर दुर्ग रायपुर) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ बोलूं मैं कुछ आपका ध्यान और सभा का ध्यान उस समय की ओर, जिस समय हम लोगों ने स्वतन्त्रता हासिल की, उसकी ओर दिलना चाहता हूं । जिस वक्त हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस वक्त हम लोगों के सामने बड़ी ही जटिल समस्यायें थीं, हम लोगों को कोई पुराना इस विषय में एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनको हमारे मंत्रालय ने अपने हाथ में लिया और आखिर में चल कर आज हम देखते हैं कि इतने कम अर्से में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हासिल कर ली हैं जिनके लिये कई देशों ने सोचा भी न होगा और न उन्होंने अपने यहां की होंगी । ऐसी हालत में हम लोगों ने अपना काम शुरू किया और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस तरह के बड़े कामों में भी कभी कभी ऐसे कदम भी उठ जाया करते हैं जिनसे बहुत कुछ हानियां भी हो सकती हैं । एक व्यापारी जिसको दस काम करने हैं, दस चीज़ें वह अपने हाथ में लेता है तो जहां नौ काम में वह सफल होता है, एक काम में वह धोखा भी खा जाता है । लेकिन उस व्यापारी की जो दृष्टि है जो उसका ध्यान है वह हमेशा उसी ओर लगा रहता है और आखिर में निरन्तर प्रयास का नतीजा यह होता है कि उसको नफा होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, इस तरह में कहना चाहता हूं कि हमारी इस मिनिस्ट्री और उसके अफसरान से हो सकता है कि कहीं कहीं पर गलतियां की हों, लेकिन हमें यह उचित नहीं है कि हम खाली एक चीज को लेकर एकदम से यह कह दें कि यह गलती की तो क्यों की । हो सकता है कि कहीं पर उन्होंने कोई गलती कर दी हो, लेकिन देखना यह चाहिये कि इन औल, टोटल देखा जाय कि पूरे में उसने फायदा दिखलाया या नुकसान, यही ध्यान रख कर हमें बात कहनी चाहिये ।

मैं ने यहां पर कई लोगों को फारेन एक्सपर्ट्स के बारे में काफी हल्ला मचाते हुये सुना कि यह जो फारेन एक्सपर्ट्स यहां पर आये हैं, तो हमारे यहां के लोग क्यों नहीं उन जगहों पर लिये गये । लेकिन वे यह भूल गये कि आज हमारे देश में जो इतनी सारी योजनायें हाथ में ली गई हैं, उनके लिये पर्याप्त संख्या में एक्सपर्ट्स जिनको कि उनके सम्बन्ध में पूरा ज्ञान हो, सुलभ नहीं है, उतने एक्सपर्ट्स हमारे यहां नहीं हैं जितने कि हमें इन सारी योजनाओं के लिये चाहिये जो कि हमारे देश में चल रही हैं । दूसरे जैसा कि स्वयं मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले बताया था और भाखड़ा का दृष्टान्त देते हुये बतलाया था कि शुरू में भाखड़ा नांगल योजना में ९६ एक्सपर्ट्स थे, सन् १९५४ में वे घट कर ६३ रह गये और अभी कुछ समय पहले एक सवाल का जवाब देते हुये मंत्री महोदय ने बतलाया था कि अब उन फारेन एक्सपर्ट्स की संख्या घट कर ४३ ही रह गयी है, तो इस तरीके पर हम देखते हैं कि फारेन एक्सपर्ट्स जहां जहां उनकी जरूरत नहीं महसूस की जाती है, वहां वहां पर उनके कंट्रैक्ट्स खत्म किये जा रहे हैं और उनको फिर से रिवाइज़ नहीं किया जा रहा है और ऐसे फारेन एक्स-

पर्ट्स को वापस भेजे जाने के आदेश दिये जा रहे हैं। अब फारेन एक्सपर्ट्स में जैसा कि एक सवाल के जवाब में बतलाया गया, ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जिनको कि खास उस विषय का ज्ञान होता है और जिसके कारण उनको रखना पड़ता है। मसलन यह जो मिट्टी ढोने और हटाने की बड़ी बड़ी मशीनें हमारे कम्युनिटी प्राजेक्ट्स में काम कर रही हैं, उनके सम्बन्ध में जो फ़ारेन एक्सपर्ट थे हालांकि वह वापस चले गये हैं, लेकिन वे फिर से १८ महीने के वास्ते रखने के लिये मिनिस्ट्री द्वारा बुलाये जा रहे हैं। वह एक्सपर्ट बड़ी मशीनों में जो मिट्टी ढोने और खुदाई के काम में आती हैं उनके लिये वह सलाहकार हैं और उनको उसका विशेष ज्ञान है और इसलिये हम उनको फिर से वापस बुलाना चाहते हैं, हमारा मंत्रालय उनको फिर से वापस बुलाना चाहता है। आखिर इन एक्सपर्ट्स को रखने का मतलब यही होता है कि हमारी मशीनरी में कोई खराबी न आये और वे ठीक से काम करती रहें क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह जो करोड़ों रुपये की मशीनरी हमारे इरिगेशन प्राजेक्ट्स में लगी हुई है अगर वह एक दो घंटे के लिये भी रुक जाय तो आप समझ सकते हैं कि कितना उससे नुक़सान होगा और साथ ही उसमें जो लेबरर्स और इंजीनियर्स लगे होते हैं वह मशीनरी खराब हो जाने की हालत में बेकार हो जाते हैं और काम नहीं करते और जितनी देर मशीनरी बिगड़ी रहती है उतनी देर तक उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वे बेकार मिलती हैं और इस तरह यह नुक़सान भी हमारा होता है, अब अगर ऐसे कामों के लिये हम एक्सपर्ट्स लगा लें ताकि हमारी मशीनरी ठीक तरह चलती रहे तो हम देखेंगे कि कम्पैरेटिवली वह फायदेमन्द होगा, नुक़सानदेह नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताऊं कि जैसा कि रिपोर्ट में जिक्र आया है कि भाखरा नांगल, हीराकुड डैम और दामोदर वैली कारपोरेशन आदि जैसी हमारी योजनायें चल रही हैं और उनमें जो फारेन एक्सपर्ट्स लगे हुये हैं, हमारी सरकार इस बात का काफी प्रयत्न कर रही है कि अपने इंजीनियर्स को उनसे ट्रेंड करवा लें। भाखरा नांगल में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ५७ ऐसे इंजीनियर्स ट्रेंड हो चुके हैं और ८५ वहां पर अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन में ९५ इंजीनियर्स, ३८ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ४९ आपरेटर्स यह ट्रेनिंग पा चुके हैं और १८५ अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं और जिनको कि स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। इसी के, साथ साथ देश में जो चार सेंटर्स हैं, यानी कोटा, हीराकुड, नांगल और तुंगभद्रा, उन के बारे में यह फैसला किया गया है कि वहां पर भी इंजीनियरिंग के आदमियों को ट्रेंड करना चाहिये। यह जो चार सेंटर्स मैंने अभी आपको बताये इनमें हर एक में ४० इंजीनियर्स ट्रेंड किये जायेंगे और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह हमारी नदी घाटी योजनायें बड़ी बड़ी चल रही हैं उसी प्रकार हर एक सेंटर में इंजीनियर्स को ट्रेन करने की बात है और हर एक सेंटर में हर साल १६० इंजीनियर्स ट्रेन किये जायेंगे, यह भी कोई कम महत्व की बात नहीं है। अब रही बात इस की कि जिस वक्त शुरू में हिराकुड डैम प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया था, उस टाइम पर हम भी यहां पर बोलते थे और हमारे अपोजीशन वाले भाई भी बोलते थे कि हिराकुड डैम में जितनी प्राग्रेस होनी चाहिये, जितनी कि उस को उन्नति करनी चाहिये, उतनी नहीं होती थी उस में सेट बैंक के कारण और दूसरी भी चीज़ें भी थीं जिनके कारण मिनिस्ट्री ने उन की एफिशिएन्सी को बढ़ाने के लिये और एकानमी के

[श्री बी० एन० मिश्र]

लिये तथा एक्स्पेन्डिचर को चेक करने के लिये यहां पर एक तरीका निकाला। यहां पर एक कमेटी बनाई गई है जिस की प्राग्रेस रिपोर्टस आती रहती है, पहले तो यह कि जितनी प्राग्रेस हिराकुड डैम की साल में होनी चाहिये वह होती है या नहीं, हर एक प्रोजेक्ट में जितनी प्राग्रेस एक साल में होनी चाहिये वह होती है या नहीं, एक सीजन में जितनी प्राग्रेस होनी चाहिये वह होती है या नहीं, एक महीने में जितनी प्राग्रेस होनी चाहिये वह होती है या नहीं, इस की जांच करती है, फिर कम्पेरिटिवली देखती है कि जितनी प्राग्रेस हुई है उस के रेशियो में एक्स-पेन्डिचर ज्यादा तो नहीं है। इस को चेक करने के लिये उस ने बोर्ड आफ कोआर्डि-नेटिंग मिनिस्टर्स ऐंड इंजीनियर्स बनाया है यह तरीका बहुत सफलीभूत हुआ है और इस के लिये यह मंत्रालय बधाई का पात्र है। इस को शरू हुये एक महीना हुआ है बोर्ड आफ कोआर्डिनेटिंग मिनिस्टर्स जो है उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई स्कीम उस के सामने आती है, उस पर विचार होता है पहले यह होता था कि स्कीम आती थी, उस के ऊपर स्टेट से पत्र व्यवहार होता था जो स्टेट स्कीम के रिस्पान्सिबल मिनिस्टर हैं उन का जवाब आते जाते बहुत दिन लग जाते थे। आज क्या होता है कि जैसे पंचायत राज्य होता है, इधर से यहां के लोग बैठ गये और उधर से स्टेट के लोग आ गये और उन्होंने एक जगह बैठ कर सलाह कर ली कि यह हमारी स्कीम है और इस पर यह होना चाहिये। पहले जिस चीज में बहुत देर होती थी इस बोर्ड की वजह से वह रुक गई। इसी तरीके पर बोर्ड आफ कोआर्डिनेशन आफ इंजीनियर्स है। आप को मालूम होगा कि बहुत सी स्टेट्स में जो स्कीमें अभी चल रही हैं, जैसे हीराकुड हैं, भाखरा नांगल है, कुछ समय बाद वह खत्म होने वाली है। उन के खत्म होने के बाद उसके इंजीनियर्स निकाले जायेंगे। अब उन लोगों को यह फिक्र हो गई है कि कुछ टाइम के बाद जब वह स्कीमें खत्म हो जायेंगी तब उन का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय हो जायेगा और वह लोग कहां काम करेंगे। तो बोर्ड आफ इंजी-नियर्स और मंत्रालय के प्रतिनिधि मिल कर यह तय कर लेते हैं कि जब कोई स्कीम खत्म हो जायेगी तो उस के आदमियों को हम प्रान्त की किन दूसरी स्कीमों में बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं।

इस तरह से रेट्स कमिटीज़ हैं, टेक-निकल पर्सोनेल कमेटीज़ हैं, उनका भी वही काम है। मैं रेट्स के बारे में भी दो एक शब्द बता दूं। रेट्स के लिये यह देखा जाता है, कि यह भी एक नई स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अन्दर चली है, कि रेट्स कितने होने चाहियें एक जगह पर। हर एक प्रान्त में और एक जगह अलग अलग वेजेज और रेट्स हैं। इस में यह देखा जाता है कि काम उसी रेट पर हो रहा है या नहीं, या कि टाप हेवी रेट पर काम हो रहा है।

आखिर में मैं एक सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहूंगा वेटरमेंट लेवी फीज के बारे में। जहां तक मुझे मालूम है वेटरमेंट लेवी फीज के निकालने का जो तरीका है वह गलत बेसिस पर है। कहा यह जाता है कि आज अगर किसी भूमि में सिंचाई नहीं है और अगर हम ५०० एकड़ ज़मीन में सिंचाई कर दें तो किसानों को ज्यादा सहूलियत हो जायेगी। ऐसी हालत में वेटरमेंट लेवी ज्यादा होनी चाहिये। लेकिन साथ में ही कहूंगा कि बड़ी बड़ी योजनायें जो होती हैं, जिन को मंत्रालय चलाता है, उस की जितनी कास्ट लगती है उस के मुकाबले में आप देखिये कि योजना के पूरी हो जाने पर उस

की रेवेन्यू कितनी ज्यादा आती है, हार्डली १ या २ परसेंट । उसी प्रपोर्शन में आप को वेटरमेंट लेवी भी चार्ज करना चाहिये । क्योंकि वेटरमेंट लेवी का इस्तेमाल तो आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये करते हैं उन के पास बड़ी बड़ी योजनायें और बड़े बड़े काम हैं । इसलिये आप उन में जितना खर्च करते हैं उस का १ या २ परसेंट वेटरमेंट लेवी लें तो ज्यादा ठीक होगा ।

मैं मध्य प्रदेश के बारे में अपने मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश सरकार ने २१ योजनायें आप के सामने भेजी हैं । इन २१ योजनाओं में से कुछ तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और जिन के लिये कभी भी दो रायें नहीं हो सकतीं । इसलिये मैं कहूंगा कि हस्दो, जोंक और अर्पा तथा दूसरी योजनायें हैं उन की ओर मंत्रालय खास तौर पर ध्यान दे ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, यह जो युग है वह हमारे इतिहास में, जहां तक इरिगेशन का ताल्लुक है, एक स्वर्णकाल है । दुनिया के जो सब से बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वह आज हमारे देश में हो रहे हैं । इसके लिये मैं अपनी गवर्नमेंट को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे एक दम से एक ऐन्टी क्लाइमेक्स पर आना पड़ता है । जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है इरिगेशन बिल्कुल निल है, बिल्कुल ही नहीं है । इस की क्या वजह है कि जब इतने बड़े बड़े बांध दूसरे सूबों में करोड़ों और अरबों रुपये खर्च कर के बनाये जा रहे हैं तब दिल्ली के वास्ते एक बूंद भी पानी नहीं है । यही नहीं, आप सब को मालूम है कि दिल्ली इस जगह पैदा हुई है यमुना की वजह से, और उसी यमुना में आज पानी सूखता जा रहा है । इरिगेशन की तो बात छोड़ दीजिये, हमें पीने के पानी तक के लिये बड़ी मुसीबत हो रही है । यहां की हालत इतनी खराब है कि हमारी आंखों के सामने ही तीन लाख से ले कर आज १७ लाख तक की आबादी दिल्ली शहर की हो गई है, लेकिन सब जगह जब गर्मी शुरू होती है तो पानी के लिये हाय हाय मच जाती है । एक किस्म का करबला यहां बन जाता है । आज आप इरिगेशन के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिये कुछ ख्याल नहीं किया गया । इस की वजह क्या है ? वजह ढूंढने के लिये मूल कारण पर जाना चाहिये । जब भाखरा नांगल डैम की बुनियादी डाली गई उस वक्त उस के लिये जो कमेटी बनी उस में दिल्ली का कोई नुमाइन्दा नहीं रक्खा गया । राजस्थान गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के और पेप्सू गवर्नमेंट के नुमाइन्दे रक्खे गये, लेकिन दिल्ली का कोई नुमाइन्दा उस में नहीं था, हम सब लोगों ने सोचा कि चलो, जब सब काम हिन्द हकूमत के मार्फत हो रहा था दिल्ली के लिये भी होगा ही, लेकिन यह बात नहीं हुई । आज भी देश में जो आता है, सब से पहले दिल्ली आता है बापू की समाधि पर फूल चढ़ाने जाता है । वहां का आप नज़ारा देखिये तो बिल्कुल डेज़ोलेट—खुश्क ही खुश्क दिखाई देता है । यमुना में पानी ही नहीं है आप को मालूम है, इस में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि गांधी जी की समाधि आज दुनिया में सब से बड़ा तीर्थ स्थान है, इस में आज दो मत नहीं हैं । अगर कोई भी वहां जा कर सुबह से शाम तक बैठा रहे तो देखेगा कि सारे हिन्दुस्तान के क्या, सारी दुनिया के लोग जो भी हिन्दुस्तान में आते हैं वे सबसे पहले दिल्ली में आकर गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, लेकिन वहां पानी का कोई इन्तजाम नहीं है । इसलिये मैं इरिगेशन के पहले ड्रिंकिंग वाटर के बारे में ज्यादा ज़ोर देना चाहता हूं कि इरिगेशन के पहले से हम को ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिये । यमुना के पुल से ले कर कुछ नीचे

[श्री सी० क० नायर]

की तरफ़ राजघाट के सामने से गुजरती है। अगर १०० या २०० गज की लम्बाई में एक सुन्दर नहर निकाल दी जाय और उस के अन्दर भाखरा का पानी डाल दिया जाय तो दिल्ली का सवाल हल हो सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाखरा का पानी, जो कि ६५ लाख एकड़ ज़मीन को सींचने वाला है कि उस पानी का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में रोहतक तक मिलने वाला है, उस रकबे में जो पानी पश्चिमी यमुना नहर से मिलता है, उसको बचाकर दिल्ली को दे सकते हैं। इसलिये जिस हिस्से में भाखड़ा का पानी आता है उस हिस्से के पानी को जो पश्चिमी यमुना नहर से आता है कम से कम दिल्ली को दिया जा सकता है। इस पानी को सीधे यमुना में डाल देना चाहिये ताकि एक सुन्दर नहर पानी से भरी हुई राजघाट के सामने से गुजरे और उसमें से दिल्ली की तमाम नगरियों को साफ सुथरा पीने का पानी सप्लाई किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि इरिगेशन एण्ड पावर के जो मिनिस्टर साहब हैं वे इसकी तरफ ध्यान देंगे।

दूसरी चीज पिछले साल भी जो मैंने कही थी और अब भी कहता हूं यह है कि भाखड़ा नांगल के लिये जो कमेटी बनी है उसमें हमारी नुमाइन्दगी नहीं है और उस कमेटी पर दिल्ली हकूमत का एक नुमाइन्दा जरूर होना चाहिये। आप जानते हैं कि जमहूरियत में जब तक जनता की तरफ़ से आवाज़ न आये तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। इस वास्ते मेरी यह प्रार्थना है कि उस कमेटी पर दिल्ली गवर्नमेंट का एक नुमाइन्दा होना चाहिये जो कि हमारी जरूरयात को गवर्नमेंट के सामने बाकायदा पेश करे।

जहां तक इरिगेशन का ताल्लुक़ है हमारे यहां इस वक्त को ३२,००० या ३३,००० एकड़ ज़मीन सींची जाती है हालांकि तीन लाख एकड़ ज़मीन जो कि दिल्ली सूबे के अन्दर है उसमें से एक लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो कि नहरी इरिगेशन के काबिल है। इस की सिंचाई के लिये पानी मिल भी सकता है लेकिन कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इस में कोई शक नहीं कि शकूरबस्ती में इस वक्त एक सब स्टेशन पावर देने के लिये बनाया जा रहा है। इस बात में शुबा है कि क्या यह हमारी मांग को ध्यान में रख कर किया जा रहा है या कोई मार्कीट के लिये किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब नंगल में इतनी पावर पैदा होती है तो उसको सप्लाई करने के लिये उनको मार्कीट की जरूरत है जहां इसकी खपत हो सके मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं कि कोई २०,००० या ३०,००० किलोवाट बिजली का प्रबन्ध उन्होंने किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां नहरी पानी नहीं पहुंच सकता वहां पर कुवें खोद दिये जायें। अफ़सोस की बात यह है कि जो हमारे यहां एक रकबा रोहतक रोड और नजफगढ़ रोड के बीच ५०,००० एकड़ ज़मीन है उस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस इलाके में (खारा) पानी है, और खारा पानी होने के कारण यह इरिगेशन के लिये काम में नहीं लाया जा सकता है। यह पानी जितना भी ऊंचे लाया जाता है उतनी ही जमीन और बिगड़ती जाती है। उस इलाके का सवाल बिजली से हल नहीं हो सकता वहां तो नहरी पानी लाना बहुत लाजिमी है। अगर ५०,००० या ६०,००० एकड़ जमीन के लिये रोहतक की तरफ़ से या हिसार की तरफ से जहां नंगल का पानी आयगा जिसके कारण वैस्टर्न यमुना कैनाल का पानी बच जायगा उसको हमें मुहैय्या किया जाय तो बड़ी आसानी से हम एक लाख एकड़ ज़मीन को अच्छी तरह से आबपाशी कर

सकेंगे । लेकिन यहां भी मुसीबत यह है कि दिल्ली के लिये एक इंजिनीयरिंग यूनिट भी नहीं है, एक इरिगेशन यूनिट भी नहीं है । दुनिया से लोग यहां आते हैं और यहां की सुन्दरता देखते हैं लेकिन हमारे यहां सरवे करने वाला एक महकमा भी मौजूद नहीं है और मैं प्रार्थना करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस ओर खास ध्यान देना चाहिये और हमारी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को हर किस्म की सहूलियत पहुंचायी जानी चाहिये ताकि वह एक इंजीनियरिंग यूनिट या एक इरिगेशन यूनिट दिल्ली स्टेट के लिये कायम कर सके । ऐसा महकमा यदि कायम हो जाये तो वह हमारे को बहुत अच्छी तरह से कर सकेगा । दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ओखले की तरफ़ एक खास महकमा है जो स्यूएज वाटर प्योरिफाई करके गांवों को सप्लाई करता है । लेकिन उसके बारे में भी एक शिकायत है कि वहां के इरिगेशन रेट्स को कायम करने के लिये कोई कानून नहीं है ।

[सरदार हुक्म सिंह पिठासीन हुये]

जिस तरीके से वहां वाटर रेट्स वगैरह लगाये जाते हैं वह किसी कानून के तहत नहीं लगाये जाते हैं । इसलिये अगर कोई इरिगेशन यूनिट स्टेट दिल्ली के लिये कायम कर दिया जाये तो यह तमाम बातें आसानी से हो सकेंगी ।

मुझ दिल्ली के मुताल्लिक इतनी ही बातें कहनी थीं कि इरिगेशन के लिये पानी का इंतजाम करने के साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर का भी इन्तजाम होना चाहिये और यह पानी भाखड़ा नंगल से लिया जा सकता है । जब हम गांव गांव जा कर प्रचार करते हैं कि बहुत से बड़े बड़े बांध बनाये जा रहे हैं और हम अपने देश को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो जब हमें उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि पानी का मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ तो हमारे पास इसका जवाब देने के लिये कोई ठोस बात नहीं होती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और उनकी यह तक़लीफ़ दूर करने की कोशिश करें ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय मंत्री और उपमंत्री को बधाई का पात्र समझता हूं क्योंकि उनका मंत्रालय ही एक समृद्ध भारत की नींव डाल रहा है । सिंचाई मंत्रालय ने हमारी खाद्य और कृषि सम्बन्धी समस्यायें काफी हद तक हल कर दी हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि मुख्यतया एक औद्योगिक योजना है, विद्युत् परियोजनायें भी सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय क्रियान्वित करेगा हो सकता है कि विभाग को चलाने में कहीं कहीं त्रुटियां हों, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि बड़ी बड़ी परियोजनायें का हमें पहले कोई अनुभव नहीं है । विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से हमें यह अनुभव प्राप्त हो रहा है । मैं मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से उत्तरी बंगाल, आसाम और पूर्वी सीमान्त की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । १९५० से अब तक इस क्षेत्र में तीन बार बाढ़ आ चुकी है और अन्तिम बार सब से अधिक हानि हुई है । नगरों को बचाने के लिये तो काफी उपाय किये गये हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की जहां सब से अधिक हानि हुई है बिल्कुल उपेक्षा की गई है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने के लिये भी आवश्यक उपाय किये जायें और इस सम्बन्ध में इंजीनियरिंग या अन्य प्रकार की जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, वह तुरन्त की जाये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान नन्दीकोंडा परियोजना के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । हमें बहुत हर्ष होता यदि इस परियोजना के बारे में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

विस्तृत जानकारी दी गई होती । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा : क्या नन्दीकोंडा परियोजना को पहली पंच वर्षीय योजना की अवधि में शुरू किया जायेगा! इस के लिये कितनी राशि की मंजूरी दी गई है, क्या नहरों आदि के मार्गों में कोई परिवर्तन किया जायेगा और क्या सारी परियोजना या इसके कुछ अंश के दो तीन सालों में समाप्त हो जाने की आशा है ? इन प्रश्नों के उत्तरों से सही स्थिति समझने में हमें और आंध्र वालों को बहुत सहायता होगी । सोमशिला परियोजना के बारे में भी मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह आंध्र सरकार से सारा रिकार्ड मंगवा कर मामले की जांच करें ।

मैं मंत्रालय से कहता रहा हूं कि जब भी कोई परियोजना शुरू की जाये, सम्बन्धित क्षेत्रों को भी साथ ही विकसित करने का प्रयत्न किया जाये । मैं एक उदाहरण दूंगा । हाल में खोसला समिति की ओर श्री कंवर सेन की रिपोर्ट के बाद कड़प्पा---कुरनूल नहर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया है ताकि तुंगभद्रा नदी से पानी की मात्रा बढ़ाई जा सके । यदि काम शुरू कर दिया गया है, तो सरकार को चाहिये कि वह कानपुर और कवाली नहरों को खोदने का काम भी शुरू कर दे । क्योंकि इन में पानी लाने के लिये ही कडप्पा---कुरनूल नहर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । यदि हम इस के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे, तो इसका लाभ इन नहरों के क्षेत्र के स्थान पर पैनार नदी के वर्तमान मुहाने के क्षेत्र को पहुंचेगा ।

इन परियोजनाओं में जो टेक्निकल कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । मेरा यह सझाव है कि हीराकुड परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात इस के टैक्निकल कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं में लगा दिया जाना चाहिये, और अन्य परियोजनाओं के टैक्निकल कर्मचारियों के साथ ही समानता का व्यवहार होना चाहिये । पाकिस्तान से इंजीनियर आदि यहां आये हुए हैं, उनकी पचीस वर्ष की नौकरी पूरी हो जाने के पश्चात उन्हें पुनः यहीं काम पर लगा लेना चाहिये ।

यद्यपि अब काम ठीक चल रहा है, फिर भी हो सकता है किसी पर फजूलखर्ची होती हो, इसलिये सरकार को निगरानी रखनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि इन परियोजनाओं द्वारा, विशेषतया दामोदर घाटी निगम द्वारा केवल बाढ़ नियंत्रण का उपाय ही किया जा रहा है । संभव है मैं गलती पर हूं । प्रत्येक राज्य के स्थानीय राजस्व विभाग को उस क्षेत्र में जहां ये परियोजनाएं चल रही हैं, की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिये कहना चाहिये । हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इन परियोजनाओं के द्वारा उस क्षेत्र में कृषि का विकास हो और खाद्य स्थिति में सुधार हो ।

श्री एन० एम० लिंगम कोयम्बटूर : मनुष्य अनुभव के द्वारा सीखता है, परन्तु हम अनुभव के होते हुये भी कुछ सीख नहीं पाये हैं ।

ठीक है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक परियोजना की स्थितियों में अन्तर होता है, परन्तु फिर भी हमें दरों की अनुसूची में संबंध बनाकर रखना चाहिये था । कोई

वैज्ञानिक आंकड़े नहीं थे और न ही सब कर्मचारियों के अनुभव और उनकी नियुक्ति की कोई योजना बनाई गई थी। कई स्थानों पर मशीनरी अधिक थी और पुर्जे नहीं थे तथा कई स्थानों पर पुर्जे थे तो मशीनें नहीं थीं। इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त जो अधिक दुखदायी बात थी वह थी भ्रष्टाचार आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि बड़ी परियोजनाओं में अधिक अपव्यय और भ्रष्टाचार होता है।

मंत्री महोदय द्वारा नियुक्त की गई समितियों ने कोई अच्छा परिणाम नहीं निकाला। इंजीनियरों की अखिल भारतीय पदावलि का प्रस्ताव सराहनीय है। हमें मशीनरी के संबंध में भी समन्वय करना चाहिये ताकि एक स्थान की मशीनरी का दूसरे स्थानों पर भी उपयोग हो सके। भ्रष्टाचार के मामले को माननीय मंत्री ने परियोजनाओं के मुख्याधिकारियों पर छोड़ दिया है। परन्तु जब यह मामला उनके नियंत्रण में न हो, अथवा जब वे स्वयं दोषी हों, तो मंत्री महोदय का कर्तव्य हो जाता है कि वह उतनी बड़ी परियोजनाओं के मामले में भ्रष्टाचार की पूरी जांच पड़ताल करवाएं।

दरों की मूल अनुसूची न होने के कारण प्राक्कलनों में कई बार संशोधन करना पड़ा। काम में विलम्ब हुआ, कर्मचारी बेकार रहे और मशीनरी भी फजूल पड़ी रही। यहां पर मैं श्री नन्दा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ हीराकुड और दामोदर घाटी परियोजनाओं की अनियंत्रित अवस्था को संभाला। प्रगति अवश्य हुई है पर व्यय की तुलना में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। मेरा यह सुझाव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने से पहले हमें दरों की मूल अनुसूची निश्चित कर लेनी चाहिये और इंजीनियरों की अखिल भारतीय पदावलि बनानी चाहिये तथा मशीनों और पुर्जों का प्रमाणीकरण कर लेना चाहिये और यह आशा करनी चाहिये कि भ्रष्टाचार बिलकुल समाप्त हो जायगा।

चिनाई और रोड़ी वाले बाँधों की तुलनात्मक उपयोगिता के बारे में अभी तक मंत्रालय कोई निश्चय नहीं कर सका है। उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि रोड़ी वाले बांधों पर चिनाई के बांधों की तुलना में बहुत खर्च होता है। यदि हम पहले इस बात का निश्चय कर लेते कि हमें कहां पर कैसे बांध बनाने चाहियें तो बहुत धन की बचत हो सकती थी। मैं चाहता हूं दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने से पहले इस प्रश्न का निर्णय हो जाना चाहिये हमें प्रयत्न यह करना चाहिये कि अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी हमारी परियोजनाएं कुछ अच्छे परिणाम दिखाएं।

कुर्ग राज्य छोटा है और उसे उतनी बिजली की आवश्यकता नहीं है जितनी बारापोली परियोजना से उपलब्ध होगी। दूसरी ओर मद्रास के लिये कुंदाह परियोजना अत्यावश्यक है। इसलिये कुंदाह परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

मद्रास के ५० गांवों में भी बिजली लगाई जा चुकी है और इसकी ७५ प्रतिशत बिजली कृषि तथा उद्योगों और घरों आदि के लिये दी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मद्रास को अधिक बिजली दी जानी चाहिये ताकि यह सिंचाई की कमी को पूरी करने में सहायक हो सके।

दक्षिण भारत को पानी की बहुत आवश्यकता है। इस प्रदेश में कई नदियां बहती

[श्री एन० एम० लिंगम]

हैं । इसलिये संविधान की धारा २६३ के अधीन दक्षिण में एक नदी आयोग भी स्थापित किये जाने की आशा की जा सकती है जो दक्षिण भारत की सब नदियों के जल का उपयोग करने के प्रस्ताव का परीक्षण करे । मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने इस बारे में विधान बनाने का विचार कर लिया है ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): कोसी में सब से पहले काम आरम्भ हुआ था और वहां के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ परियोजना की कार्यान्विति में सहयोग दिया । वहां के लोगों ने इसे धन के लोभ से नहीं, अपितु इसे अपना ही काम समझ कर और सहकारी संस्थायें बना कर किया । श्री बसु का यह कहना सर्वथा गलत है कि नदी घाटी परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है।

सिंचाई तथा विद्युत शक्ति उत्पादन का जो लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था, वह बहुत कुछ पूरा हो चुका है और अभी कम प्रगति पर है । हीराकुड और दामोदर घाटी परियोजनाओं से सिंचाई आरम्भ हो जाने पर यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा वित्तीय पक्ष में, ६२४ करोड़ रुपये के कुल उपबन्ध में से ८५.५ प्रतिशत खर्च हो चुका है, जो संतोषजनक है ।

जब तक अनुभवी भारतीय टैक्निकल कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते तब तक अनुभवी और विशेषज्ञ विदेशियों को बुलाना अनिवार्य सा हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े कामों को अनुभवहीन लोगों के सुपुर्द नहीं किया जा सकता । प्रसन्नता की बात यह है कि अब भारतीयों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना खेती वाड़ी और कुटीर तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये अत्यावश्यक है। राज्यों को इस योजना के लिये सहायता देने के लिये भी कहा गया है।

कमी वाले क्षेत्रों की स्थायी उन्नति के लिये पर्याप्त धन मंजूर किया गया है और ऋण भी दिया गया है आशा है इन कामों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ पहुंचेगा ।

मेरा क्षेत्र दक्षिण भागलपुर भी कमी वाला क्षेत्र है और वहां अभी तक अधिक प्रगति नहीं हुई है । जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं की कमी है और जो कमी वाले क्षेत्र हैं, कम से कम उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें अवश्य पहुंचानी चाहिये थीं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगी कि वह इन क्षेत्रों में विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाने की ओर ध्यान दें ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चैयरमैन साहब मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने इस इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री के बारे में कुछ अर्ज करने का मौका दिया । सच तो यह है कि जब हम श्री नन्दा को देखते हैं, जो कि एक तरह से सिंसियरीटी की ओर और सादगी की पर्सनालिटी है, तो जी नहीं चाहता कि इनकी मिनिस्ट्री के बारे में ऐसे अलफाज कहूं जिनसे उनको तकलीफ पहुंचे ।

श्री नन्दा : तकलीफ नहीं होगी कुछ भी कहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब हम देखते हैं कि वे यहां पर सारे देश की दिल लगा कर सेवा कर रहे हैं तो हमें सिर्फ खुशी ही नहीं होती बल्कि फख्र भी होता है कि फिलवाकया एक साहब जो दूर पर ही सही कहीं पंजाब से ताल्लुक रखते, वह आज सारे देश की बेग्रही खिदमत कर रहे हैं, और दिल में यह आता है कि इस मिनिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादार सख्त बातें न कहूं, वहां मुझ को

यह भी दिखाई देता है कि जिस फ्रैंकनेस के साथ और जिस ओपननेस से हम बात कहते हैं उसको नन्दा जी सुनते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं तो हमको साहस भी होता है कि जो कुछ हमारे दिल में है, वह हम कह डालें ।

मैंने तो यह देखा है कि जब कभी हम नन्दा जी की खिदमत में गये और वह आम तौर पर हम सब को बुला लेते हैं, सभी प्राविन्सेज के लोगों को बुलाते हैं, ऐसा सिस्टम उन्होंने अपने यहां जारी किया हुआ है और जो इतना अच्छा है कि हर एक आदमी को इससे बड़ी तसल्ली होती है । इससे हमको सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि जो कुछ हमें कहना होता है उसके बाहर भी कहने का मौका मिल जाता है और मैं चाहूंगा कि दूसरे मिनिस्टर साहबान भी इसकी तकलीफ करें और इस तरह से सब मेम्बरान और सारे सूबे में रिप्रेजेंटेशन का मौका दें । जहां मैं अपने आपको इस हालत में पाता हूं वहां मैंने एक दफा पहले भी हाउस में जिक्र किया था कि मैं उन बदकिस्मत आदमियों में से हूं और एक बदकिस्मत इलाके का नुमाइन्दा हूं । कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, यहां दिल्ली से १०, १२ मील दूर वह बदकिस्मत जिला गुड़गांव शुरू होता है, जिसका कि मैं यहां नुमाइन्दा मौजूद हूं । यह शायद मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं कि जिला गुड़गांव के वास्ते और साथ ही एक हिस्से यानी जिला हिसार के वास्ते जिसके कि नुमाइन्दे लाला अचिंत राम बैठे हैं, उस भिवानी के वास्ते आज ४० वर्ष से एक स्कीम जिसका कि नाम भाखरा डाम था, चली आती थी वह स्कीम चालीस वर्ष तक हमारी आंखों के सामने घूमती रही लेकिन उसको मैटीरियलाइज करने का मौका बहुत सी वजूहात से पुरानी पंजाब की गवर्नमेंट ने नहीं किया । पार्टीशन के बाद जब देखा गया कि सिवाय भाखरा डाम के और कोई दूसरा चारा नहीं है तो हमारी इस गवर्नमेंट ने भाखरा डाम की स्कीम को रिवाइव किया । इस भाखरा डाम की स्कीम के वास्ते हमने पंजाब में पता नहीं कितनी कुर्बानियां की हैं, कितना झगड़ा किया है, उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता, न उसके लिये मेरे पास वक्त है, लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा कि सन् १९४७ के बाद जब यह स्कीम शुरू हुई तो हमको बतलाया गया कि यह पानी की स्कीम भाखड़ा की है उस वक्त नांगल का ज्यादा झगड़ा न था यह कहा गया था कि चार पांच वर्ष में आप देखेंगे कि यह किस्सा खत्म हो जायेगा, लेकिन हमने देखा कि स्कीम बढ़ते बढ़ते, जैसे डी० वी० सी० में हुआ वह स्कीम पानी की नहीं रही बल्कि बिजली की बन गई और बिजली पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा क्योंकि बिजली से ज्यादा आमदनी होनी थी और उस वक्त वाकई हमको बहुत बुरा लगा क्योंकि स्कीम अपने पहले मकसद से काफी दूर चली गई थी, लेकिन हमको खुशी है कि इतने अर्से तक मुसीबत झेलने के बाद, यह भाखड़ा डाम हमको काफी मात्रा में बिजली सप्लाई करेगा । मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो ओरिजनल स्कीम बनी थी उसके अन्दर भिवानी का इलाका और गुड़गांव का इलाका, ये सारे इलाके शामिल थे, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया था और मैं श्री नन्दा की खिदमत में खास तौर पर फिर अर्ज करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह मेरी इस बात को सुनें और वह यह है कि कितनी मर्तबा इस भवन में मैं कह चुका हूं कि पंजाब की गवर्नमेंट गुड़गांव और हरियाना वालों से स्टेप मदर्ली सलूक करती है । पंजाब गवर्नमेंट की राय माने जाने के काबिल नहीं है । होता यह है कि जितना रुपया होता है पंजाब गवर्नमेंट सारे उस पंजाब पर अलावा हमारे हरियाना और गुड़गांव के, खर्च करती है और जब कभी इन इलाकों पर खर्च करने की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिये आनरेबल मिनिस्टर साहबान वहां के हमको

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

खत लिखते हैं कि इसके लिये जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करें कि वह अलग से कुछ रुपया इन इलाकों के वास्ते सैंक्शन करे। चुनांचे इस स्कीम के मातहत हमारे नहर विभाग के मंत्री चौधरी लहरी सिंह, श्री बंसल, मैं, और चार-पांच आदमी, मरहूम किदवाई साहब की खिदमत में गये और उस वक्त उन्होंने हमसे वायदा किया था कि दो करोड़ रुपया वह हमें प्लानिंग कमीशन से दिला देने या खुद अपनी मिनिस्ट्री से दे देंगे और ५० लाख रुपये रिवाड़ी को दे देंगे, तीन, चार मर्तबा मैं इस हाउस में कह चुका हूं और वह चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आप इंकार कर सकें। हमारे सामने उस वक्त सेक्रेटरी ने मरहूम किदवाई साहब की ख्वाहिश को नोट कर लिया था, और उनकी इजाजत लेकर और हमने उनको दिखाकर उस चीज को अखबारों में भी शाया करवाया था, इतना सब कुछ हो जाने पर उनके मरने के बाद आज हमको बतलाया जाता है कि अभी शायद यू० पी० गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि फिलवाकय जब गवर्नमेंट का एक अफसर या कम से कम एक मिनिस्टर कोई बात कह दे और किसी चीज का वायदा कर दे, तो वह चीज मे क्रोसैन्ट होती है, उसके ऊपर किसी तरह से पीछे फिरना और वह मर गये तो उनका वायदा भी मर गया, यह चीज गवर्नमेंट को कंटैम्प्ट में लाती है और हमारा सब का वकार खत्म हो जाता है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इसकी तसदीक की जाय कि उन्होंने क्या वायदा किया था और अगर ऐसा वायदा किया हो तो गवर्नमेंट को उस वायदे को एफा करना चाहिये। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा था उस वक्त दूसरे मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, चौधरी लहरी सिंह साहब मौजूद थे और उनके सामने यह वायदा किया गया था, अब वह बार बार हमको खत लिखते हैं कि हमारे तुम्हारे सब के सामने यह बात हुई थी, वह वायदा पूरा होना चाहिये, और मुझ से कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट से मिल कर उस वायदे को पूरा कराऊं, अब हम क्या करें, और हमारी क्या ताकत है कि हम उसको गवर्नमेंट से पूरा करवायें, मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि अगर जरा भी इंसाफ हो तो देखें कि गुड़गांव के इलाके में आज पचासों और सैकड़ों वर्ष से एक नहर गुजरती है, नहर का पानी हमारी आंखों के सामने, हमारे गांवों के बीच में से जाता है, लेकिन एक कतरा पानी गुड़गांव को उसे नहीं मिलता, सारा का सारा पानी मथुरा और आगरा को चला जाता है और आप खुद समझ सकते हैं कि यह कितने अंधेर की बात है कि हमारे इलाके के जमींदारों की जमीन में से होकर पानी गुजर जाय और उनका एक कतरा पानी लेने की इजाजत नहीं है। हम उस इलाके वाले उस जमाने से मुसीबत में फंसे हुये हैं जो सन् १८५७ में पंजाब के साथ म्युटिनी में शामिल होने की वजह से सजा के तौर पर हमको पंजाब के साथ लगा दिया था। इस वजह से यह सजा हमारे साथ पता नहीं कितने अर्से तक चलेगी। गवर्नमेंट ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा कि यह लोग कहां बसते हैं। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि यहां चिराग तले अंधेरा है।

मेरी अदब से गुजारिश यह है कि पूजनीय श्री किदवई साहब मरहूम जब ओरिजिनल ने झज्जर के इलाके से रेवाड़ी को पानी देने का वादा किया था कि हम ५०,००० एकड़ को पानी देंगे, वह वादा भी एफा नहीं हुआ। दूसरा वायदा बाकी गुड़गांव को पानी देने का भी एफा नहीं हुआ।

मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहता हूं । जब रोहतक और हिसार और आसपास के इलाकों में काफी पानी पहुंच रहा है तो यहां के लोग सरीह तौर पर सस्ता अनाज पैदा करेंगे क्योंकि आप ने पानी दिया है । लेकिन गुड़गांव में चूंकि आपने जरा भी पानी नहीं दिया है इसलिये वहां के लोग महंगा अनाज पैदा करेंगे । जो गुड़गांव इलाके के लोग हैं वह भूखों मर जायेंगे और रुइन हो कर भाग जायेंगे क्योंकि वह लोग अपने पड़ौस के इलाके के लोगों का अनाज की कीमतों में मुकाबला नहीं कर सकेंगे । आप अगर वहां पानी नहीं देना चाहते वहां पर सिचाई का इन्तजाम नहीं करना चाहते तो न कीजिये, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे ऐसे पड़ौस के इलाके से दूर रखिये । आप गुड़गांव के इलाके को उठा कर सौराष्ट्र और रायल सीमा में फेंक दें ताकि वहां हम अपना गुजारा तो कर सकें, और हमेशा पानी के दर्शन न कर सकें । अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम इस काबिल नहीं हैं कि कम कीमत का अनाज पैदा कर सकें । जनाब वाला, इस मेरे इलाके को परमात्मा ने पसमांदा नहीं बनाय है, इस को इन्सान ने पसमांदा बना दिया है । वहां पर जमीन पानी है, अगर आप की एलेक्ट्रिसिटी जाय तो फायदा हो सकता है । बल्लभ गढ़ के इलाके में जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट है वहां आप की मेहरबानी से और कुछ एलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी आने लगा है । लेकिन मैं आप को इस इलाके की बात बतलाता हूं जहां का पानी खारा है । आप ने पंजाब में न्यामतें भर दी हैं वहां फसल होंगी, पानी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें भिवानी में पानी पीने को भी नसीब नहीं होता । मैं जिला हिसार की बात कर रहा हूं जहां के भिवानी के इलाके में ३५० फुट नीचे पानी निकलता है वहां बहुत थोड़ा मीठा पानी होता है और वहां के बहुत से जानदर ब्रैकिश वाटर पी कर मर जाते हैं । वह ऐसे हिस्से में रहते हैं जो कि मालूम नहीं होता कि पंजाब का हिस्सा है । सारा पंजाब आज लहलहा रहा है, परमात्मा करे कि वह हमेशा सरसब्ज रहे, लेकिन भिवानी का इलाका ऐसा है कि वहां पर हरियाली का नाम निशान तक नहीं है । भला हो चौधरी छोटू राम का जिन्होंने इस इलाके के वास्ते भाखरा की तजवीज पेश की और और तजवीजें बनाईं और उन के लिये लड़े, गो वह भी उनको कामयाबी की हद तक नहीं पहुंचा सके । जो तजवीजें यहां रक्खी गई थीं पहले, उन को मौजूदा गवर्नमेंट ने पीजन होल में डाल दिया और पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं है । हालांकि स्कीम मौजूद थी । बड़ी मुश्किलों से जो पहले की तजवीजात थीं जिन को दीमक खा गई थीं या जिन को दोस्तों ने गत खूद कर दिया था । गुड़गांव के मेम्बर श्री गजराज सिंह ने निकलवाया और आज भी स्कीम मौजूद है, लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया । पिछले दिन चौधरी लहरी सिंह ने फरमाया कि स्कीम मानी जा चुकी है और उस पर अमल हो रहा है और मैं खुद जा कर गुड़गांव जिले में इस को एनाउन्स कर दूं । मैं ने वहां जा कर पहले से पहले मौके पर लोगों से यह कहा कि तुम्हारा काम बन गया । इस तरह से चौधरी लहरी सिंह साहब ने और श्री किदवाई साहब ने कहा है, और वह मुतमईन हो गये । लेकिन आज मुझे वहां मुंह दिखाने की जगह नहीं है और वह इसीलिये कि मैं ने दो मिनिस्टरों के कहने पर एतबार किया । क्या मैं उन से कहूं जा कर कि इतना वादा करने के बाद भी तुम्हारा काम बिगड़ गया ।

इसके अलावा मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस इलाके को देखने जायें जो कि भाखरा डैम में आता है तो आप

[पंडित ठाकुर दास भागव]

पायेंगे कि वहां के लोग आज नाचते हैं और गाते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते। जब पानी गांवों को मिलता है तो किसानों के अन्दर जान आ जाती है, इस तरह से हिसार वालों को आज बड़ी खुशी है। जो लोग कहते हैं सरकार की स्कीमों से फायदा नहीं पहुंचा वह इस इलाके में जावें तो उनकी आंख खुल जायेंगी और उनको यकीन हो जायेगा कि सरकार की स्कीमों से इन इलाकों के लोग निहाल हो गये हैं। जहां जहां आप ने पानी पहुंचा दिया है वहां के लोग आप के मशकूर हैं, वहां आज मंडियां बन रही हैं और वहां नई रेल पहुंचाने की तजवीज हो रही है। जब मैं यह नक्शा भाखरा का खीचना चाहता हूं कि वह आने वाले वक्त में सरसब्ज हो जायेगा और लोग भी कहते हैं कि वह नक्शा जरूर पूरा हो जायेगा, सब ठीक है, लेकिन आप की इस खुशी के साथ एक जहर का बूंद भी इस गिलास में मौजूद है जो मुझ को पीना पड़ता है, जब मैं कहीं जाता हूं लोग कहते हैं कि क्यों साहब, यह स्कीम आप की कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनायी है न जिस के अन्दर करोड़ों रुपये का गबन हो गया है? भ्रष्टाचार की कोई इन्तहा नहीं रही। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि सरदार साहब काफी फरमा चुके हैं। पंजाब में जिस भाखड़ा को १९५४ में बनाना चाहिये था वह १९६० में बनेगा। आपने भी पुराने वायदे के खिलाफ उस को और तीन महीने आगे बढ़ा दिया। मार्च, १९६० की खबर दे कर कल तक हमने सुना था कि दिसम्बर, १९५९ में तैयार हो जायगा लेकिन अब वही मार्च, १९६० के लिये हो गया है। पहले यह चीज १९५४ से १९५६ को बढ़ी फिर १९५६ से १९५९ हो गई। मैं इस सब की तफसील में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से गवर्नमेंट ने देर कर दी है, पंजाब के भाखरा डैम के अन्दर अब भी पार्टी बाजी इंजीनियरों में चलती है, इसलिये असलियत नहीं मालूम हो सकती कि क्यों इस कदर देर हुई। पंजाब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बहुत सख्त इण्डाइटमेंट इस के बारे में किया है। मझे पता नहीं वह कहां तक सच है या झूठ है। मैं जो खबरें सुनता हूं वह आप को बताऊं तो आप को बड़ा दुःख होगा। मुझे नहीं मालूम कि करप्शन का वहां पर होना कहां तक सही है या झूठ है, लेकिन लोगों का कहना है, वह बड़े से बड़े अफसर, बड़े से बड़े अहलकारों को भी नहीं बख्शते हैं, यह सच हो या झूठ हो, लेकिन ताहम मैं कह सकता हूं कि यह पंजाब गवर्नमेंट का कहना या किसी का कहना कि यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फर्ज नहीं है कि वह इस करप्शन की एन्क्वायरी कराये, जायज नहीं है। यह एक स्टेट का मामला नहीं है, तीन तीन स्टेटों का मामला है। मैं अर्ज करूंगा कि पंजाब के आदमियों को छोड़ कर, बाहर के आदमियों की एक कमेटी आफ एन्क्वायरी आप बनायें जो कि पता लगाये इस करप्शन का। कितने रुपयों की मशीनें मंगाई गईं, वहां पर कितना काम बना, कितनी नहरें बनी, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर जो कि अरेस्ट हुये वह जमानत पर क्यों छोड़ दिये गये, मैं इन तमाम झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। जब पंडित नेहरू इस को खोलने के लिये जा रहे थे उस वक्त एक साइफन के टूटने की खबर आईथी और २४ घंटे तक पानी बहता रहा, किसी ने उस को रोका नहीं, उस के बाद एक झूठी जालसाजी की गई, सैबाटेज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सैबाटेज नहीं बना, लोगों ने कहा कि जहां सीमेन्ट डालना चाहिये था वहां पर रेत डाल दी गई, लोग कहते हैं कि सारी की सारी स्कीम जितनी थी, जिस किसी ने उस का ब्लू प्रिंट बनाया, उसकी

गलती थी, मुझे इस सब का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि, जैसा मैंने अर्ज किया कि हिसार के लोग जहां इतने खुश हैं और मशकूर, हैं वहां एक जहर का घूट भी पीते हैं कि कल आप हमारी खाल से बेटरमेंट लेवी वसूल करेंगे, सारे का सारा खर्चा आप हम से लेंगे, लेकिन इस को आप को हम से वसूल नहीं करना चाहिये। और अगर आप इस को हम से वसूल भी करत हैं तो आप के जिन अफसरों ने और जिन जिम्मेदार आदमियों ने बेइमानी की है उन को आप तश्त अज बाम कर दीजिये और उन को सजा दीजिये। हम भी समझ लेंगे कि चलो हम से अगर बेटरमेंट लेवी लिया जाता है तो ठीक है, लेकिन कम से कम जिम्मेदार लोगों को सजा तो मिल गई। वरना हम से आप यह रुपया वसूल न कीजिये। चूंकि आप का हुक्म हुआ है कि मैं ५ बजे से दो मिनिट पहले खतम कर दूं इसलिये पूरे दो मिनिट पहले खतम करता हू।

श्री बूबराघस्वामी : सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों और विभागों की संख्या बढ़ाकर १०.५८ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया और अभी यह मंत्रालय ४.५ लाख की अधिक मांग कर रहा है जल तथा विद्युत आयोग के होते हुये इस मंत्रालय के कर्मचारियों पर इतना अधिक व्यय करना सरकारी रुपये का अपव्यय है। कर्मचारियों और व्यय की वृद्धी की तुलना में बड़ी परियोजनाओं के कार्यों में बहुत कम प्रगति हुई है। कहा गया है कि हीराकुंड बांध, कोनार बांध और भाखड़ा-नांगल तथा तुंगभद्रा परियोजनाओं में सब काम पूरा हो चुका है।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य अधिक बोलना चाहते हैं, तो उनको कल बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री बूबराघस्वामी : मैं अपना भाषण कल समाप्त करूंगा।

इस के पश्चात लोक सभा बुधवार ६ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित् हुई।

GIPD—HS—47 L.S.D.—6-12-55—210